

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

अगस्त-सितम्बर, 2011 सत्र

बुधवार, दिनांक 07 सितम्बर, 2011

तारांकित प्रश्नोत्तर

नगर पालिक निगम, दुर्ग में सांस्कृतिक भवन निर्माण की स्वीकृति

1. (*क्र. 369) **श्री ताम्रध्वज साहू** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़, रायपुर के आदेश क्रमांक-131/26/चार./ले.अनु./07-08/7262 दिनांक 12-10-07 के द्वारा आयुक्त नगर पालिक निगम, दुर्ग को अधोसंरचना मद अंतर्गत वार्ड क्रमांक 52 में सांस्कृतिक भवन निर्माण हेतु 4.00 लाख रु. की स्वीकृति प्रदान की गई थी ? (ख) यदि हां तो, क्या उक्त सांस्कृतिक भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? (ग) यदि नहीं तो, क्यों कारण बतावें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जी हां. (ख) जी नहीं. (ग) निर्माण कार्य हेतु नियमानुसार निविदा दिनांक 09-04-2008 को आमंत्रित की गई थी. निर्धारित समयावधि में किसी भी ठेकेदार द्वारा निविदा में भाग नहीं लिया गया, फलस्वरूप दिनांक 25-06-2008 को पुनः निविदा आमंत्रित की गई. निर्धारित समयावधि में 03 ठेकेदारों ने निविदा में भाग लिया. श्री अतिशय अधिकारी ठेकेदार की दर न्यूनतम होने के कारण कार्यादेश दिनांक 10-09-2008 को जारी किया गया, किन्तु ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं करने के कारण, अमानत राशि (एफ.डी.आर.) दिनांक 08-12-2010 को राजसात की जाकर पुनः दिनांक 16-03-11 को निविदा आमंत्रित की गयी. निविदा में मात्र 02 ठेकेदारों ने भाग लिया. श्री थानूराम साहू, ठेकेदार, दुर्ग की दर न्यूनतम होने के कारण निविदा दर स्वीकृति पश्चात् दिनांक 15-08-2011 को कार्यादेश जारी किया गया है.

जिला रायगढ़ में कोल ब्लॉक हेतु जनसुनवाई में प्राप्त आपत्ति

2. (*क्र. 128) **श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रायगढ़ जिले में वर्ष 2010 एवं 2011 में दिनांक 30-6-2011 तक कहां-कहां पर किस कोल ब्लॉक के लिये जनसुनवाई हुई है ? इसमें कितने लोगों ने विरोध में आपत्ति दर्ज कराई है ? जनसुनवाईवार जानकारी बतावें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है.

महासमुंद जिले में बी.पी.एल. एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के राशन कार्डों का सत्यापन

3. (*क्र. 175) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले में बी.पी.एल. तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के सत्यापन के पश्चात् कितने कार्ड निरस्त किये गये तथा कितने सही पाये गये ? विकासखण्डवार बतायें ? (ख) कार्ड सत्यापन पश्चात् विकासखण्डवार कितना राशन आवंटन किया जा रहा है एवं कितने राशन की कटौती की गई ? (ग) कार्ड सत्यापन पश्चात् कितने राशन कार्ड नये बनाये गये ? विकासखण्डवार बतायें ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) जिले में बी.पी.एल. तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशन कार्डों के सत्यापन में 1,58,334 राशन कार्ड सही पाये गये. सत्यापन में 14,273 कार्ड अपात्र पाये जाने के कारण निरस्त किये गये. विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) राशन कार्ड सत्यापन पश्चात् 40627.80 क्विंटल चावल, 12224.20 क्विंटल गेहूं, 2007.20 क्विंटल शक्कर तथा 3089.94 क्विंटल नमक का आवंटन जारी किया जा रहा है. सत्यापन उपरांत 3510.94 क्विंटल चावल, 1151.46 क्विंटल गेहूं, 184.64 क्विंटल शक्कर तथा 282.16 क्विंटल नमक की कटौती हुई. विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है. (ग) राशन कार्ड सत्यापन पश्चात् जिले में पात्रता रखने वाले 2044 हितग्राहियों की राशन कार्ड बनाये गये विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “स” अनुसार है.

लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र में मिट्टी तेल की कालाबाजारी की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

4. (*क्र. 774) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लैलूंगा विधान सभा में कितने राशन दुकानें संचालित हैं ? (ख) वर्ष 2010 एवं 2011 में दिनांक 18-08-11 तक मिट्टी तेल की कालाबाजारी की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? राशन दुकान का नाम एवं संचालक के नाम सहित जानकारी देवें ? (ग) प्राप्त शिकायतों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र में 156 शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालित हैं. (ख) प्रश्नांकित अवधि में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल की कालाबाजारी की प्राप्त शिकायत की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ग) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

रायपुर जिले में छापे की कार्यवाही में जब्त खाद्य सामग्री

5. (*क्र. 408) **श्री रूद्र कुमार गुरू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले में खाद्य विभाग द्वारा 1 जनवरी, 2010 से 31 जनवरी, 2011 तक किन-किन विकासखण्डों में छापामार कार्यवाही कर शक्कर, खाद्यान्न, दाल एवं अन्य पदार्थों की जब्ती की गई है ? स्थानवार जप्त सामग्रियों की मात्रा बतावें. (ख) निर्धारित एवं परमिट से अधिक मात्रा में सामग्री भंडारित कर रखने वाले कितने कारोबारियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विस्तृत जानकारी दें.

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) जिले में खाद्य विभाग द्वारा 1 जनवरी 2010 से 31 जनवरी 2011 तक रायपुर शहर एवं तिल्दा विकासखण्ड में जांच कार्यवाही कर खाद्यान्न, दाल एवं अन्य पदार्थों की जप्ती की गई. स्थानवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) छत्तीसगढ़ अनुसूचित वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बंधन) आदेश 2009 के तहत निर्धारित स्टॉक सीमा से अधिक मात्रा में सामग्री भंडारित पाये जाने पर 02 कारोबारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई. जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार.

जिला बस्तर में वाहनों से प्रदूषण की जांच तथा शमन शुल्क की वसूली

6. (*क्र. 279) **श्री संतोष बाफना** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बस्तर जिले में वाहनों से हो रहे प्रदूषण की जांच के लिए निजी संस्थाओं को नियुक्त किया गया है ? यदि हां तो, किन-किन संस्थाओं को वाहनों की जांच के लिए अधिकृत किया गया है ? (ख) उक्त वाहन प्रदूषण जांच केन्द्रों द्वारा वर्ष 2009-2010 एवं 2010-2011 के माह जुलाई तक कितने वाहनों की जांच की गई है एवं जांच में प्रदूषण करते पाये वाहनों से कितना शमन-शुल्क वसूल किया गया ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जी हां. बस्तर जिले में वाहनों से हो रहे प्रदूषण की जांच के लिए निर्मांकित 02 निजी संस्थाओं को अधिकृत किया गया है :-

1. श्री सत्या वाहन प्रदूषण जांच केन्द्र, नयापारा, जगदलपुर.
2. मिर्जा ब्रदर्स वाहन प्रदूषण जांच केन्द्र, बोधघाट रोड, जगदलपुर.

(ख) उक्त वाहन प्रदूषण जांच केन्द्रों द्वारा वर्ष 2009-10 में 3385 एवं वर्ष 2010-11 के जुलाई (अप्रैल-2010 से जुलाई-2010 तक 04 माह) 1016 वाहनों की जांच की गई है. जांच में प्रदूषण करते पाये गये वाहनों से शमन-शुल्क वसूल करने का अधिकार प्रदूषण जांच केन्द्रों को नहीं है, परन्तु परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2009-10 में जांच के समय 39 वाहनों प्रदूषित होने तथा 1,116 वाहनों के प्रदूषण रहित प्रमाण-पत्र न होने के अपराध में रु. 12,49,450/- शमन-शुल्क एवं वर्ष 2010-11 में (अप्रैल-2010 से जुलाई-2010 तक 04 माह में) 20 वाहनों प्रदूषित पायी गई है, तथा प्रदूषण जांच प्रमाण-पत्र न होने के प्रकरण में 682 वाहनों के विरुद्ध रु. 7,02,800/- शमन-शुल्क वसूल किया गया.

जिला धमतरी के उद्योगों में ई.एस.पी. की स्थापना

7. (*क्र. 601) **श्री लेखराम साहू** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी जिले में कितने उद्योग स्थापित हैं ? (ख) कितने उद्योगों में प्रदूषण निवारण संयंत्र (ई.एस.पी.) स्थापित है तथा कितने उद्योग में प्रदूषण निवारण संयंत्र नहीं लगे हैं ? (ग) बिना ई.एस.पी. के संचालित उद्योगों के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) धमतरी जिले में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से सम्मति प्राप्त स्थापित उद्योगों की संख्या 115 है. (ख) एक उद्योग में ई.एस.पी. तथा शेष सभी उद्योगों में आवश्यकतानुसार प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की गई है. (ग) प्रश्नांश "ख" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

जिला महासमुन्द में बी.पी.एल. कार्डधारियों को उसना चावल एवं गेहूँ का प्रदाय संबंधी

8. (*क्र. 801) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि महासमुन्द जिले के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले हितग्राहियों को मांग अनुसार उसना चावल एवं गेहूँ उचित मूल्य की दुकानों से प्रदाय किया जा रहा है ? (ख) यदि हां तो, प्रश्नांक "क" के अनुसार महासमुन्द जिलान्तर्गत किन-किन ग्रामों के बीपीएल कार्डधारियों द्वारा गेहूँ एवं उसना चावल की मांग की गयी है ? (ग) यदि मांग नहीं की गई है तो क्या महासमुन्द जिले में उसना चावल के स्थान पर अरवा चावल बीपीएल कार्डधारियों को प्रदान किया जायेगा ? यदि हां तो, कब तक ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जी नहीं. (ख) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) जिले में उसना चावल का उपलब्ध स्टॉक समाप्त होने के बाद बीपीएल कार्डधारियों को मात्र अरवा चावल दिया जाएगा.

राजनांदगांव जिले में धान खरीदी में अनियमितता की प्राप्त शिकायतों की जांच

9. (*क्र. 836) **श्री शिवराज सिंह उसारे** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2010-11 में शासन द्वारा कितने क्विंटल धान की खरीदी की गई ? (ख) क्या धान खरीदी में अनियमितता की शिकायतें मिली हैं ? यदि हां तो, क्या जांच करायी गई ? यदि नहीं तो, क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2010-11 में 32,00,510 क्विंटल धान की खरीदी की गई. (ख) जिले में प्रश्नाधीन वर्ष में धान खरीदी में अनियमितता के संबंध में 03 शिकायतें मिली, सभी शिकायतों की जांच कराई गयी.

राजिम विधान सभा क्षेत्रांतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित उचित मूल्य की दुकानें

10. (*क्र. 706) **श्री अमितेश शुक्ल** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजिम विधान सभा क्षेत्रांतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कितनी उचित मूल्य की दुकानें कहां-कहां और किनके द्वारा संचालित है ? (ख) कंडिका (क) के अंतर्गत कितने बी.पी.एल. कार्डधारी हैं और उन्हें कौन-कौन सी खाद्य सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में दिए जाने का प्रावधान है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है. (ख) कंडिका (क) के अंतर्गत कुल 43,774 गरीब राशनकार्डधारी हैं. शेष जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है.

जिला जांजगीर-चांपा के नगरीय निकायों में गौरव पथ की स्वीकृति

11. (*क्र. 424) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में कुल कितने नगरीय निकाय क्षेत्र हैं एवं उनमें कहां-कहां गौरवपथ निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गयी है ? (ख) क्या जिला जांजगीर-चांपा के शेष बचे नगरीय निकायों में भी गौरवपथ निर्माण की योजना है, यदि हां तो, कब तक स्वीकृत किया जायेगा ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में कुल 15 नगरीय निकाय क्षेत्र हैं एवं उनमें से 04 नगर पालिका-जांजगीर नैला, चांपा, सक्ती, अकलतरा एवं 05 नगर पंचायत-नयाबाराद्वार, बलौदा, खरोद, शिवरीनारायण एवं अडुभार में गौरवपथ निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गयी है. (ख) जी नहीं.

नगरीय निकायों में सेवा से पृथक किये दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी

12. (*क्र. 563) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के नगरीय निकायों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने का आदेश प्रदेश शासन द्वारा किस दिनांक को प्रसारित किया गया ? पत्र क्रमांक एवं दिनांक बतावें. (ख) प्रश्नांक के आदेश के तहत प्रदेश के किन-किन निकायों से कितने कर्मचारियों को सेवामुक्त किया गया ? नगरीय निकायवार जानकारी दें.

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) विभाग के परिपत्र क्रमांक 5122/4534/2010/18 दिनांक 23-9-2010 एवं सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक एफ-12-1/2007/1-3 दिनांक 05-03-2008 में परिभाषित दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ/कलेक्टर दर पर की गई अनियमित नियुक्तियां जो यदि वर्ष 1997 के बाद की गयी हैं, तो अनियमित रूप से नियुक्त व्यक्तियों को भुगतान किये गये वेतन, संबंधित नगरीय निकाय के आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी के वेतन से वसूल किये जाने का निर्देश जारी किये गये हैं. (ख) प्रश्नांक के आदेश के तहत प्रदेश के 168 नगरीय निकायों में 3837 कर्मचारियों को सेवामुक्त किया गया है. निकायवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शायी गयी है.

नई राजधानी में विभिन्न संस्थाओं हेतु आरक्षित भूमि

13. (*क्र. 733) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि नई राजधानी में अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान एवं उद्यान बनाने का प्रावधान है ? यदि हां तो, उद्यान, अस्पताल एवं शैक्षणिक संस्थान के लिए कितने-कितने हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गयी है ? (ख) निर्माण कब तक पूरे कर लिये जायेंगे ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जी हां. नया रायपुर विकास योजना 2031 में सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक उपयोग हेतु 1846.38 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है जिसके अंतर्गत अस्पताल एवं शैक्षणिक संस्थान बनाये जाने का प्रावधान है तथा आमोद-प्रमोद उपयोग हेतु 2137.44 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है जिसके अंतर्गत उद्यान गतिविधि हेतु प्रावधान है. इसके अतिरिक्त आवासीय सेक्टरों में भी लगभग 16000 आबादी के लिए 4.88 हेक्टेयर भूमि शैक्षणिक हेतु, 0.2 हेक्टेयर भूमि स्वास्थ्य उपयोग हेतु तथा 7.68 हेक्टेयर भूमि उद्यान हेतु रखे जाने का प्रावधान है. (ख) निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं.

प्रदेश में बी.पी.एल. राशन कार्डों का सत्यापन

14. (*क्र. 715) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बी.पी.एल. राशन कार्डों के सत्यापन के दौरान कितने राशन कार्ड निरस्त किये गये ? जिलेवार बताएं ? (ख) फर्जी कार्ड एवं मृत व्यक्तियों के नाम से कितने राशन कार्ड प्रचलन में पाये गये ? जिलेवार जानकारी दें ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है.

अकलतरा विधान सभा क्षेत्र की राशन दुकानों को आवंटित खाद्यान

15. (*क्र. 245) **श्री सौरभ सिंह** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2011 में दिनांक 10-08-11 तक किन-किन राशन दुकानों में प्रति माह कितना खाद्यान आवंटित किया गया है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2011 में प्रश्नाधीन अवधि तक उचित मूल्य दुकानवार आवंटित खाद्यान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है.

पावर प्लांटों को पर्यावरणीय अनुमति

16. (*क्र. 767) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायपुर, जांजगीर, कोरबा एवं रायगढ़ में किनको-किनको, कब-कब, कितने-कितने मेगावाट पावर प्लांटों के लिये पर्यावरण संबंधी अनुमति किन-किन शर्तों के अधीन दी गई है ? (ख) उक्त सभी पावर प्लांटों द्वारा अलग-अलग सामुदायिक विकास योजनाओं में (सी. एस. आर. एक्टिविटीस के

अंतर्गत) कार्यवार वर्षवार कुल कितनी-कितनी राशि व्यय की जानी थी तथा कितनी-कितनी व्यय की गई ? व्यय नहीं करने वालों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) प्रश्नाधीन जिलों के अंतर्गत ताप विद्युत संयंत्रों को प्रदान की गई पर्यावरणीय स्वीकृति/सम्मति संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

नगरपालिक निगम बिलासपुर एवं रायपुर में आई.एच.एस.डी.पी. योजना अंतर्गत मकानों का निर्माण

17. (*क्र. 742) **श्री धर्मजीत सिंह :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि नगर पालिक निगम बिलासपुर एवं रायपुर में शहर को झुग्गी मुक्त करने हेतु केन्द्र शासन ने आई.एच.एस.डी.पी. योजना के अंतर्गत 7,836 मकान बनाने हेतु 132 करोड़ की राशि की स्वीकृति प्रदान की है ? यदि हां तो, कब स्वीकृति दी गई है ? केन्द्रांश, राज्यांश कितनी राशि का है ? (ख) क्या यह सत्य है कि प्रश्नांश “क” में पूछे गये गरीबों के मकान निर्माण हेतु नगर पालिक निगम बिलासपुर एवं रायपुर को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है एवं इस कार्य हेतु (निर्माण हेतु) हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड (एच.पी.एल.) को वर्ष 2008 में कार्य आदेश दिया गया है ? यदि हां तो, दिनांक 17 अगस्त, 2011 तक कितने मकानों का निर्माण पूर्ण हो गया है ? बिलासपुर एवं रायपुर की संख्या बतायें ? (ग) क्या यह सत्य है कि प्रश्नांश “ख” में पूछे गये एच.पी.एल. निर्माण कंपनी को बिलासपुर एवं रायपुर नगर पालिक निगम द्वारा भुगतान किया गया है ? यदि हां तो, कब-कब एवं कितनी राशि का भुगतान किया गया है, तिथिवार, राशि सहित विवरण दें ? (घ) प्रश्न “क” एवं “ख” में पूछे गये मकानों में पूर्ण एवं अपूर्ण मकानों की संख्या बतायें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) 1. बिलासपुर शहर की बस्तियों को झुग्गीमुक्त करने हेतु आई.एच.एस.डी.पी. योजनांतर्गत 7,836 मकान बनाने हेतु रु. 97.18 करोड़ की स्वीकृति वर्ष 2006-07 में प्रदान की है. जिसमें केन्द्रांश की राशि रु. 65.20 करोड़ एवं राज्यांश की राशि रु. 8.15 करोड़ है. राज्य शासन द्वारा निविदा स्वीकृति अनुसार राशि रु. 35.4295 करोड़ की अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान की गई है इस प्रकार इस योजनांतर्गत 7836 मकान बनाने हेतु कुल राशि रु. 132.61 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है. जिसमें केन्द्रांश रु. 65.20 करोड़, राज्यांश रु. 43.58 करोड़ है.

2. नगर निगम रायपुर में शहर को झुग्गी मुक्त करने हेतु केन्द्र शासन द्वारा आई.एच.एस.डी.पी. योजना स्वीकृत नहीं की गई है.

(ख) 1. जी हां, यह सत्य है कि, प्रश्नांश “क” में पूछे गये गरीबों के मकान निर्माण हेतु नगर पालिक निगम बिलासपुर को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है, किन्तु इस कार्य हेतु (निर्माण हेतु) हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड (एच.पी.एल.) को वर्ष 2008 में कार्यादेश नहीं दिया गया है, अपितु कार्य कराये जाने हेतु उसे (एच.पी.एल. को) राज्य शासन द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (पी.एम.सी.) नियुक्त किया गया है. पी.एम.सी. के रूप में नियुक्त एच.पी.एल. द्वारा 17 अगस्त 2011 तक बिलासपुर में एक भी मकान पूर्ण नहीं किया गया है.

2. रायपुर नगर निगम से संबंधित नहीं है.

(ग) 1. जी हां, यह सत्य है कि प्रश्नांश “ख” में पूछे गये एच.पी.एल. (पी.एम.सी.) को नगर पालिक निगम, बिलासपुर द्वारा भुगतान किया गया है, भुगतान की गई राशि का तिथिवार विवरण निम्नानुसार है :—

दिनांक 07-05-2008	-	राशि रु. 700.00 लाख
दिनांक 06-11-2009	-	राशि रु. 200.00 लाख
दिनांक 13-01-2010	-	राशि रु. 41.75 लाख
दिनांक 08-03-2010	-	राशि रु. 250.00 लाख
दिनांक 24-08-2011	-	राशि रु. 360.00 लाख

वाह्य विद्युतीकरण सुपरविजन चार्ज 11.11 लाख

2. रायपुर नगर निगम से संबंधित नहीं.

(घ) प्रश्न “क” एवं “ख” में पूछे गये मकानों में पूर्ण एवं अपूर्ण मकानों की संख्या निम्नानुसार है :—

1. बिलासपुर	-	पूर्ण-निरंक	अपूर्ण-7836
2. रायपुर नगर निगम से संबंधित नहीं है.			

नया रायपुर विकास प्राधिकरण एवं छ.ग. गृह निर्माण मण्डल के योजनाकारों की वैधानिक कार्य क्षमता एवं पात्रता का मापदण्ड

18. (*क्र. 914) श्री गुरुमुख सिंह होरा : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शासन की वृहद विकास परियोजनाएं जिन्हें “नया रायपुर विकास प्राधिकरण” या “रायपुर विकास प्राधिकरण” या “छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल” योजित करता है, उनमें अधिकृत किये जाने वाले योजनाकारों की वैधानिक कार्य क्षमता एवं पात्रता के मापदंड किस आधार पर तय होते हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में, इनके मापदण्ड क्या हैं ? क्या तीनों संस्थाओं के द्वारा अलग-अलग मापदंड अपनाये जाते हैं ? यदि हां तो, किन नियमों के तहत ? (ग) विगत 1 वर्ष में तीनों संस्थाओं के द्वारा किन-किन योजनाकारों को कार्य दिया गया है ? उनकी शर्तें तथा प्री-एग्रीमेंट की प्रति उपलब्ध करावें.

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी एवं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में विभिन्न परियोजनाओं हेतु परियोजना के स्वरूप और लागत के आधार पर एम्पेनल किये गये तथा परियोजना विशेष का अनुभव रखने वाले योजनाकारों से प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव बुलाकर चयन किया जाता है. परियोजना की लागत एवं उसके स्वरूप के आधार पर योजनाकारों की वैधानिक क्षमता एवं पात्रता तय की जाती है. रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा परियोजना लागत के आधार पर तीन श्रेणी में योजनाकारों का पंजीयन कर कान्सेप्ट प्लान के आधार पर चयन किया जाता है. (ख) विभिन्न परियोजनाओं में चयन किये जाने वाले योजनाकारों की वैधानिक कार्य क्षमता एवं पात्रता के मापदण्ड परियोजना की लागत एवं तकनीकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वित्तीय क्षमता तथा तकनीकी अनुभव के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं. इस हेतु कोई नियम निर्धारित नहीं हैं. (ग) प्रश्न तिथि से विगत 1 वर्ष में नियुक्त योजनाकारों की सूची.

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	योजनाकार का नाम (3)	परियोजना (4)
1.	नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी	एजिस इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियरस प्रा. लि. फरीदाबाद.	पुलिस मुख्यालय भवन
2.		एजिस इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियरस प्रा. लि. फरीदाबाद	तीन तालाबों का संरक्षण
3.		प्लानर्स ग्रुप चण्डीगढ़	जल संसाधन विभाग एवं वन विभाग के मुख्यालय भवन.
4.		मॉडर्न कंसल्टेंट भिलाई	राज्य योजना आयोग एवं सूचना आयोग के मुख्यालय भवन.
5.	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल	जी. ए. डी. क्वाटर्स का निर्माण नया रायपुर में.	कुकरेजा एसोसियेट नई दिल्ली
6.		संवाद बिल्डिंग का निर्माण, नया रायपुर	प्रसाद एसोसियेट, हैदराबाद
7.		अटल विहार योजना 1. ग्रुप-1 2. ग्रुप-3 3. ग्रुप-4	खान ग्लोबल, प्रा.लि. बँगलोर प्रसाद एसोसियेट, हैदराबाद प्रसाद एसोसियेट, हैदराबाद
8.		आर. आई. यू. एम. बिल्डिंग, नया रायपुर में.	द डिजाइन ग्रुप, भुवनेश्वर

योजनाकारों/वास्तुविद के चयन हेतु जारी आर. एफ. पी. की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में है.

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	योजनाकार का नाम (3)	परियोजना (4)
1.	रायपुर विकास प्राधिकरण	टाटीबंध ट्रांसपोर्ट नगर में कन्सेप्ट प्लान का निर्माण.	मार्डन कन्सलटेन्ट, नेहरू नगर पूर्व, भिलाई.
2.		रायपुरा इन्द्रप्रस्थ फेस-2 आवासीय योजना.	बिल्डक्राफ्ट इंजीनियर्स आर्कीटेक्टर 32 डुंगाजी कालोनी, रायपुर.
3.		रायपुरा फेस-2 विशेषीकृत वाणिज्यिक क्षेत्र का विकास.	बिल्डक्राफ्ट इंजीनियर्स आर्कीटेक्टर, रायपुर.
4.		रिंग रोड क्रमांक-4 (देवपुरी, फुण्डर सेक्शन) नगर विकास योजना क्रमांक-4 ग्राम देवरी, फुण्डर, डुमरतराई का कार्य.	बिल्डक्राफ्ट इंजीनियर्स आर्की-टेक्टर, रायपुर.

योजनाकारों/वास्तुविद से अनुबंध की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में है.

भाटापारा विधान सभा क्षेत्र में पी.डी.एस. चावल की काला बाजारी के दर्ज प्रकरण

19. (*क्र. 669) **श्री चैतराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भाटापारा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2009-10 एवं दिनांक 18-08-11 की स्थिति में पी.डी.एस. चावल तस्करी एवं हेराफेरी के कितने मामले पकड़े गये तथा आरोपियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? (ख) भाटापारा एवं सिमगा विकासखण्ड में कितने स्थानों पर दाल-भात केन्द्र संचालित है ? इन दाल-भात केन्द्रों को वर्ष 2009-10 से दिनांक 18-08-11 तक कितना चावल आवंटित किया गया है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) प्रश्नांकित अवधि में 3 प्रकरण बनाये गये हैं. उचित मूल्य दुकान अर्जुनी में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण पंजीबद्ध कर 400 लीटर केरोसिन, 01 कट्टा चावल एवं वाहन के बाजार मूल्य का 25000 रुपये शासन के पक्ष में राजसात करते हुए सेल्समेन के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर को सूचित किया गया है. उचित मूल्य दुकान बोरसी में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण पंजीबद्ध कर 04 कट्टा चावल एवं 10 कट्टा गेहूं जप्त किया गया तथा सरपंच, सचिव तथा सुखरूलाल कपूरचंद फर्म, भाटापारा के प्रोपाईटर के विरुद्ध पुलिस थाना भाटापारा में एफआईआर दर्ज कराने का कार्यवाही की जा रही है तथा कलेक्टर न्यायालय, रायपुर में जप्तशुदा सामग्री को राजसात करने की कार्यवाही की जा रही है. उचित मूल्य दुकान दतरेंगा में गंभीर अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण पंजीबद्ध कर सरपंच एवं सचिव के विरुद्ध पुलिस थाना भाटापारा में एफ.आई.आर. दर्ज कराने का कार्यवाही की जा रही है और कलेक्टर न्यायालय, रायपुर में जप्तशुदा सामग्री को राजसात करने की कार्यवाही की जा रही है. (ख) सिमगा विकासखण्ड में दाल-भात केन्द्र संचालित नहीं है. भाटापारा में कृषि उपज मंडी के सामने संचालित एकमात्र दाल-भात केन्द्र में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है तथा अगस्त 2011 से चावल का आवंटन प्रदाय नहीं किया जा रहा है. प्रश्नांकित अवधि में दाल-भात केन्द्र को आवंटित चावल की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

जांजगीर-चांपा जिले में स्थापित अवैध मोबाईल टॉवरों के विरुद्ध कार्यवाही

20. (*क्र. 574) **श्री दूजराम बौद्ध** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिला के सभी विकासखण्डों में सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कितने मोबाईल टॉवर स्थापित करने की अनुमति किन-किन को कब-कब दी गई है ? (ख) जांजगीर-चांपा जिला के सीमा क्षेत्र में दिनांक 16-08-2011 तक की स्थिति कितने अवैध मोबाईल टॉवर कहां-कहां पर स्थापित है ? (ग) अवैध मोबाईल टॉवर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जांजगीर-चांपा जिला के नगरीय निकायों के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न 87 मोबाईल टॉवरों को स्थापित करने हेतु अनुमति दी गई है. जानकारी प्रपत्र "अ" पर †† संलग्न है. (ख) जांजगीर-चांपा जिला के सीमा क्षेत्र में दिनांक 16-08-11 तक की स्थिति में 21 अवैध मोबाईल टॉवरों की संख्या एवं स्थान का नाम निकायवार प्रपत्र "ब" पर †† संलग्न है. (ग) अवैध मोबाईल टॉवरों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की निकायवार जानकारी प्रपत्र "ब" पर †† संलग्न है.

राजनांदगांव जिला में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की कस्टम मिलिंग

21. (*क्र. 679) **श्री भोलाराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 16-08-2011 तक राजनांदगांव जिले में समर्थन मूल्य पर कौन-कौन से किस्म के कितने धान की खरीदी की गई है ? इसमें से कितने धान की मिलिंग की गई है एवं कितना धान मिलिंग हेतु शेष है ? कस्टम मिलिंग में प्राप्त राईस में कितने प्रतिशत ब्रोकर निर्धारित है ? (ख) समर्थन मूल्य पर खरीदा गया कितना धान संग्रहण केन्द्रों में वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है एवं इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) वर्तमान खरीफ वर्ष में प्रश्नांकित अवधि तक राजनांदगांव जिले में समर्थन मूल्य पर मोटा धान 51,204 टन, पतला धान 2,12,950 टन एवं सरना 55,897 टन धान की खरीदी की गई. इसमें से 24,974 टन धान भारतीय खाद्य निगम को हस्तांतरित किया गया. शेष धान में से 2,77,651 मेट्रिक टन धान की मिलिंग की जा चुकी है तथा 15,948 टन धान मिलिंग हेतु शेष है. कस्टम मिलिंग के अंतर्गत अरवा चावल हेतु अधिकतम 25 प्रतिशत एवं उसना चावल हेतु अधिकतम 16 प्रतिशत ब्रोकर की मात्रा निर्धारित है. (ख) समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान के सुरक्षित संग्रहण हेतु डनेज एवं कैप कवर की व्यवस्था की गई है.

नगरपालिक निगम, रायपुर के अंतर्गत गौरव पथ निर्माण की स्वीकृति

22. (*क्र. 725) **श्री कुलदीप सिंह जुनेजा** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर नगर पालिक निगम के अंतर्गत शासन द्वारा कितने गौरव पथ निर्माण की स्वीकृति दी गई ? सड़कों के स्थान सहित जानकारी दें ? (ख) स्वीकृत सड़कों में से कितनी पूर्ण हो चुकी हैं ? कितनी वर्तमान में अपूर्ण हैं ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) रायपुर नगर पालिक निगम के अंतर्गत शासन द्वारा एक गौरव पथ निर्माण की स्वीकृति दी गई. यह सड़क शास्त्री चौक से तेलीबांधा रिंगरोड चौक तक की है. (ख) स्वीकृत सड़क पूर्ण हो चुकी है. अन्य कोई गौरव पथ का निर्माण कार्य अपूर्ण नहीं है.

नगर पंचायत नगरी एवं मगरलोड को विकास कार्यों हेतु आवंटित राशि

23. (*क्र. 762) **श्रीमती अंबिका मरकाम** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सिहावा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नगरी नगर पंचायत एवं मगरलोड नगर पंचायत के विकास कार्य हेतु वर्ष 2009-10, 2010-11 में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा किन-किन मदों में कितनी-कितनी राशि कब-कब प्रदान की गई.

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : सिहावा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नगरी नगर पंचायत एवं मगरलोड नगर पंचायत के विकास कार्य हेतु वर्ष 2009-10, 2010-11 में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा मदवार प्रदान की गई राशि की जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है.

कोरबा शहर का प्रस्तावित मास्टर प्लॉन

24. (*क्र. 265) **श्री जयसिंह अग्रवाल** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा शहर का मास्टर प्लॉन कब से तैयार किया जा रहा है तथा कब तक तैयार कर लिया जाएगा ? (ख) कोरबा शहर का मास्टर प्लॉन तैयार करने में विलम्ब का क्या कारण है ? (ग) कोरबा शहर में मास्टर प्लॉन किस तिथि से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) एवं (ख) कोरबा निवेश क्षेत्र हेतु कोरबा विकास योजना दिनांक 09-03-1992 से प्रभावशील है. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 के अंतर्गत इसका पुनर्विलोकन किया जा रहा है. पुनर्विलोकित विकास योजना के तैयार करने हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ग) कोरबा विकास योजना वर्तमान में प्रभावशील है. पुनर्विलोकित विकास योजना के प्रभावशील होने की तिथि निश्चित किया जाना संभव नहीं है.

मस्तुरी विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना तहत वितरित एवं निरस्त राशनकार्ड

25. (*क्र. 586) **डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र मस्तुरी अंतर्गत मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत वितरित कार्डों की ग्रामवार प्रचलित संख्या कितनी है ? (ख) मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत निरस्त किये गये कार्डों की ग्रामवार संख्या कितनी है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्लाल मोहले) : (क) एवं (ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

रायगढ़ जिले के सारंगढ़ एवं बरमकेला विकासखण्ड में संचालित उचित मूल्य की दुकानें

1. (क्र. 130) **श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले के सारंगढ़ एवं विकासखंड बरमकेला में संचालित कितनी उचित मूल्य की दुकान ग्राम पंचायत द्वारा, कितनी स्व-सहायता समूह द्वारा एवं कितनी दुकान अन्य संचालकों/व्यक्तियों द्वारा संचालित है ? (ख) जिले में खाद्यान्न, मिट्टी तेल, राशन व अन्य सामग्री समय पर वितरित नहीं होने की कितनी शिकायतें वर्ष 2010-11 में प्राप्त हुई हैं ? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) रायगढ़ जिले के सारंगढ़ विकासखंड में ग्राम पंचायतों द्वारा 50, महिला स्व सहायता समूह द्वारा 62, वन सुरक्षा समिति द्वारा 2 उचित मूल्य दुकानें तथा बरमकेला विकासखंड में ग्राम पंचायतों द्वारा 49, महिला स्व सहायता समूह द्वारा 32, वन सुरक्षा समिति द्वारा 1 एवं सेवा सहकारी समिति द्वारा 2 उचित मूल्य दुकानें संचालित की जा रही हैं। (ख) वर्ष 2010-11 में खाद्यान्न, मिट्टी तेल, राशन व अन्य सामग्री वितरित नहीं होने संबंधी 1 शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत की जांच उपरांत 3 शासकीय उचित मूल्य दुकानों को निरस्त किया गया है।

सरायपाली एवं बसना विकासखण्ड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संचालित दुकानें

2. (क्र. 176) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुन्द जिले के सरायपाली एवं बसना विकासखण्ड अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिनांक 31 जुलाई, 2011 की स्थिति में कितनी उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं ? (ख) कंडिका (क) की दुकानों का संचालन किनके द्वारा किया जा रहा है ? (ग) उपरोक्त में से कितनी उचित मूल्य की दुकानें भवन विहीन हैं ? (घ) 31 जुलाई, 2011 की स्थिति में कितनी नयी दुकान खोले जाने के आवेदन/प्रस्ताव लंबित हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) महासमुन्द जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरायपाली विकासखंड में 59 एवं बसना विकासखंड में 75 उचित मूल्य की दुकान संचालित है। (ख) सरायपाली विकासखंड में दो उचित मूल्य दुकान सहकारी विपणन संस्था एवं 57 उचित मूल्य दुकान ग्रामीण सेवा सहकारी समिति द्वारा तथा बसना विकासखंड में 75 उचित मूल्य दुकान ग्रामीण सेवा सहकारी समिति द्वारा संचालित किया जा रहा है। (ग) सरायपाली विकासखंड में 32 एवं बसना विकासखंड में 32 उचित मूल्य दुकान शासकीय भवन विहीन है। (घ) 31 जुलाई, 2011 की स्थिति में सरायपाली एवं बसना विकासखंड में नई उचित मूल्य दुकान खोलने का कोई आवेदन पत्र/प्रस्ताव लंबित नहीं है।

कोरबा शहर में संचालित उचित मूल्य दुकानें

3. (क्र. 266) **श्री जयसिंह अग्रवाल** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा शहर में उचित मूल्य की कितनी दुकानें संचालित हैं ? (ख) दुकानों को क्या-क्या खाद्य सामग्री कितनी-कितनी प्रतिमाह आवंटित की जाती है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) कोरबा शहर में 56 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। (ख) माह अगस्त, 2011 हेतु उपरोक्त उचित मूल्य दुकानों को 12794.35 क्विंटल चावल, 3701.76 क्विंटल गेहूं, 441.74 क्विंटल शक्कर एवं 679.60 क्विंटल नमक आवंटित किया गया।

जगदलपुर शहर में निर्मित अटल आवासों का आवंटन

4. (क्र. 280) **श्री संतोष बाफना** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जगदलपुर शहर में कितने अटल आवास निर्मित हैं एवं कितने निर्माणाधीन हैं ? स्थानवार संख्या बतायें। (ख) प्रश्नांश "क" में उल्लेखित अटल आवास में से कितने आवास 14 अगस्त, 2011 की स्थिति में आवंटित किये गये ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जगदलपुर की अघनपुर कॉलोनी में कुल 33 नग अटल आवास का निर्माण किया गया है। जगदलपुर शहर में कोई भी अटल आवास निर्माणाधीन नहीं है। (ख) 14 अगस्त, 2011 की स्थिति में कुल 33 नग अटल आवास भवन आवंटित किये गये हैं।

बेमेतरा नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संचालित दुकानें

5. (क्र. 375) **श्री ताम्रध्वज साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दुर्ग जिले के बेमेतरा नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) की कितनी दुकानें संचालित हैं ? इन दुकानों में कितने ए.पी.एल., बी.पी.एल., अन्त्योदय एवं अन्नपूर्णा के कार्डधारी हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : दुर्ग जिले के बेमेतरा नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 3 दुकानें संचालित हैं, जिनसे संलग्न योजनावार राशनकार्डों की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	दुकान क्रमांक	दुकान संचालनकर्ता एजेंसी का नाम	राशनकार्ड			
			अन्त्योदय	अन्नपूर्णा	बीपीएल एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	एपीएल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	431007001	सहकारी विपणन समिति, बेमेतरा	149	0	772	413
2.	431007002	सहकारी विपणन समिति, बेमेतरा	248	1	1480	385
3.	431007003	सहकारी विपणन समिति, बेमेतरा	265	0	1206	558

जिला जांजगीर-चांपा में गरीबी रेखा कार्डधारियों की संख्या

6. (क्र. 425) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की कुल संख्या कितनी हैं ? विकासखण्डवार पृथक-पृथक बतायें ? (ख) क्या उपरोक्त समस्त परिवारों के पास गरीबी रेखा कार्ड उपलब्ध है ? यदि नहीं तो, बिना कार्ड के परिवारों की संख्या कितनी है ? विकासखण्डवार पृथक-पृथक बतायें ? (ग) पात्र परिवारों को गरीबी रेखा कार्ड कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले कुल 1,30,013 परिवार हैं. विकासखंडवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जी हां. शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता. (ग) प्रश्नांश “ख” के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

शहरों में पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए उपाय

7. (क्र. 564) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के किन-किन शहरों में प्रदूषण मापक यंत्र लगाये गये हैं ? नगरवार जानकारी दें. (ख) वर्ष 2008-09 से 2010-11 में छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों में प्रदूषण के स्तर की जानकारी दें. सर्वाधिक प्रदूषित शहर एवं कम प्रदूषित शहर की श्रेणी में आने वाले कौन-कौन से शहर हैं ? (ग) बढ़ते औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप शहरों में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु क्या-क्या उपाय किये गये हैं ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा राष्ट्रीय वायु प्रबोधन कार्यक्रम के तहत रायपुर, बिलासपुर, कोरबा एवं भिलाई में परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन हेतु मापक यंत्र लगाये गए हैं. (ख) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा राष्ट्रीय वायु प्रबोधन कार्यक्रम के तहत रायपुर, बिलासपुर, कोरबा एवं भिलाई में किये गये नियमित परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन अनुसार परिवेशीय वायु गुणवत्ता की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है. उपरोक्तानुसार वर्ष 2010-11 में परिवेशीय वायु में अधिकतम स्पेण्डेड पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा के आधार पर घटते क्रम में क्रमशः रायपुर, बिलासपुर, कोरबा एवं भिलाई शहर हैं. (ग) शहरी क्षेत्र में परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार के दृष्टिगत स्थानीय निकायों द्वारा सड़कों का पक्कीकरण, कचरों का वैज्ञानिक पद्धति से प्रबंधन/अपवहन, वृक्षारोपण आदि हेतु कार्यवाही की जाती है. साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योगों में शून्य निस्सारण की स्थिति बनाये रखने, धूल कणों के नियंत्रण हेतु उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का सतत संचालन सुनिश्चित करने, उत्सर्जन मानकों के भीतर रखने, सघन वृक्षारोपण करने, ठोस अपशिष्टों का सुरक्षित अपवहन करने, आंतरिक सड़कों को पक्का करने आदि हेतु निर्देश दिये जाकर कार्यवाही करवाई जा रही है.

प्रदेश में हितग्राहियों को चावल वितरण

8. (क्र. 575) **श्री दूजराम बौद्ध** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल कितने हितग्राहियों को 01 रुपये 02 रुपये किलो में चावल प्रदाय किया जाता है ? (ख) छत्तीसगढ़ प्रदेश में कितने हितग्राहियों को अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत प्रति माह कितना टन चावल वितरण किया जाता है. (ग) प्राइवेट राइस मिलरों से प्रति क्विंटल कितने रुपये के हिसाब से चावल खरीद कर उक्त हितग्राहियों को वितरण किया जाता है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) प्रदेश में अन्नोदय अन्न योजना के कुल 6.99 लाख अति गरीब परिवारों को 1 रुपये प्रतिकिलो तथा शेष गरीब 25.46 लाख परिवारों को 2 रुपये प्रतिकिलो की दर से चावल प्रदाय किया जा रहा है. (ख) प्रदेश में माह अगस्त 2011 हेतु अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 17164 हितग्राहियों को वितरण के लिए 171.64 टन चावल आवंटित किया गया है. (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण हेतु प्राइवेट राइस मिलरों से चावल क्रय नहीं किया जाता.

जिला धमतरी में ग्रामोद्योग द्वारा रोजगार हेतु प्रदत्त अनुदान

9. (क्र. 602) **श्री लेखराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत दो वर्षों में ग्रामोद्योग द्वारा अनुदान के लिए धमतरी जिले में कितना आवंटन किया गया ? विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें ? (ख) धमतरी जिले में विगत दो वर्षों में ग्रामोद्योग द्वारा किन-किन व्यक्ति/समूह/संस्था को रोजगार प्रदान करने के लिए कितनी-कितनी राशि का अनुदान दिया गया है ? (ग) कुरुद विधान सभा क्षेत्र में कितने ग्रामोद्योग वर्तमान में संचालित हैं तथा कितने बंद पड़े हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) धमतरी जिले में अनुदान के लिए वर्ष 2009-10 में रु. 39.24 लाख एवं वर्ष 2010-11 में रु. 35.98 लाख का आवंटन किया गया है. विकासखण्डवार आवंटन प्रदाय नहीं किया गया है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. (ग) वर्तमान में 50 ग्रामोद्योग संचालित है. बंद कोई नहीं है.

जिला धमतरी में ग्रामोद्योग द्वारा लाभान्वित हितग्राही

10. (क्र. 605) **श्री लेखराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी जिले में ग्रामोद्योग विभाग द्वारा वर्ष 2008-09 से 31 जुलाई, 2011 तक कुल कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया ? (ख) कुल प्राप्त आवेदनों में से कितने प्रकरण किन कारणों से लंबित हैं ? (ग) लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक किया जावेगा ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) धमतरी जिले में प्रश्नाधीन अवधि में 346 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया. (ख) प्राप्त आवेदनों में से 308 प्रकरण निम्न कारणों से लंबित है—

- (1) बैंक के द्वारा स्वीकृत प्रदान न कराना.
- (2) आवेदकों के द्वारा ऋण प्रकरणों की कागजातों की पूर्ति न करना.
- (3) आवेदक के द्वारा रूचि न लेना.
- (4) प्रकरण अव्यवहारिक होना.

(ग) लंबित प्रकरणों के निराकरण की तिथि बताया जाना संभव नहीं है.

गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अटल नगर विकास योजना के तहत स्वीकृत राशि

11. (क्र. 653) **श्री विरेन्द्र कुमार साहू** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत अटल नगर विकास योजना के अंतर्गत किन-किन स्थानों पर आवासों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ? (ख) प्रस्तावित कार्य के लिये कितनी राशि की स्वीकृति हुई है ? (ग) उक्त निर्माण कार्य कब से प्रारंभ किया जायेगा ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत अटल नगर विकास योजना के नाम से कोई योजना प्रस्तावित नहीं है. अपितु अटल विहार योजना स्वीकृत हुई है जिसके अंतर्गत ग्राम मचौद में भूमि चिन्हित की गई है. (ख) भूमि का अधिपत्य प्राप्त होने पर योजना बनाई जावेगी. (ग) भूमि का अधिपत्य प्राप्त होने पर निविदा जारी कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा.

भाटापारा विधान सभा क्षेत्र के नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत को विकास कार्यों हेतु प्रदत्त राशि

12. (क्र. 670) **श्री चैतराम साहू** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भाटापारा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत न.पा.प. भाटापारा एवं नगर पंचायत सिमगा को वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में कौन-कौन से कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि दी गई ? मदवार देवें.

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : भाटापारा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत न.पा.प. भाटापारा एवं नगर पंचायत सिमगा को वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में मदवार दी गई राशि की जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है.

बसों में कम बैठक क्षमता प्रदर्शित कर पंजीयन के दर्ज प्रकरण

13. (क्र. 716) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 3 वर्षों में बसों की कम बैठक क्षमता बताकर पंजीयन करने के कितने प्रकरण प्रकाश में आये ? बस मालिकों के नाम सहित जानकारी देवें ? (ख) इनमें से कितने बस संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) विगत 3 वर्षों में बसों की कम बैठक क्षमता बताकर पंजीयन कराने के 237 बस के प्रकरण प्रकाश में आये हैं. बस संचालकों के नाम एवं वाहनों की संख्या का विवरण †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) 20 बस संचालकों के विरुद्ध प्रश्नांश “क” में उल्लेखित सभी प्रकरणों में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर द्वारा प्रारंभिक जांच की जा रही है.

बिलासपुर नगर पालिक निगम अन्तर्गत सिवरेज निर्माण कार्य की स्थिति एवं भुगतान

14. (क्र. 743) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि बिलासपुर नगर पालिक निगम के अन्तर्गत वर्तमान में सीवरेज निर्माण का कार्य चल रहा है ? यदि हां तो, इस योजना की स्वीकृति कब प्रदान की गई ? कितनी राशि की योजना की स्वीकृति है, निर्माण पूर्ण करने की तिथि क्या है ? निर्माण का कार्य किस संस्थान या कंपनी को दिया गया है ? (ख) प्रश्नांश (क) में पूछे गये कार्य हेतु 17 अगस्त, 2011 तक निर्माण करने वाले संस्थान को कितनी राशि का भुगतान कर दिया गया है एवं निर्धारित निर्माण कार्य का कितने प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है बतायें ? भुगतान की तिथि भी बतायें ? (ग) निर्माण के कारण क्षतिग्रस्त शहर की सड़कों की मरम्मत विभाग द्वारा कब तक करा दी जायेगी ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जी हां. इस योजना के लिये केन्द्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा दिनांक 18-03-2008 को राशि रु. 190.25 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है. इस योजना में राशि रु. 279.97 करोड़ की स्वीकृति है. सिम्पलेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. को सीवरेज पाइप लाईन बिछाने का कार्य दिनांक 31-12-2011 तक एवं जियो मिलर को सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का कार्य दिनांक 03-10-2011 तक कार्य पूर्ण करने का समय दिया गया है. (ख) प्रश्नांश (क) में पूछे गये कार्य हेतु 17 अगस्त 2011 तक निर्माण करने वाले संस्थान को भुगतान की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है.

(अ) सिम्पलेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. - रु. 77,82,22,453.00

(ब) जियो मिलर्स एण्ड कंपनी - रु. 38,95,76,670.00

कुल व्यय रु. - **रु. 1,16,77,99,123.00**

सीवरेज पाइप लाईन का 31 प्रतिशत एवं सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है. तिथिवार भुगतान का विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दिया गया है. (ग) वर्तमान में सीवरेज पाइप लाईन बिछाने के साथ-साथ सड़कों की मरम्मत का कार्य पूर्ण कराने की समय-सीमा दिनांक 31-12-2011 निर्धारित की गई है.

समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की मिलिंग

15. (क्र. 758) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में समर्थन मूल्य पर कितनी-कितनी मात्रा में धान की खरीदी की गई ? इसमें से कितनी मात्रा में धान की मिलिंग करायी गई और वर्तमान में कितना शेष है ? (ख) कंडिका “क” के खरीदे गए धान में से कितना-कितना धान वर्षा के कारण प्रभावित हुआ ? खरीदे गए धान में कितने क्विंटल धान कमी पाई गई ? (ग) कंडिका “क” के शेष धान की मिलिंग कब तक पूर्ण करायी जाएगी, क्या धान की मिलिंग में विलंब हुआ है ? यदि हां तो क्यों इसके लिए जिम्मेदार कौन है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) खरीफ वर्ष 2009-10 में 44,25,699 टन एवं खरीफ वर्ष 2010-11 में 51,15,760 टन धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई. खरीफ वर्ष 2009-10 में मिलर्स से 41,22,114 टन एवं खरीफ वर्ष 2010-11 में दिनांक 25-08-2011 की स्थिति में 38,88,567 टन धान की कस्टम मिलिंग कराई गई. खरीफ वर्ष 2009-10 में खरीदा गया धान शेष नहीं है तथा खरीफ वर्ष 2010-11 में खरीदे गए धान में से दिनांक 25-08-2011 की स्थिति में संग्रहण केन्द्रों में 1,74,813 टन धान शेष है. (ख) कंडिका “क” के खरीदे गए तथा संग्रहण केन्द्रों में रखा गया धान वर्षा से प्रभावित नहीं हुआ. खरीफ वर्ष 2009-10 में संग्रहण केन्द्रों में 89,221 टन धान की मात्रा में कमी आयी. खरीफ वर्ष 2010-11 में खरीदे गए धान की समस्त मात्रा के निराकरण के उपरांत धान में कमी का आंकलन हो सकेगा. (ग) राज्य में उपार्जित किए जाने वाले सरप्लस चावल के लिए भारतीय खाद्य निगम के पास पर्याप्त स्टॉफ एवं भण्डारण की समुचित व्यवस्था न होने एवं राज्य में उपार्जित चावल को समय पर अन्य राज्यों को परिवहन नहीं किए जाने के कारण धान मिलिंग का कार्य प्रभावित हुआ है. शेष धान के शीघ्र निराकरण हेतु राज्य शासन द्वारा सभी आवश्यक उपाए किए जा रहे हैं.

छ.ग. गृह निर्माण मण्डल एवं अन्य को आवासीय मकान/फ्लैट बनाने हेतु भू-आवंटन की जानकारी

16. (क्र. 759) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर राजधानी सहित नई राजधानी क्षेत्र में कौन-कौन से गांव शामिल हैं ? इन गांवों के अलावा किन-किन गांवों की जमीन खरीदी/बिक्री के पूर्व नई राजधानी विकास प्राधिकरण से अनुमति लेनी पड़ती है ? (ख) कंडिका “क” के क्षेत्रों में छ.ग. गृह निर्माण मंडल/रायपुर विकास प्राधिकरण एवं प्राइवेट बिल्डर्स को किन-किन क्षेत्रों में कितनी-कितनी जमीन कब-कब आवंटित की गई ? इनमें गोचर भूमि कितनी शामिल है ? (ग) क्या कंडिका “क” के क्षेत्रों में जमीन खरीदी बिक्री की पूर्वानुमति में ऐसे क्षेत्र शामिल हैं, जिसे टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग ने आवासीय क्षेत्र घोषित किया है ? यदि हां तो, क्या इसमें निजी प्लॉट/भूमि भी शामिल है ? यदि नहीं तो, क्यों ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) राजधानी अथवा नई राजधानी के नाम पर कोई निवेश क्षेत्र अधिसूचित नहीं है. राजधानी हेतु नया रायपुर के नाम निवेश क्षेत्र अधिसूचित किया गया है. नया रायपुर निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल गांवों की सूची प्रपत्र “अ” पर † संलग्न है. नया रायपुर निवेश क्षेत्र के 27 ग्रामों में ही जमीन से खरीदी की रजिस्ट्री के लिए कलेक्टर की अनुमति आवश्यक की गई है. (ख) जानकारी प्रपत्र “ब” पर † संलग्न है. (ग) नया रायपुर विकास योजना 2031 में लेयर-I की भूमि में आवासीय भू-उपयोग की भूमि भी शामिल है. जी हां.

जिला धमतरी में धान की खरीदी

17. (क्र. 763) **श्रीमती अंबिका मरकाम** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी जिले में 2007-08, 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में कुल कितने मिट्टिक टन धान की खरीदी शासन द्वारा की गई है ? (ख) धान खरीदी पश्चात् कितने संग्रहण केन्द्रों में वर्षा के कारण कितने क्विंटल धान भीगने से खराब हो गया एवं शासन को कितनी हानि हुई ? वर्षवार जानकारी दें ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) धमतरी जिले में खरीफ वर्ष 2007-08 में 2,12,757 टन, 2008-09 में 2,80,900 टन, 2009-10 में 3,34,872 टन एवं खरीफ वर्ष 2010-11 में 3,74,865 टन धान की खरीदी की गई है. (ख) संग्रहण केन्द्रों में वर्षा के कारण धान के स्टॉक को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई है.

नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय रायपुर में स्वीकृत हेतु लंबित अभिन्यास/मानचित्र

18. (क्र. 768) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर तथा ग्राम निवेश विभाग रायपुर में 15 अगस्त, 2011 की स्थिति में किनके-किनके अभिन्यास/मानचित्र स्वीकृत हेतु कब-कब से लंबित है ? विलंब के क्या

कारण है ? तथा कब तक स्वीकृत किए जाएंगे ? (ख) वर्ष 2008, 2009 एवं 2010 में उक्त निवेश क्षेत्र में भू-उपयोग/लैंड यूज के विपरीत किनके-किनके अभिन्यास/मानचित्र स्वीकृत किये गये हैं ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में 15 अगस्त 2011 की स्थिति में विकास अनुज्ञा (अभिन्यास अनुमोदन) संबंधी प्रकरणों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ”, “ब” एवं “स” पर संलग्न है. प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यवाही के कारण विलंब हुआ है. निश्चित समय अवधि बताना संभव नहीं है. (ख) जी नहीं, ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है.

वाहनों में लाल बत्ती की पात्रता

19. (क्र. 823) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ.ग. प्रदेश में किन-किन पदों पर पदस्थ लोगों को अपने वाहन में लाल बत्ती लगाने का अधिकार शासन द्वारा प्रदत्त किया गया है ? पदों का नाम बतायें ? (ख) क्या यह सत्य है कि छ.ग. प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों को भी वाहन में लाल बत्ती लगाने की अनुमति शासन द्वारा प्रदान किया गया है ? (ग) प्रश्न (क) के अतिरिक्त अवैध रूप से लालबत्ती वाहनों में घूमने वाले अपात्र लोगों के लिए वर्ष 2009-2010 एवं वर्ष 2010-2011 में छ.ग. प्रदेश में किस-किस पर कार्यवाही की गई है ? जिलेवार, वर्षवार संख्या सहित जानकारी दें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) राज्य के निम्नलिखित अतिविशिष्ट व्यक्तियों, पदाधिकारियों एवं अधिकारियों को लाल बत्ती उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गई है :—

लाल बत्ती

1. महामहिम राज्यपाल
2. माननीय मुख्यमंत्री जी
3. माननीय मुख्य न्यायाधिपति
4. अध्यक्ष विधान सभा
5. माननीय मंत्रीगण, उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति, नेता प्रतिपक्ष
6. राज्य मंत्री, विधान सभा उपाध्यक्ष
7. संसदीय सचिव
8. मुख्य सचिव
9. पुलिस महानिदेशक
10. अग्नि शमन वाहन
11. प्रमुख लोकायुक्त
12. मुख्य सूचना आयुक्त

(ख) जी नहीं. (ग) प्रश्न (क) के अतिरिक्त अवैध रूप से लालबत्ती वाहनों में घूमने वाले अपात्र लोगों के लिए वर्ष 2009-2010 एवं वर्ष 2010-2011 की जानकारी “निरंक” है.

अतारांकित प्रश्नोत्तर

रायगढ़ जिले में प्रदूषण नियंत्रण संबंधी मापदण्ड का पालन नहीं करने वाले उद्योगों के खिलाफ कार्यवाही

1. (क्र. 99) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में दिनांक 31-07-2011 तक रायगढ़ जिले के किन-किन उद्योगों के निरीक्षण में पर्यावरण संरक्षण के मापदंड का पालन होना नहीं पाया गया ? ऐसे उद्योगों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (ख) रायगढ़ जिले में वायु एवं जल प्रदूषण माप करने के लिए कहां-कहां किस-किस प्रकार का उपकरण लगाया गया है ? 01 अप्रैल 2009 से 31-07-2011 तक वायु एवं जल प्रदूषण की मात्रा की जांच किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब की गई ? जांच में वायु एवं जल में कौन-कौन से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तत्व कितनी मात्रा में मौजूद है ? इनके सुधार के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) दिनांक 01-04-2009 से 31-07-2011 तक की अवधि में रायगढ़ जिले में स्थित उद्योगों के निरीक्षण में प्रदूषण नियंत्रण संबंधी मापदण्ड का पालन नहीं करने वाले उद्योगों एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“एक” पर है. (ख) रायगढ़ जिले में परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन हाई वाल्यूम सेम्पलर द्वारा किया जाता है. मापन स्थल संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“दो” के कॉलम क्रमांक 02 पर है. जल गुणवत्ता मापन के लिये जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण का कार्य क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में किया गया है. जल नमूना संग्रहण स्थल संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“तीन ” के कॉलम क्रमांक 02 पर है. वायु एवं जल प्रदूषण की जांच संबंधी जानकारी क्रमशः पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“दो” एवं परिशिष्ट-“तीन ” पर है. परिवेशीय वायु गुणवत्ता तथा केलो नदी व महानदी जल गुणवत्ता की जानकारी पुस्तकालय में रखे क्रमशः परिशिष्ट-“चार ” एवं परिशिष्ट-“पांच ” पर है. शहरी क्षेत्र में परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार के दृष्टिगत स्थानीय निकायों द्वारा सड़कों का पक्कीकरण, कचरों का वैज्ञानिक पद्धति से प्रबंधन/अपवहन, वृक्षारोपण आदि हेतु कार्यवाही की जाती है. साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योगों में शून्य निस्सारण की स्थिति बनाये रखने, धूल कणों के नियंत्रण हेतु उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का सतत संचालन सुनिश्चित करने, उत्सर्जन मानको के भीतर रखने, सघन वृक्षारोपण करने, ठोस अपशिष्टों का सुरक्षित अपवहन करने, आंतरिक सड़कों को पक्का करने आदि हेतु निर्देश दिये जाकर कार्यवाही करवाई जा रही है.

प्रदेश के धान संग्रहण केन्द्रों में धान के उठाव संबंधी

2. (क्र. 100) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में जिलेवार 31 जुलाई, 2011 की स्थिति में कितनी-कितनी मात्रा में धान संग्रहण केन्द्रों में उठाव नहीं होने के कारण विद्यमान है ? कहां-कहां बारिश के कारण धान की नुकसानी हुई है ? (ख) रायगढ़ जिले में धान संग्रहण केन्द्रों में बचत धान को किन-किन राईस मिलरों को आवंटित किया गया है ? धान का उठाव 12 अगस्त, 11 तक नहीं करने वाले राईस मिलरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) वर्तमान खरीफ वर्ष 2010-11 में उपार्जित एवं प्रशान्तित अवधि तक मार्कफेड के धान संग्रहण केन्द्रों में शेष धान की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. बारिश के कारण धान को कोई क्षति नहीं हुई है. (ख) रायगढ़ जिले के धान संग्रहण केन्द्रों में शेष धान की कस्टम मिलिंग का कार्य 39 राईस मिलों से कराया जा रहा है, जिसकी जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है. धान उठाव नहीं करने वाले राईस मिलरों के विरुद्ध कस्टम मिलिंग अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

सारंगढ़ शहर में अटल आवासों का आवंटन

3. (क्र. 143) **श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सारंगढ़ शहर में जनवरी 2011 की स्थिति में कितने अटल आवास बनाये गये हैं ? प्रति अटल आवास की लागत राशि कितनी है ? आवंटन के क्या मापदण्ड हैं ? (ख) 25 जनवरी 2011 की स्थिति में उक्त आवास कितने हितग्राहियों को आवंटित किया गया है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) सारंगढ़ में जनवरी 2011 की स्थिति में अटल आवास भवनों का निर्माण नहीं किया गया है. सारंगढ़ में वर्ष 2007-08 में 105 अटल आवास भवनों का निर्माण प्रस्तावित किया गया था. निर्माण कार्यक्षेत्र में नाले के डुबान के कारण निर्माण कार्य बंद कर दिया गया. (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

सारंगढ़ विधान सभा में संचालित उचित मूल्य की दुकानों में राशन का आवंटन

4. (क्र. 144) **श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009-10 एवं 2010-2011 में दिनांक 31 जून, 2011 तक सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी उचित मूल्य की दुकानें हैं तथा इन दुकानों को कुल कितना राशन एवं केरोसिन आवंटित किया जाता है ? (ख) प्रश्नांक (क) की अवधि में आवंटित राशन एवं केरोसिन में से कुल कितना राशन एवं केरोसिन हितग्राहियों को वितरित किया गया है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) प्रश्नाधीन अवधि वर्ष 2009-2010 में सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कुल 167 उचित मूल्य दुकानें कार्यरत थीं. इन दुकानों को आवंटित खाद्यान्न, शक्कर, नमक एवं केरोसीन का आवंटन की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है.

सरायपाली क्षेत्र से रायपुर-महासमुंद के लिये बसों को आवंटित परमिट

5. (क्र. 185) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद एवं रायपुर के लिए सरायपाली से एवं सरायपाली क्षेत्र के ग्रामों में चलने वाली बसों, मिनीबसों के अस्थाई, स्थाई परमिट की संख्या अलग-अलग बतायें ? (ख) यदि हां तो, इन क्षेत्रों के आवागमन के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) महासमुंद एवं रायपुर के लिए सरायपाली से एवं सरायपाली क्षेत्र के ग्रामों के लिए बसों, मिनी बसों के संचालन हेतु निम्नानुसार स्थायी/अस्थायी परमिट स्वीकृत किये गये हैं :—

क्र.	मार्ग का नाम	स्थायी परमिट	अस्थायी परमिट
1.	सरायपाली से महासमुंद	01	01
2.	सरायपाली से रायपुर	65	02
3.	सरायपाली से ग्रामीण क्षेत्रों हेतु	45	13

(ख) इन क्षेत्रों के आवागमन की व्यवस्था के लिए प्रश्नांकित “क” अनुसार विभिन्न मार्गों हेतु स्थायी/अस्थायी परमिट स्वीकृत किये गये हैं, जिस पर बस का संचालन किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त जिन मार्गों पर बस संचालन हेतु मांग की जाती, उस पर परमिट स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जाती है.

अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में उचित मूल्य दुकानों के संचालन हेतु प्राप्त आवेदनों का निराकरण

6. (क्र. 258) **श्री सौरभ सिंह** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कहां-कहां पर कितनी उचित मूल्य की दुकानों के संचालन हेतु कौन-कौन से स्व-सहायता समूहों के आवेदन कब से लंबित हैं ? (ख) लंबित आवेदनों का निराकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) वर्तमान में उचित मूल्य दुकान के आवंटन के संबंध में कोई भी आवेदन लंबित नहीं है. (ख) प्रश्नांक “क” के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

जिला बस्तर में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजनांतर्गत निर्मित दुकानों का आवंटन

7. (क्र. 281) **श्री संतोष बाफना** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 अगस्त, 2011 की स्थिति में बस्तर जिले के नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजनांतर्गत किन-किन नगरों में कुल कितनी-कितनी दुकानें बनाई गई हैं ? नगरीय निकायवार जानकारी दें. (ख) प्रश्नांक (क) में उल्लेखित दुकानों में कितनी दुकानों की नीलामी व आवंटन की जा चुकी है ? कितनी आवंटित नहीं की गई है ? आवंटन लंबित होने के क्या कारण हैं ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) 1 अगस्त, 2011 की स्थिति में बस्तर जिले के नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजनांतर्गत निर्मित दुकानों की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	नगरीय निकाय का नाम	निर्मित दुकानों की संख्या
1.	नगर पालिक निगम, जगदलपुर	206
2.	नगर पालिका परिषद्, कोंडागांव	52

(ख) प्रश्नांक “क” में उल्लेखित दुकानों के आवंटन की निकायवार स्थिति निम्नानुसार है :—

क्र.	निकाय का नाम	नीलामी की गई दुकानों की संख्या	आवंटित दुकानों की संख्या	आवंटन हेतु शेष दुकानों की संख्या
1.	न.पा.नि. जगदलपुर	206	206	निरंक
2.	न.पा.प. कोंडागांव	52	32	20

शेष 20 दुकानों के लिए पात्र हितग्राहियों का आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण आवंटन लंबित है।

नगरपालिक निगम दुर्ग में वर्ष 2007-08 की अवधि में प्रदत्त राशि

8. (क्र. 383) **श्री ताम्रध्वज साहू** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिक निगम दुर्ग को शासन द्वारा वर्ष 2007-08 में किन-किन मदों में कितनी राशि प्रदान की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : नगरपालिक निगम दुर्ग को शासन द्वारा वर्ष 2007-08 में मदवार प्रदाय की गई राशि की जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है।

दुर्ग में अटल आवास का निर्माण एवं आवंटन

9. (क्र. 384) **श्री ताम्रध्वज साहू** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगरपालिका निगम दुर्ग में किन-किन क्षेत्रों में वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं वर्ष 2011-12 में कितने अटल आवास का निर्माण कराया गया है ? (ख) कितने लोगों को 31 मार्च, 2011 तक अटल आवास का आवंटन किया गया ? (ग) अटल आवास का निर्माण किस एजेंसी के द्वारा कराया गया है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) नगरपालिका निगम, दुर्ग के अंतर्गत वर्ष 2009-10 में ग्राम बघेरा, दुर्ग में 129 अटल आवास भवनों का निर्माण किया गया है. (ख) 31 मार्च 2011 तक कुल 129 अटल आवास भवनों का आवंटन किया जा चुका है. (ग) मेसर्स राजेश बिल्डर्स, अ-5 वर्ग ठेकेदार 12, दीपक नगर, दुर्ग.

आरंग विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत धान का संग्रहण

10. (क्र. 409) **श्री रूद्र कुमार गुरू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन संग्रहण केन्द्रों में वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में 31 जनवरी, 2011 तक कितनी मात्रा में धान का संग्रहण किया गया ? केन्द्रवार जानकारी दें ? (ख) उक्त संग्रहण केन्द्रों में 2010-11 के लिये कितने-कितने बारदाना प्रत्येक केन्द्र को किस-किस तारीख को प्रदान किये गये ? (ग) बारदानों की कमी के कारण कहां-कहां पर कितने दिन धान खरीदी बंद रही तथा फड़ में जगह के अभाव के कारण कहां-कहां पर कितने दिन धान खरीदी बंद रही ? (घ) उक्त वर्षों में कितने क्विंटल धान खराब हुई है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित मार्कफेड के लखौली, धान संग्रहण केन्द्र में वर्तमान खरीफ वर्ष 2010-11 में प्रश्नांकित अवधि तक 1,30,830 मेट्रिक टन धान का संग्रहण किया गया। खरीफ वर्ष 2011-12 में धान उपार्जन एवं संग्रहण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। (ख) आरंग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत धान खरीदी हेतु उपार्जन केन्द्रों को बारदानों की आपूर्ति मार्कफेड के आरंग, मंदिरहसौद, खरोरा एवं तिल्दा से की गई है, जिसकी जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) बारदानों की कमी एवं फड़ में जगह के अभाव के कारण धान खरीदी प्रभावित नहीं हुई। (घ) खरीफ वर्ष 2010-11 में उपार्जन केन्द्रों एवं संग्रहण केन्द्रों में धान खराब नहीं हुआ है।

आरंग नगर पंचायत को नगर विकास हेतु प्रदायित राशि

11. (क्र. 410) **श्री रूद्र कुमार गुरू** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रायपुर जिले के आरंग नगर पंचायत को वर्ष 2010-11 में दिनांक 31-01-2011 तक राज्य शासन द्वारा नगर विकास हेतु किन-किन मदों में कितनी-कितनी राशि कब-कब प्रदान की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : रायपुर जिले के आरंग नगर पंचायत को वर्ष 2010-11 में दिनांक 31-01-2011 तक राज्य शासन द्वारा नगर विकास हेतु मदवार प्रदाय की गई राशि की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	मद	कार्य	प्रदाय की गई राशि	दिनांक
1.	पार्षद निधि	पार्षद निधि	7.50	01-05-10
2.	अधोसंरचना	अधोसंरचनान्तर्गत विकास कार्य.	25.00	13-12-10
3.	—, —	मरम्मत संधारण हेतु	4.98	17-01-11

जिला जांजगीर-चांपा में स्थापित उद्योगों में पर्यावरण संबंधी अनियमितता पर कार्यवाही

12. (क्र. 433) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में कितने उद्योग स्थापित हैं ? विकासखण्डवार बतायें ? (ख) जिला जांजगीर-चांपा में स्थापित उद्योगों में पर्यावरण संतुलन एवं संरक्षण हेतु क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं ? विभागीय अधिकारी उक्त उद्योगों में पर्यावरण संरक्षण देखने वर्ष 2010-11 में कब-कब गये थे एवं किन-किन उद्योगों में क्या-क्या अनियमितता पायी गयी बतायें ? (ग) जिला जांजगीर-चांपा के जिन उद्योगों में पर्यावरण संबंधित अनियमितता पायी गयी है उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“एक” पर है। (ख) जिला जांजगीर-चांपा में स्थापित प्रदूषणकारी उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्षम एवं पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना, शून्य निस्सारण की स्थिति बनाये रखने, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का सतत् संचालन सुनिश्चित करने, उत्सर्जन मानको के भीतर रखने, सघन वृक्षारोपण करने, टोस अपशिष्टों का सुरक्षित अपवहन करने, आंतरिक सड़कों को पक्का करने आदि संबंधी कार्यवाही करवाई गई है। वर्ष 2010-11 में किये गए उद्योगों के निरीक्षण संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“दो” पर है। निरीक्षण के दौरान जिन उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कमियां पाई गई, उनके संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“तीन” के कॉलम 02 से 04 पर है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“तीन” के कॉलम 05 पर है।

जिला जांजगीर-चांपा में संचालित उचित मूल्य के दुकानें

13. (क्र. 434) **महन्त रामसुंदर दास** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में शासकीय उचित मूल्य की कुल कितने दुकानें कहां-कहां संचालित हैं विकासखण्डवार पृथक-पृथक बतायें ? (ख) जिला जांजगीर-चांपा में ऐसे कितने ग्राम हैं जहां शासकीय दुकान नहीं होने से ग्रामीणों को अन्य ग्राम पंचायतों में राशन लेने हेतु जाना पड़ता है ? विकासखण्डवार नाम सहित बतायें ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में कुल 621 शासकीय उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जिले के सभी ग्राम पंचायतों में शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालित हैं।

खरीफ फसल में खरीदी किए गए धान में कमी संबंधी

14. (क्र. 566) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010-11 में खरीफ फसल की खरीदे गये धान की उचित रख-रखाव एवं भण्डारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण कितनी मात्रा में धान की खराबी दिखाई गई है? जिलेवार कमी की मात्रा बतावें। (ख) प्रश्नांकित सत्र में खरीदे गये धान की सुरक्षा हेतु विभाग द्वारा कैप कव्हर एवं अन्य सामग्रियों की क्या व्यवस्था की गई थी ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) वर्तमान खरीफ वर्ष 2010-11 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की मिलिंग का कार्य प्रचलित है। धान की समस्त मात्रा के निराकरण के उपरांत कमी का आंकलन संभव होगा। (ख) मार्कफेड द्वारा खरीदे गए धान की सुरक्षा हेतु संग्रहण केन्द्रों में आवश्यक डनेज मटेरियल एवं कैप कव्हर की व्यवस्था की गई है। संग्रहण केन्द्रों में धान की सुरक्षा के लिए विद्युत एवं चौकीदार की व्यवस्था भी की गई है।

राज्य में सत्यापन एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया के तहत राशन कार्डों का निरस्तीकरण

15. (क्र. 568) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्डों के सत्यापन एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया के तहत 2010-11 तक कुल कितने राशन कार्डों का निरस्तीकरण किया गया ? जिलेवार निरस्त राशन कार्डों की संख्या एपीएल व बीपीएल श्रेणीवार बतावें। (ख) राशन कार्डों का सत्यापन एवं नवीनीकरण किन-किन आधार पर किया गया ? राशन कार्ड निरस्त करने का कारण बतावें ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) एपीएल राशनकार्डों का वर्ष 2010-11 में सत्यापन नहीं कराया गया है। बीपीएल एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशनकार्डों के सत्यापन उपरांत जिलेवार निरस्त किए गए राशनकार्डों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है। (ख) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में राशनकार्डों के सत्यापन एवं नवीनीकरण के आधार की जानकारी क्रमशः † संलग्न प्रपत्र “ब” एवं “स” अनुसार है। हितग्राही द्वारा राशनकार्ड सत्यापन हेतु निर्धारित अवधि में आवेदन नहीं करने, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के हितग्राहियों के लिए राज्य शासन द्वारा पात्रता हेतु निर्धारित मानदण्ड के अंतर्गत नहीं पाए जाने, हितग्राही की मृत्यु हो जाने, हितग्राही द्वारा अन्यत्र पलायन आदि के आधार पर राशनकार्ड निरस्त किए गए।

जांजगीर, बिलासपुर एवं रायपुर जिले के नगर निगम एवं नगर पंचायतों को विकास हेतु प्रदायित राशि

16. (क्र. 580) **श्री दूजराम बौद्ध** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर, बिलासपुर, रायपुर जिले के नगर निगम एवं नगर पंचायत को 01-03-2010 से 16-08-2011 तक विकास हेतु किन-किन मर्दों में कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : जांजगीर, बिलासपुर एवं रायपुर जिले के नगर निगम एवं नगर पंचायत को 01-03-2010 से 16-08-2011 तक विकास हेतु प्रदायित राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है।

प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के तहत वितरण हेतु चावल की खरीदी

17. (क्र. 581) **श्री दूजराम बौद्ध** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ.ग. प्रदेश में बी.पी.एल., ए.पी.एल. एवं अन्नपूर्णा योजना के हितग्राहियों को प्रतिमाह चावल प्रदाय हेतु किन-किन राइस मिलरों से चावल खरीदी की जाती है ? (ख) दिनांक 1-1-10 से दिनांक 31-7-11 तक प्रति क्विंटल कितने रुपये के हिसाब से चावल खरीदी कर वितरण किया गया ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण हेतु राईस मिलरों से चावल क्रय नहीं किया जाता. (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना अंतर्गत निर्मित दुकानों का आवंटन

18. (क्र. 628) **श्री टी. एम. सिंहदेव** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में वर्ष 2006-07 से 31 जुलाई, 2011 तक निर्मित मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजनांतर्गत कितनी दुकानों का निर्माण किया गया ? (ख) इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्तियों को दुकान आवंटित किया गया ? वर्षवार जानकारी दें ? (ग) इन निर्मित दुकानों में से मार्च 2011 की स्थिति में कितने दुकानों का आवंटन शेष है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में वर्ष 2006-07 से 31 जुलाई 2011 तक मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजनांतर्गत 226 दुकानों का निर्माण किया गया. (ख) अनुसूचित जाति के 24 एवं अनुसूचित जनजाति के 04 हितग्राहियों को वर्ष 2007-08 में दुकानें आवंटित की गई हैं. (ग) मार्च 2011 की स्थिति में 136 दुकानों का आवंटन शेष है.

जिला महासमुंद में अवैध मोबाइल टावरों पर कार्यवाही

19. (क्र. 635) **श्री अग्नि चन्द्राकर** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिला में नगर पालिका क्षेत्र एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में कितने मोबाइल कंपनियों द्वारा कितने टावर लगाये गये हैं ? (ख) कितनी कंपनियों द्वारा टावर लगाने के पूर्व अनुमति ली गई है ? कितने टावर बिना अनुमति के स्थापित हैं ? (ग) बिना अनुमति के स्थापित टावरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) महासमुंद जिला में नगरपालिका क्षेत्र एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में 37 मोबाइल कंपनियों द्वारा कुल 56 टावर लगाए गए हैं. (ख) 28 कंपनियों द्वारा टॉवर लगाने के पूर्व अनुमति ली गई है तथा 10 टॉवर बिना अनुमति के स्थापित हैं. (ग) बिना अनुमति के स्थापित टॉवरों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है.

बिलासपुर जिला में घरेलू गैस की अवैध उपयोग पर की गई कार्यवाही

20. (क्र. 648) **श्री राजू सिंह ठाकुर** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछले 3 वर्ष की समय अवधि में बिलासपुर जिले के किन-किन होटल व्यवसायी/व्यक्ति को घरेलू रसोई गैस का अवैध उपयोग होटलों/वाहन में करते हुये पाये गये ? (ख) दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) एवं (ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

तखतपुर विधान सभा क्षेत्र में कॉलोनाईजरो को आवासीय कॉलोनी के निर्माण एवं प्लॉट विक्रय की प्रदत्त अनुमति

21. (क्र. 649) **श्री राजू सिंह ठाकुर** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि 01-04-2009 से 30-07-2011 तक की अवधि में तखतपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन कॉलोनाईजर को किन-किन शर्तों पर आवासीय कॉलोनी बनाने/प्लॉट बेचने की अनुमति कब-कब प्रदान की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : तखतपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत दो नगर पंचायत क्रमशः तखतपुर एवं सकरी आते हैं. नगर पंचायत तखतपुर में 01-04-2009 से 30-07-2011 तक की अवधि में किसी भी कॉलोनाईजर को कॉलोनी बनाने/प्लॉट बेचने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है. नगर पंचायत सकरी में दिनांक 01-04-2009 से 30-07-2011 तक दो कॉलोनाईजर क्रमशः रामारियल स्टेट प्राई. लिमि. बिलासपुर को दिनांक 05-06-2010 आसमा बिल्डर्स एवं कॉलोनाईजर लिमि. बिलासपुर को 16-06-2010 को अनुविभागीय अधिकारी, कोटा तथा नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय बिलासपुर द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत सकरी द्वारा कॉलोनी निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है.

गुण्डरदेही व अर्जुन्दा नगर पंचायत में संचालित स्कूलों में रिक्त पद की पूर्ति

22. (क्र. 662) **श्री विरेन्द्र कुमार साहू** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले के अंतर्गत नगर पंचायत गुण्डरदेही व अर्जुन्दा में कितनी उच्चतर माध्यमिक व पूर्व माध्यमिक शालाएं संचालित हैं ? (ख) उक्त शालाओं में विभिन्न विषयों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ? (ग) स्वीकृत पद में कितने पद रिक्त हैं ? शालावार जानकारी देवें ? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) दुर्ग जिले के अन्तर्गत नगर पंचायत गुण्डरदेही में 01 उच्चतर माध्यमिक तथा 03 पूर्व माध्यमिक शालाएं तथा नगर पंचायत अर्जुन्दा में 02 उच्चतर माध्यमिक एवं 03 पूर्व माध्यमिक शालाएं संचालित हैं. (ख) उक्त शालाओं में विभिन्न विषयों के निम्नांकित पद स्वीकृत हैं :—

न.पं. का नाम	उ.मा.शा. में स्वी. पद संख्या	पूर्व मा. शा. में स्वी. पद संख्या
गुण्डरदेही	16	18
अर्जुन्दा	35	17

(ग) उक्त शालाओं में विभिन्न विषयों के निम्नांकित पद रिक्त हैं :—

न.पं. का नाम	शाला का नाम	रिक्त पद की संख्या
गुण्डरदेही	1. शा.उ.मा. शाला, गुण्डरदेही	05
	2. शा. बालक पूर्व मा.शा. गुण्डरदेही	03
	3. शा. कन्या पूर्व मा. शा. गुण्डरदेही	02
अर्जुन्दा	1. शा. भारती उ.मा.शा. अर्जुन्दा	09
	2. शा. कन्या उ.मा.शा. अर्जुन्दा	04
	3. शा. बालक पूर्व मा.शा. अर्जुन्दा	01

रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में समय-सीमा बताना संभव नहीं है

जिला राजनांदगांव में खाद्य विभाग द्वारा की गई छापामार कार्यवाही एवं ज्वट सामग्री

23. (क्र. 683) **श्री भोलाराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2010-11 में एवं 2011-12 में दिनांक 17-08-11 तक खाद्य विभाग द्वारा किन-किन विकासखण्डों में छापामार कार्यवाही कर रसोई गैस, शक्कर, खाद्यान्न, दाल एवं अन्य पदार्थों की जब्ती की गई है ? स्थलवार ज्वट सामग्रियों की मात्रा बतावें ? (ख) निर्धारित एवं परमित से अधिक मात्रा में सामग्री भण्डारित कर रखने वाले किन-किन कारोबारियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) जिले में वर्ष 2010-11 में की गई कार्यवाही की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार एवं वर्ष 2011-12 में की गई कार्यवाही की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है. (ख) निर्धारित सीमा से अधिक सामग्री भंडारण का कोई प्रकरण सामने नहीं आने के कारण प्रकरण निर्मित नहीं हुआ है.

आमगांव (कुमर्दा) में प्रस्तावित कंबल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना संबंधी

24. (क्र. 684) **श्री भोलाराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत छुरिया विकासखंड के ग्राम पंचायत आमगांव (कुमर्दा) में प्रदेश की पहली कंबल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हेतु भवन निर्माण कार्य के लिये शासन द्वारा कितनी राशि स्वीकृत कर, कब निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है ? निर्माणकर्ता एजेंसी/फर्म/ठेकेदार कौन है ? (ख) उक्त निर्माण कार्य की वर्तमान भौतिक स्थिति क्या है एवं कब तक निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना अनुमानित है ? कंबल प्रोसेसिंग यूनिट का संचालन कब तक प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) कंबल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हेतु भवन निर्माण कार्य के लिए राशि रु. 38.80 लाख स्वीकृत किया गया है. भवन निर्माण कार्य दिनांक 25-12-2008 से प्रारंभ किया गया है. भवन निर्माणकर्ता एजेंसी ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा, राजनांदगांव है. (ख) कंबल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हेतु मैच सेड एवं कार्यालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है. गोदाम भवन का कार्य स्लेब स्तर तक पूर्ण हो चुका है. उक्त भवन का निर्माण कार्य इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण किया जाना अनुमानित है. मशीनरी क्रय का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है. मशीनरी क्रय करने और गोदाम भवन का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् कंबल प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य प्रारंभ किया जावेगा.

आवासी कालोनी एवं होटल निर्माण के अनुमोदन हेतु प्राप्त आवेदन

25. (क्र. 723) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 2 वर्षों में रायपुर के तेलीबांधा-माना व्ही.आई.पी. रोड पर रहवासी कालोनी विकसित करने एवं होटल निर्माण के कितने आवेदन अनुमोदन हेतु प्राप्त हुए ? नाम सहित विवरण दें. (ख) इनमें से किन-किन आवेदनों को अनुमोदन दिया गया ? अनुमोदन की शर्तों सहित जानकारी दें.

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) विगत 02 वर्षों में नगर पालिक निगम, रायपुर के क्षेत्रान्तर्गत तेलीबांधा-माना व्ही.आई.पी. रोड पर रहवासी कालोनी विकसित करने हेतु कोई आवेदन अनुमोदन हेतु प्राप्त नहीं हुआ है. मात्र एक होटल के निर्माण हेतु मेसर्स लालगंगा बिल्डर्स प्रा.लि. डायरेक्टर श्री अशोक कुमार जैन का आवेदन अनुमोदन हेतु प्राप्त हुआ था. (ख) मेसर्स लालगंगा बिल्डर्स प्रा.लि. डायरेक्टर श्री अशोक कुमार जैन को जी.ई. मार्ग एवं व्ही.आई.पी. मार्ग के संगम पर नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के द्वारा स्वीकृत विकास अनुज्ञा के आधार पर नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा वाणिज्यिक एवं होटल निर्माण की अनुमति प्रदान की गई. अनुमोदन की शर्तें परिशिष्ट पर † संलग्न है.

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित राशि

26. (क्र. 724) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत केन्द्र सरकार से 31-07-2011 तक कुल कितना आवंटन प्राप्त हुआ है ? वर्षवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश “क” में उल्लेखित आवंटन को किन-किन नगरीय निकायों को कितना-कितना पुर्नआवंटित किया गया ? निकायवार आवंटित एवं व्यय की जानकारी दें ? (ग) जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत आवंटित राशि को अन्य मदों में व्यय करने की शिकायत किस-किस निकायों से प्राप्त हुई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत केन्द्र सरकार से 31-07-2011 तक कुल राशि रु. 59023.41 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है. वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :—

वर्ष	यू.आई.जी.	बी.एस.यू.पी.	राशि रुपये लाख में	
			यू.आई.डी. एस.एस.एम.टी.	आई.एच.एस.डी.पी.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2006-07	4800.00	0.00	2447.46	0.00
2007-08	1272.75	7804.00	4289.00	6098.23
2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00
2009-10	12739.60	0.00	0.00	4053.30
2010-11	0.00	9124.69	2447.46	303.24
2011-12	3643.68	0.00	0.00	0.00
योग	22456.03	16928.69	9183.92	10454.77

(ख) प्रश्नांश “क” में उल्लेखित आवंटन का निकायवार पुर्नआवंटन एवं व्यय की जानकारी परिशिष्ट पर †† संलग्न है. (ग) जे.एन.एन.यू.आर.एम. की यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजनांतर्गत बिलासपुर भूमिगत सिवरेज योजना में आवंटित राशि में से राशि रु. 9.00 करोड़ पूर्व में अन्य मद में परिवर्तन करने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी प्रतिपूर्ति वर्तमान में की जा चुकी है.

रायपुर के तालाबों का सौन्दर्यीकरण

27. (क्र. 727) **श्री कुलदीप सिंह जुनेजा** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर के तालाबों के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु प्रदेश के औद्योगिक घरानों को यह जिम्मेदारी दी गई है ? (ख) क्या समस्त तालाबों का सौन्दर्यीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं तो, किन-किन तालाबों का कार्य अपूर्ण है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जी हां. रायपुर के तालाबों के विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु कलेक्टर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा औद्योगिक घरानों को जिम्मेदारी दी गई है. जो प्रपत्र “अ” पर † संलग्न है. (ख) जी नहीं. अपूर्ण तालाबों की जानकारी प्रपत्र “ब” पर † संलग्न है.

रायपुर के शारदा चौक से तात्यापारा मार्ग का चौड़ीकरण

28. (क्र. 728) **श्री कुलदीप सिंह जुनेजा** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रायपुर उत्तर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत रायपुर के शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक का चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं तो, विलंब के क्या कारण हैं ? (ख) क्या उक्त क्षेत्र के प्रभावितों को मुआवजा दिया जा चुका है ? यदि हां तो, कितने प्रभावितों को किस दर पर कितना मुआवजा दिया गया है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जी नहीं. चूंकि सर्वेक्षण एवं योजना रूपांकन का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है. (ख) जी नहीं.

प्रदेश में स्थापित होने वाले विभिन्न उद्योगों को केन्द्र द्वारा प्रदत्त एन.ओ.सी.

29. (क्र. 746) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2011 तक छ.ग. प्रदेश में स्थापित होने वाले पावर प्रोजेक्ट/कोल ब्लाक/लौह खदान/बाक्सार्ट खदान को पर्यावरण का एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) केन्द्र शासन द्वारा एवं राज्य शासन द्वारा प्रदान किया गया है एवं किसको केन्द्र शासन द्वारा एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) 17 अगस्त, 2011 तक की स्थिति में प्राप्त नहीं हुआ है ? प्रोजेक्ट का नाम, खदान का नाम, उस संस्थान का नाम सहित प्राप्त एवं अप्राप्त एन ओ सी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) का तिथि सहित जानकारी दें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में निर्धारित केटेगरी “ए” श्रेणी के प्रश्नाधीन परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दी जाती है. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में निर्धारित केटेगरी “बी” श्रेणी के प्रश्नाधीन परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) द्वारा दी जाती है. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत प्रश्नाधीन परियोजनाओं को सम्मति दी जाती है. दिनांक 01-01-2005 से 17-08-2011 तक की अवधि में छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाले ताप विद्युत संयंत्रों/कोयला खदानों/लौह अयस्क खदानों/बाक्सार्ट खदानों के पर्यावरणीय स्वीकृति एवं सम्मति के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है.

प्रदेश में बीपीएल/एपीएल के अपात्र कार्डधारियों की जानकारी

30. (क्र. 747) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009-2010, 2010-2011 एवं वर्ष 2011-2012 में 17 अगस्त, 2011 तक की स्थिति में छ.ग. प्रदेश में बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. कार्डधारियों में से कितने हितग्राही अपात्र पाये गये ? वर्षवार, जिलेवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) में पूछे गये अपात्र कार्डधारी बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. में से कितने लोगों ने अपने कार्ड प्रशासन को वापस किये ? वर्षवार, जिलेवार विवरण (संख्या) दें ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है.

अम्बिकापुर शहर में निर्माणाधीन कुण्डला वसुंधरा सीटी के कालोनाईजर द्वारा राजस्व क्षति पर कार्यवाही

31. (क्र. 750) **श्री रामदेव राम** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अम्बिकापुर शहर में 2007 से निर्माणाधीन कुण्डला वसुंधरा सीटी के कालोनाईजर द्वारा शासन को पहुंचाई गई राजस्व क्षति के संबंध में विकास सहमति पत्र जारीकर्ता अधिकारी के संबंध में नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया गया था ? (ख) यदि हां तो, 31-07-2011 की स्थिति में कलेक्टर सरगुजा के जांच प्रतिवेदन पर नगरीय प्रशासन विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जी हां. (ख) दिनांक 31-07-2011 की स्थिति में कलेक्टर सरगुजा के जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोषी अधिकारी/कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना जारी की गयी थी. वर्तमान में सभी दोषी अधिकारी/कर्मचारियों को दो-दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड दिया गया है.

जिला रायपुर में घरेलू गैस के अवैध भण्डारण, कालाबाजारी के दर्ज प्रकरण

32. (क्र. 760) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले में संचालित गैस एजेंसियों द्वारा गैस की कालाबाजारी, अवैध भण्डारण, अवैध रिफिलिंग करने के कितने प्रकरण वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 और चालू वित्तीय वर्ष में दर्ज किये गए ? (ख) उक्त प्रकरणों पर क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) रायपुर जिले में संचालित गैस एजेंसियों द्वारा गैस की कालाबाजारी, अवैध भण्डारण के वर्ष 2009-10 में 3 प्रकरण वर्ष 2010-11 में 3 प्रकरण तथा वर्ष 2011-12 में (अगस्त 2011 तक) 2 प्रकरण दर्ज किये गये हैं. गैस एजेंसियों द्वारा अवैध रिफिलिंग के प्रकरण दर्ज नहीं किये गये हैं. (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने के विरुद्ध कार्यवाही

33. (क्र. 761) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) औद्योगिक क्षेत्र उरला-सिलतरा के किन-किन प्रदूषणकारी उद्योगों की आकस्मिक जांच 1 जनवरी, 2010 से 15 अगस्त, 2011 की अवधि में कब-कब की गई ? संयंत्रवार ब्यौरा दें ? (ख) क्या निरीक्षण के दौरान कंडिका “क” के उद्योगों द्वारा पर्यावरण नियमों का उल्लंघन पाया गया ? यदि हां तो, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“एक” पर है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“दो” पर है.

योजनावार कार्डधारियों को खाद्यान्न वितरण

34. (क्र. 769) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ में जिलेवार एपीएल, बीपीएल, अन्त्योदय, अन्नपूर्णा तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अलग-अलग कुल कितने-कितने राशनकार्डधारी हैं तथा इनको क्या-क्या सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में किस-किस दर में प्रदान की जाती है ? (ख) वर्ष 2011 में भारत सरकार से माहवार उक्त अलग-अलग योजनावार कार्डधारियों के लिए क्या-क्या सामग्री किस-किस दर में कितनी-कितनी मात्रा में आवंटित की गई तथा उठाव कितने-कितने का हुआ ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” एवं “ब” अनुसार है. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “स” अनुसार है.

बालको कोरबा द्वारा चिमनी का अवैध निर्माण

35. (क्र. 770) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालको कोरबा को चिमनी निर्माण हेतु कब स्वीकृति दी गई ? अवैध निर्माण ढहने पर विभाग द्वारा कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई थी ? (ख) उक्त निर्माण की अद्यतन स्थिति में ऊंचाई कितनी है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) नगर पालिक निगम, कोरबा एवं विभाग के द्वारा बालको को चिमनी निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गई है. नगर पालिक निगम कोरबा के द्वारा पृथक से विभागीय कार्यवाही नहीं की गई है, अपितु चिमनी ढहने पर तत्कालीन थाना प्रभारी, थाना बालको द्वारा अपराध क्र. 377/2009 धारा 304, 324, 326, 201, 34 आई.पी.सी. दि. 24-09-09 दर्ज कराई गई है. प्रकरण में चालान क्र. 1/10 दिनांक 03-01-10 एवं क्र. 01/ए/10 दिनांक 08-04-10 कोरबा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है. प्रकरण वर्तमान में मान. जिला एवं सत्र न्यायालय कोरबा में लंबित है. राज्य शासन द्वारा बकशी कमेटी गठित की गई है एवं वर्तमान में प्रकरण में सुनवाई जारी है. (ख) चिमनी ढहने के पश्चात् उक्त स्थल पर बालको द्वारा पुनः निर्माण नहीं किया गया है अर्थात् अद्यतन स्थिति में ऊंचाई निरंक (शून्य) है.

रायगढ़ जिले में जारी राशन कार्डों की संख्या

36. (क्र. 777) **श्री हृदय राम राठिया** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008 से 18-08-2011 तक की स्थिति में रायगढ़ जिले में कितने राशन कार्ड जारी किये गये ? वर्षवार जानकारी दें. (ख) सत्यापन के उपरांत कितने ए.पी.एल. तथा कितने बी.पी.एल. राशन कार्ड निरस्त किये गये ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) वर्ष 2008 में 28,126, वर्ष 2009 में 3,243, वर्ष 2010 में निरंक तथा वर्ष 2011 में प्रश्नांकित अवधि तक 6,393 राशनकार्ड जारी किये गये. (ख) पिछले वित्तीय वर्ष में एपीएल राशनकार्डों का सत्यापन नहीं कराया गया है. बीपीएल एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशनकार्डों के सत्यापन उपरांत 15,269 राशनकार्ड निरस्त किये गये.

नवीन धान खरीदी केन्द्र आरंभ किये जाने के मापदण्ड

37. (क्र. 802) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2011-12 में कितने नवीन धान खरीदी केन्द्र/उपकेन्द्र आरंभ किये जायेंगे ? विधान सभावार जानकारी प्रदान करें. (ख) प्रश्नांक "क" अनुसार नवीन धान खरीदी केन्द्र/उपकेन्द्र आरंभ किये जाने के मापदंड क्या हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) विगत वर्षों में उपार्जन केन्द्रों में उपार्जित धान की मात्रा, खरीदी केन्द्रों से संलग्न गांव की संख्या तथा उनकी दूरी, खरीदी केन्द्रों में धान जाम होने की स्थिति में कृषकों को धान विक्रय में असुविधा आदि को ध्यान में रखते हुए समस्त कलेक्टर एवं राज्य सहकारी बैंक से नये खरीदी केन्द्रों को खोलने के प्रस्ताव प्राप्त किये गये. इन प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत नये धान खरीदी केन्द्र खोले जा रहे हैं.

खल्लारी विधान सभा क्षेत्र के गरीबी रेखा कार्डों का सत्यापन

38. (क्र. 803) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खल्लारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत गरीबी रेखा कार्ड सत्यापन के बाद कितने कार्ड पात्र पाये गये एवं कितने कार्डों को अपात्र घोषित किया गया है ? (ख) खल्लारी विधान सभा क्षेत्र के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले कार्डधारियों के अलावा एपीएल कार्डधारियों को कितना-कितना चावल आवंटित किया जाता है ? पिछले 1 वर्ष में बीपीएल एवं एपीएल कार्डधारियों को आवंटित चावल की जानकारी सोसायटीवार प्रदान करने का कष्ट करेंगे ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में राशनकार्डों के सत्यापन के बाद 35,777 राशनकार्ड पात्र पाए गए एवं 3,316 राशनकार्ड अपात्र पाए गए. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है.

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “ एक ”

[तारांकित प्रश्न संख्या 02 (क. 128) की जानकारी]

जिला रायगढ़ में वर्ष 2010 एवं 2011 में दिनांक 30-06-2011 की स्थिति में कोयला खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के परिपेक्ष्य में कराये गये जन सुनवाई संबंधी जानकारी

क्र.	कोयला खदान का नाम एवं पता	जन सुनवाई तिथि	जन सुनवाई स्थल	मौखिक एवं लिखित रूप से दर्ज आपत्तियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मेसर्स जिन्दल पॉवर लिमिटेड, गारे IV/2 एवं IV/3 (सब ब्लॉक इन गारे पेलमा क्षेत्र) ग्राम—लिबरा, धौराभांठा, तहसील—तमनार, जिला—रायगढ़.	23-10-2010	ग्राम पंचायत धौराभांठा, तहसील—तमनार जिला—रायगढ़	135
2.	मेसर्स एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, (तिलाईपाली कोल ब्लॉक), ग्राम—बिच्छीनारा, कुदूरमौहा, तिलाईपाली, नयारामपुर, रायकेरा, सालहेपाली, चोटीगुडा, अजितगढ़, तहसील—घरघोड़ा, जिला—रायगढ़.	10-12-2010	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रायकेरा का मैदान तहसील—घरघोड़ा जिला—रायगढ़	818
3.	मेसर्स भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (दुर्गापुर II- तराईमार कोल ब्लॉक) ग्राम—तराईमार, बायसी, बायसी कॉलोनी, धरम कॉलोनी तथा रूपुंगा, विकासखण्ड एवं तहसील—धरमजयगढ़ जिला—रायगढ़.	30-01-2011	आ. जा. क. प्राथमिक शाला तिलाईमार के पीछे का मैदान विकासखण्ड एवं तहसील—धरमजयगढ़, जिला—रायगढ़	1226
4.	मेसर्स जामपाली खुली खदान प्रोजेक्ट एस. ई. सी. एल., ग्राम— जामपाली, तहसील—घरघोड़ा, जिला—रायगढ़.	19-02-2011	ग्राम जामपाली प्रस्तावित परियोजना स्थल, तहसील—घरघोड़ा जिला—रायगढ़	11
5.	मेसर्स डी. बी. पॉवर लिमिटेड, दुर्गापुर II/सरिया कोल ब्लॉक, मांड—रायगढ़ कोल फील्ड्स, ग्राम—तराईमार, बायसी, मेढरमार, धरमजयगढ़, धरमकालोनी तथा बायसीकॉलोनी विकासखण्ड एवं तहसील—धरमजयगढ़, जिला—रायगढ़.	28-02-2011	शासकीय प्राथमिक शाला, मेढरमार के समीप का मैदान, ग्राम मेढरमार, विकासखण्ड व तहसील—धरमजयगढ़, जिला—रायगढ़ (छ.ग.)	2453

परिशिष्ट “ दो ”

[तारांकित प्रश्न संख्या 03 (क. 175) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र “ अ ”

सत्यापन में सही पाये गये एवं निरस्त किये गये राशन कार्डों की विकासखण्डवार जानकारी

क.	विकासखण्ड का नाम	सत्यापन में सही पाये गये राशन कार्डों की संख्या	सत्यापन उपरांत अपात्र पाये जाने पर निरस्त किये गये राशन कार्डों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	महासमुन्द	36816	5757
2.	बागबाहरा	29053	2792
3.	पिथौरा	27657	2277
4.	सरायपाली	33454	1491
5.	बसना	31354	1956
	कुल	158334	14273

प्रपत्र “ ब ”

राशन कार्ड सत्यापन उपरांत जारी किये जा रहे एवं कटौती किये गये खाद्यान्न की विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	विकासखंड	आवंटित राशन सामग्री				कटौती की गई राशन सामग्री			
		चावल	गेहूं	शक्कर	नमक	चावल	गेहूं	शक्कर	नमक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	महासमुन्द	9260.93	2971.82	464.73	714.94	1413.27	451.48	73.66	113.36
2.	बागबाहरा	7382.53	2273.82	367.81	567.86	702.68	243.12	37.56	55.74
3.	पिथौरा	7103.69	2155.56	353.22	543.4	498.16	162.94	26.94	41.46
4.	बसना	8654.42	2482.28	426.14	655.56	414.7	141	22.03	33.92
5.	सरायपाली	8226.23	2340.72	395.3	608.18	482.13	152.92	24.45	37.68
योग		40627.8	12224.2	2007.2	3089.94	3510.94	1151.46	184.64	282.16

प्रपत्र “ स ”

राशन कार्ड सत्यापन के पश्चात् पात्र पाये गये हितग्राहियों को जारी किये गये कार्डों की विकासखण्डवार जानकारी

क. (1)	विकासखण्ड (2)	जारी राशन कार्डों की संख्या (3)
1.	महासमुन्द	475
2.	बागबाहरा	398
3.	पिथौरा	374
4.	सरायपाली	347
5.	बसना	450
	योग	2044

परिशिष्ट “ तीन ”

[तारांकित प्रश्न संख्या 04 (क. 774) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी]

शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालनकर्ता एजेंसी का नाम एवं स्थान (1)	संचालनकर्ता का नाम (2)	प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही (3)
ग्राम पंचायत, बांसडांड	श्री चक्रधर यादव	उचित मूल्य दुकान निरस्त की गई.
लक्ष्मी स्व-सहायता समूह भेड़ीमुड़ा-अ	श्रीमती उषा भगत	उचित मूल्य दुकान निरस्त की गई.
जगदम्बा स्व-सहायता समूह बरपाली	श्रीमती फूलवती बाई	उचित मूल्य दुकान निरस्त की गई.
वैभव लक्ष्मी स्व-सहायता समूह समकेरा	श्रीमती हेमवती गुप्ता	उचित मूल्य दुकान निरस्त की गई एवं श्रीमती हेमवती गुप्ता के विरुद्ध थाना तमनार में एफआईआर दर्ज कराया गया.

परिशिष्ट “ चार ”

[तारांकित प्रश्न संख्या 05 (क. 408) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “ अ ”

01 जनवरी 2010 से 31 जनवरी 2011 तक विकासखण्डवार छापामार कार्यवाही की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	स्थान	जप्त सामग्री की मात्रा (मात्रा क्विंटल में)			
			शक्कर	खाद्यान्न (चावल, धान, कनकी)	दाल दलहन	खाद्य तेल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	रायपुर शहर	गोंदवारा	640
2.	रायपुर शहर	गोंदवारा	320
3.	रायपुर शहर	कटोरा तालाब	365.50
4.	रायपुर शहर	भनपुरी	2396.50
5.	रायपुर शहर	गोंदवारा	160
6.	रायपुर शहर	भनपुरी	571.80
7.	तिल्दा	तिल्दा कैम्प	01	29.10
8.	तिल्दा	तिल्दा	..	240
9.	तिल्दा	तिल्दा	..	200
10.	तिल्दा	तिल्दा	..	160
योग			3883	600	..	609.90

प्रपत्र “ ब ”

01 जनवरी 2010 से 31 जनवरी 2011 तक विकासखण्डवार छापामार कार्यवाही की जानकारी

क.	फर्म का नाम एवं स्थान का नाम	जप्त किये गये वस्तु का नाम	जप्त मात्रा (क्विं. में)	प्रकरण में की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री रंजन कुमार सिंह, मैनेजर जैन ट्रांसपोर्ट, भनपुरी, रायपुर.	शक्कर	2396.50	फर्म द्वारा निर्धारित स्टॉक सीमा 1000 क्विंटल से अधिक जमा करने के कारण छत्तीसगढ़ अनुसूचित वस्तु व्यापारी अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बंधन आदेश 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया. कलेक्टर न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 02-03-2010 के तहत जप्तशुदा सामग्री की राशि बाजार मूल्य में से रु. 12.00 लाख शासन के पक्ष में राजसात की गई. इस प्रकरण में फर्म द्वारा मान. न्यायालय आयुक्त रायपुर में अपील की गई, जिसमें न्यायालय द्वारा कलेक्टर न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुये जप्त शुदा शक्कर को मुक्त किया गया.
2.	श्री निलेश राजेन्द्र काका मालिक फर्म क्रिस्टल किलयर वेज ऑयल भनपुरी रायपुर श्री रवि तायडे वल्द मधुकर तायडे सुपरवाइजर फर्म क्रिस्टल किलयर वेज ऑयल भनपुरी रायपुर.	रिफाईन्ड शीड ऑयल 3796 टिन (प्रति टिन 15 किलो) सोयाबीन ऑयल 16 टिन (प्रति टिन 15 किलो)	569.40 2.40	फर्म द्वारा निर्धारित स्टॉक सीमा 500 क्विंटल से अधिक जमा करने के कारण अनुसूचित वस्तु व्यापारी अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बंधन आदेश 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया. कलेक्टर न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 07-08-2010 के तहत जप्तशुदा 571.80 क्विं. खाद्य तेल में से 71.80 क्विं. खाद्य तेल को शासन के पक्ष में राजसात किया गया. फर्म द्वारा तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रायपुर में अपील किये जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा न्यायालय कलेक्टर रायपुर के निर्णय को अपास्त करते हुए पुनः सुनवाई कर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है. जिसके तहत प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन है.

परिशिष्ट " पांच "

[तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क. 706) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र " अ "

राजिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित दुकानों की जानकारी एवं कार्ड संख्या

विकासखण्ड फिरोश्वर

क्रमांक	दुकान की आई डी	संचालन एजेंसी का नाम	संचालित स्थल	कैसरिया (35)	स्लेटी (35 किलो)	बी.पी.एल (पीला)	अंत्योदय (बाल)	कैसरिया (10 किलो)	अन्नपूर्णा (बैंगनी)	चावल-निःशकजन (हरा)	कुल राशन कार्ड
1	442013001	सेवा सहकारी समिति फिरोश्वर	फिरोश्वर	113	375	331	213	32	10	5	1079
2	442013002	सेवा सहकारी समिति फिरोश्वर	बारुला	2	57	43	27	2	3	1	135
3	442013003	सेवा सहकारी समिति बोरसी	बोरसी	65	79	318	113	3	4	6	588
4	442013004	सेवा सहकारी समिति भसेरा	भसेरा	24	40	81	42	0	1	3	191
5	442013005	सेवा सहकारी समिति भसेरा	रोवा	29	23	85	30	0	0	10	177
6	442013006	सेवा सहकारी समिति भसेरा	सिरौकला	33	57	70	48	0	0	2	210
7	442013007	सेवा सह. समिति लघकेरा	लघकेरा	87	107	121	98	2	3	2	420
8	442013008	सेवा सह. समिति लघकेरा	जामगांव	12	50	75	45	0	2	0	184
9	442013009	सेवा सह. सहकारी समिति बेलर	बेलर	25	61	185	43	0	1	2	317
10	442013010	सेवा सहकारी समिति बेलर	पसरदाकला	16	49	241	65	0	1	2	374
11	442013011	सेवा सह.समिति बेलर	पतोरा	9	156	158	72	0	0	0	395
12	442013012	सेवा सहकारी समिति गुण्डरदेही	गुण्डरदेही	53	115	42	79	4	0	2	295
13	442013013	सेवा सह. समिति गुण्डरदेही	बोरिद	13	87	106	17	4	1	0	228
14	442013014	सेवा सहकारी समिति चरोदा	चरोदा	17	133	154	57	9	0	0	370
15	442013015	सेवा सहकारी समिति चरोदा	कुंडेल	29	116	66	52	4	0	0	267
16	442013016	ग्राम पंचायत खुटेरी	खुटेरी	36	7	93	25	9	4	3	177
17	442013017	सेवा सहकारी समिति राजिम	बरोण्डा	35	39	121	53	5	2	1	255
18	442013018	सेवा सहकारी समिति राजिम	किरबई	40	65	230	46	3	1	0	385
19	442013019	सेवा सहकारी समिति राजिम	बेलदुकारी	156	28	77	60	5	1	3	330
20	442013020	सेवा सहकारी समिति राजिम	लफदी	70	7	39	40	3	0	6	165
21	442013021	सेवा सहकारी समिति राजिम	सिंघौरी	19	16	96	30	2	0	2	165
22	442013022	सेवा सहकारी समिति कोपरा	कोपरा	90	103	395	118	14	0	3	723
23	442013023	सेवा सहकारी समिति कोपरा	सुरसाबांवा	98	17	160	67	11	10	13	376
24	442013024	सेवा सहकारी समिति कोपरा	देवरी	48	28	104	46	2	1	0	229
25	442013025	सेवा सहकारी समिति कोपरा	हर्दा	89	65	167	70	5	3	0	399
26	442013026	सेवा सहकारी समिति रक्शा	रक्शा	57	89	96	49	1	0	0	292
27	442013027	सेवा सहकारी समिति रक्शा	अरंज	33	91	129	24	1	1	1	280
28	442013028	सेवा सहकारी समिति रक्शा	परसदा जोशी	60	73	85	36	0	1	4	262
29	442013029	सेवा सहकारी समिति रक्शा	चावड़	30	18	174	48	5	0	1	276
30	442013030	सेवा सहकारी समिति कोन्दकेरा	कोन्दकेरा	17	212	327	63	9	2	1	631
31	442013031	सेवा सहकारी समिति लोहरसी	लोहरसी	18	86	194	95	3	6	2	404
32	442013032	सेवा सहकारी समिति बासीन	बासीन	45	208	289	70	2	1	2	617
33	442013033	सेवा सहकारी समिति बासीन	कोमा	76	69	143	41	5	1	2	337
34	442013034	सेवा सहकारी समिति बासीन	बकली	22	184	130	62	3	3	0	404
35	442013035	एक अंकार प्रा.उ.म. श्यामनगर	टेका	27	46	112	39	1	2	6	232
36	442013036	एक अंकार प्रा.उ.म. श्याम नगर	परतोवा	29	13	85	46	0	0	2	175
37	442013037	एक अंकार प्रा.उ.म.श्याम नगर	श्यामनगर चचौद	58	13	112	36	3	4	3	229
38	442013038	मां पावागढ प्रा. उ.म. बिनीरी	भैंडरी	39	95	54	40	0	2	0	230
39	442013039	मां पावागढ प्रा. उ.म.बिनीरी	चरमट्टी	21	19	93	34	0	3	3	173

दुकान की आई डी	संचालन एजेंसी का नाम	संचालित स्थल	केसरिया (35)	स्लेटी (35 किलो)	बी.पी.एस (पीला)	अंत्योदय (लास)	केसरिया (10 किलो)	अन्नपूर्णा (बैंगनी)	चावल-निःशक्कजन (हरा)	कुल राशन कार्ड	
442013040	रुद्रेश प्रा.स. उ.भण्डार पण्डरा	जैजरा	43	68	138	63	6	1	3	342	
442013041	रुद्रेश प्रा.स.उ.भ. पण्डरा	पसीप	28	43	145	34	0	1	1	252	
42 442013042	ग्राम पंचायत सेंदर	सेंदर	27	63	61	40	0	3	4	218	
43 442013043	ग्राम पंचायत घेतरा	घेतरा	12	66	68	31	5	1	0	181	
44 442013044	ग्राम पंचायत सिरीखुर्द	सिरीखुर्द	41	17	0	37	0	0	0	95	
45 442013045	ग्राम पंचायत पेण्डा	पेण्डा	28	77	70	53	0	0	1	229	
46 442013046	ग्राम पंचायत बोडकी	बोडकी	6	56	58	41	3	0	2	166	
47 442013047	ग्राम पंचायत चौबेबाँधा	चौबेबाँधा	13	57	76	38	0	0	5	189	
48 442013048	ग्राम पंचायत तरीघाट	तरीघाट	20	60	65	46	6	0	0	197	
49 442013049	ग्राम पंचायत, रजकट्टी	रजकट्टी	43	53	24	39	2	1	1	163	
50 442013050	सेवा सहकारी समिति	विनीरी	36	29	78	43	0	0	0	186	
51 442013051	सेवा सहकारी समिति	कोसमखुटा	35	51	58	43	0	1	0	186	
52 442013052	सेवा सहकारी समिति	नेण्ड्री	34	105	63	36	1	1	0	240	
53 442013053	सेवा सहकारी समिति	बहरापाल	15	3	103	18	0	1	2	142	
54 442013054	सेवा सहकारी समिति	सङ्कडा	55	70	30	51	0	0	0	206	
55 442013055	सेवा सहकारी समिति	कुडेल	20	73	89	12	1	0	2	197	
56 442013056	सेवा सहकारी समिति	रक्शा	5	49	50	35	0	0	1	140	
57 442013057	सेवा सहकारी समिति	धमनी	9	52	98	35	7	3	0	204	
58 442013058	सेवा सहकारी समिति	हथखोज	37	47	51	39	0	0	0	174	
59 442013059	सेवा सहकारी समिति	धुरसा	6	86	38	17	0	1	4	152	
60 442013060	सेवा सहकारी समिति	सहसपुर	22	18	102	22	1	1	0	166	
61 442013061	सेवा सहकारी समिति	रपेली	18	37	49	27	0	0	3	134	
62 442013062	सेवा सहकारी समिति	सेमहरतरा	31	12	27	12	6	1	7	96	
63 442013063	सेवा सहकारी समिति कोन्दकेरा	रोहिगा	43	118	64	39	4	0	0	268	
64 442013064	सेवा सहकारी समिति बासीन	बरभावा	31	41	76	31	1	0	0	180	
65 441012001	प्राथमिक कृषि साह समिति	राजिम शहरी क्षेत्र	893	240	267	97	92	14	4	1627	
66 441012002	कृषक सेवा सह. समिति	राजिम शहरी क्षेत्र	61	6	27	34	4	8	3	143	
योग			3352	4713	7595	3252	291	112	135	19450	
विकासखण्ड गरियाबंद											
1	442011001	बुन्दा विप. सहकारी समिति, गरियाबंद	गरियाबंद	163	318	386	140	32	7	5	2881
2	442011002	बुन्दा विप. सहकारी स., गरियाबंद	पाथरमोहदा	21	43	28	61	6	3	3	262
3	442011003	बुन्दा वि. सह. समिति, कोकडी	कोकडी	17	27	8	42	3	3	5	135
4	442011004	वि.स. स. समिति आमदी न	आमदी (न)	12	20	8	37	12	2	8	233
5	442011006	आ.जा.से.स.स. मालगांव	मालगांव	62	61	40	72	17	1	2	305
6	442011015	आ.जा.से.स.स.कोधवाय	कोधवाय	21	110	28	69	4	6	4	328
7	442011016	आ.जा.से.स.स. बहेरागुडा	बहेरागुडा	10	85	16	97	11	1	0	287
8	442011017	आ.जा.से.स.स. बारुका	बारुका	10	55	22	101	1	1	1	237
9	442011019	आ.जा.से.स.स. हरदी	हरदी	71	139	62	60	1	2	8	425
10	442011027	आ.जा.से.स.स. आमदी (द)	आमदी (द)	31	154	10	20	12	5	2	330
11	442011037	आदिम जाति सेवा सह. स. बहेरागुडा	घुटकू नवापारा	26	93	52	55	5	2	6	309
12	442011039	आ. जा. से. स., कोधवाय	कस	40	65	52	75	5	4	1	242
13	442011042	ग्राम पंचायत कसेरु	कसेरु	48	85	33	81	9	6	1	405
14	442011048	ग्राम पंचायत, बरबहरा	बरबहरा	18	92	16	99	9	1	0	264
15	442011055	सहकारी विधानन एवं प्रक्रिया संस्था मर्यादित	कोदोबत्तर	12	57	19	103	5	1	0	245
योग			662	1404	760	1112	132	45	46	6888	

दुकान की आई डी	संचालन एजेंसी का नाम	संचालित स्थल	केसरिया (35)	स्लेटी (35 किलो)	बी.पी.एल (पीता)	अंत्योदय (लाल)	केसरिया (10 किलो)	अन्नपूर्णा (बैंगनी)	घायल-नि:शक्तजन (हरा)	कुल राशन कार्ड
विकासखण्ड छुरा										
442012001	विपणन सहकारी समिति(छुरा)	धुरा	20	218	328	122	13	9	3	1078
442012002	विपणन सहकारी समिति(छुरा)	दंगनाबासा	5	111	130	38	15	1	0	312
442012004	विपणन सहकारी समिति(छुरा)	हरदी	23	102	49	35	5	1	1	264
442012005	आ. सेवा सह. समिति खडमा	खडमा	45	95	17	38	11	0	4	317
442012006	आ. सेवा सह. समिति खडमा	पुकिठिया	24	82	107	40	23	3	0	336
442012007	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति पिपरछेडी	पीपरछेडी	3	102	22	57	5	1	0	222
442012008	सेवा सह. समिति खडमा	कनेसर	9	153	77	57	18	4	0	349
442012009	सेवा सह. समिति खडमा	लोहझर	92	153	109	81	14	1	0	551
442012010	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कोडेरादादर	मुकीपानी	22	187	19	73	22	2	2	349
442012011	आ.सेवा सह. समिति खडमा	रवेसी	13	88	99	69	12	0	2	345
442012012	आ.सेवा सह. समिति पाण्डुका	पाण्डुका	40	40	158	57	21	0	2	864
442012013	आदिम जा.से.स.पाण्डुका	पोड़	64	118	121	85	16	3	3	516
442012014	आ. जा. सेवा सह. स. पाण्डुका	घटकरा	54	80	59	85	35	2	14	482
442012015	आ. जा. सेवा सह. स. अतरमरा	अतरमरा	27	31	119	37	22	1	4	522
442012016	आदिमजाति सेवा सह. स. पाण्डुका	सांकरा	4	75	17	18	13	1	4	330
442012017	आदिमजाति सेवा सह. स.पाण्डुका	कुरुद	45	33	64	38	8	0	0	311
442012018	आदिमजाति सेवा सह.स.पाण्डुका	मुरमुरा	8	113	120	56	16	1	0	367
442012020	आदिमजाति सेवा सह. स. छुरा	सेम्हरा	8	94	83	49	15	0	1	290
442012021	आदिमजाति सेवा सह. स. छुरा	पिपराडी	4	128	73	47	14	1	0	350
442012027	आदिमजाति सेवा सह. स.सिवनी	सिवनी	14	123	55	44	20	0	1	294
442012031	आदिमजाति से.स.स.पाटसिवनी	पाटसिवनी	34	133	48	51	6	2	0	424
442012032	आदिमजाति से.स.स.पाटसिवनी	परसदाखुद	28	140	56	53	3	3	4	337
442012033	आ.जा.से.स.स.रानीपरतेवा	रानीपरतेवा	22	55	161	54	4	0	0	558
442012035	आदिमजाति सेवा सह.स.रानीपरतेवा	मुडागांव	44	85	39	42	6	1	0	369
442012036	आ.जाति सेवा सह. स.अफलवारा	अफलवारा	48	86	62	51	10	0	10	320
442012037	आदिमजाति सेवा सह. स.सौरिद	सौरिदखुद	79	62	29	59	3	1	0	330
442012039	आदिमजाति सेवा सह. स.घरोदा	मोंगस	19	97	19	38	17	2	0	237
442012043	मां रत्नादेवी प्राथ सह उपभोक्ता भंडार, मुडीपानी	अमलौर	12	164	109	55	28	1	1	475
442012044	मां चन्द्रहासिनी उप. स.मुण्डरा	कसेकेरा	3	62	56	27	5	1	1	205
442012045	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति पाण्डुका ,सांकरा	तौरंगा	16	59	29	64	7	2	0	247
442012046	ग्राम पंचायत पंडरापानी(गौड़)	पंडरीपानी (गौड़)	1	224	9	59	4	3	0	343
442012049	आदिम जाति सेवा सह. समिति खडमा	मडेली	26	163	42	55	22	0	4	527
442012051	ग्राम पंचायत खैरझिटी	खैरझिटी	11	153	46	24	16	0	3	368
442012052	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति दुल्हा	मैसामुडा	9	127	69	33	13	2	0	283
442012056	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कंजसिंगी में संलग्न	भरवामुडा	3	214	37	85	15	1	2	402
442012058	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सौरिद खुद में संलग्न	साजापाली	16	178	104	74	7	2	2	476
442012059	ग्राम पंचायत बिरनीबाहरा	बिरनीबाहरा	5	7	23	44	0	0	2	194
442012060	आ. जा. सेवा सह. स. सौरिद खुद	अमेठी	17	117	19	46	0	0	0	226
442012061	ग्राम पंचायत, कोसेमबुडा	कुसुमुबुडा	4	84	57	29	2	1	2	240
442012062	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति गायडबरी	गायडबरी	1	108	11	76	4	0	2	202
442012064	सेवा सहकारी समिति	डोडराबांवा	23	79	39	53	17	0	7	260
442012065	सेवा सहकारी समिति	अतरमरा	15	61	125	35	14	1	6	457
442012066	सेवा सहकारी समिति	सडकडा	61	43	81	40	11	2	0	448
442012067	सेवा सहकारी समिति	कूटेना	18	182	185	49	15	2	0	556

दुकान की आई डी	संचालन एजेंसी का नाम	संचालित स्थल	केसरिया (35)	स्टेटी (35 किलो)	बी.पी.एल (पीला)	अंत्योदय (लाख)	केसरिया (10 किलो)	अन्नपूर्णा (बैंगनी)	धायल-नि:शकजन (हरा)	कुल राशन कार्ड
442012069	सेवा सहकारी समिती	पिपरहट्टा	55	103	84	60	7	3	0	350
442012070	सेवा सहकारी समिती	गाड़ाघाट	13	29	71	25	8	0	7	153
योग			1107	4941	3437	2412	562	61	94	17436
महायोग			5021	11058	11812	6776	985	218	276	43774

प्रपत्र “ ब ”

राशन कार्ड की योजनावार जानकारी निम्नवत् है :-

केसरिया 35 किलो (1)	स्लेटी (2)	पीला (3)	अन्त्योदय (4)	केसरिया 10 किलो (5)	अन्नपूर्णा (6)	हरा (7)	योग (8)
5021	11058	11812	6776	985	218	275	43774

योजनावार प्रति कार्ड पर प्रदाय राशन सामग्री की मात्रा :-

योजना का नाम (1)	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		शक्कर (6)	नमक (7)
	चावल (2)	गेहूँ (3)	चावल (4)	गेहूँ (5)		
केसरिया 35 किलो	35 किलो	—	25 किलो	10 किलो	1.300 किलो	02 किलो
स्लेटी	35 किलो	—	25 किलो	10 किलो	1.300 किलो	02 किलो
बी. पी. एल. पीला	35 किलो	—	25 किलो	10 किलो	1.300 किलो	02 किलो
अन्त्योदय	35 किलो	—	35 किलो	—	1.300 किलो	02 किलो
केसरिया 10 किलो	10 किलो	—	10 किलो	—	1.300 किलो	02 किलो
अन्नपूर्णा	10 किलो	—	10 किलो	—	1.300 किलो	02 किलो
हरा	10 किलो	—	10 किलो	—	1.300 किलो	02 किलो

परिशिष्ट "छः"

[तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क. 563) के भाग (ख) की जानकारी]

क्र.	जिले का नाम	नगर निगम	नगर पालिका	नगर पंचायत	निकाले गये दै. वे. भो. कर्मचारियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रायपुर	रायपुर			0
2.			भाटापारा		178
3.			तिल्दानेवरा		42
4.			गोबरानवापारा		65
5.			बलौदाबाजार		42
6.			बीरगांव		82
7.				आरंग	34
8.				सिमगा	23
9.				भटगांव	12
10.				अभनपुर	35
11.				खरौरा	0
12.				लवन	3
13.				राजिम	17
14.				कसडोल	0
15.				पलारी	0
16.				गरियाबंद	30
17.				फिंगेश्वर	0
18.				माना कैम्प	0
19.				टुण्डरा	15
20.				छुरा	0
21.				कुंरा	0
22.				बिलाईगढ़	0
23.	धमतरी		धमतरी		0
24.				कुरुद	0
25.				मगरलोड	0
26.				नगरी	9
27.				भखारा	0
28.				आमदी	0
29.	महासमुंद		महासमुंद		0
30.				बागबाहरा	43
31.				पिथौरा	0
32.				सरायपाली	25
33.				बसना	0
34.				तुमगांव	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35.	दुर्ग	दुर्ग			72
36.		भिलाई			0
37.			दल्लीराजहरा		0
38.			भिलाईचरौदा		0
39.			बेमेतरा		26
40.			बालौदा		79
41.			जामुल		0
42.			कुम्हारी		0
43.				अहिवारा	0
44.				धमधा	0
45.				पाटन	0
46.				खम्हरिया	0
47.				गुण्डरदेही	13
48.				डोंडी	22
49.				साजा	0
50.				डौंडीलोहारा	0
51.				देवकर	0
52.				बेरला	16
53.				गुरुर	18
54.				परपोड़ी	08
55.				नवागढ़ (दुर्ग)	19
56.				मारो	0
57.				अर्जुन्दा	0
58.				उतई	12
59.				चिखलाकसा	0
60.	राजनांदगांव	राजनांदगांव			260
61.			डोंगरगढ़		56
62.			खैरागढ़		62
63.				गण्डई	27
64.				छुईखदान	34
65.				अम्बागढ़ चौकी	31
66.				डोंगरगांव	0
67.				छुरिया	6
68.	कबीरधाम		कवर्धा		4
69.				पंडरिया	0
70.				बोड़ला	0
71.				पाण्डातराई	0
72.				सहसपुर—लोहारा	0
73.				पिपरिया	0
74.	बस्तर	जगदलपुर			665
75.			कोण्डागांव		89
76.				केसकाल	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
77.				फरसगांव	0
78.				बस्तर	0
79.				विश्रामपुरी	0
80.	नारायणपुर			नारायणपुर	0
81.	उत्तर बस्तर		कांकेर		0
82.				भानुप्रतापपुर	0
83.				चरामा	0
84.				पखांजूर	0
85.				अंतागढ़	0
86.				नरहरपुर	0
87.	दक्षिण बस्तर		किरन्दुल		0
88.			बड़ी बचेली		0
89.				दंतेवाड़ा	0
90.				सुकमा	0
91.				गीदम	0
92.				बारसूर	0
93.				दोरनापाल	0
94.				कोण्टा	0
95.	बीजापुर			बीजापुर	0
96.				भैरमगढ़	0
97.				भोपालपट्टनम	0
98.	बिलासपुर	बिलासपुर			274
99.			मुंगेली		0
100.				कोटा	29
101.				तखतपुर	34
102.				बोदरी	0
103.				बिल्हा	0
104.				रतनपुर	0
105.				गौरेला	0
106.				पेण्ड्रा	40
107.				लोरमी	14
108.				पथरिया	20
109.				मल्हार	0
110.				तिफरा	0
111.				सिरगिट्टी	0
112.				सरगांव	0
113.				सकरी	18
114.	कोरबा	कोरबा			0
115.			दीपिका		0
116.				कटघोरा	32
117.				पाली	0
118.				छुरीकला	27

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
119.	जांजगीर-चांपा		जांजगीर-नैला		75
120.			चांपा		0
121.			सक्ती		0
122.			अकलतरा		43
123.				नयाबाराद्वार	43
124.				बलौदा	16
125.				खरौद	16
126.				शिवरीनारायण	16
127.				अड़भार	15
128.				जैजेपुर	0
129.				उभरा	4
130.				चन्द्रपुर	0
131.				सारागांव	3
132.				नवागढ़	0
133.				राहौद	0
134.	रायगढ़	रायगढ़			419
135.			खरसिया		25
136.				धर्मजयगढ़	18
137.				सारंगढ़	51
138.				घरघोड़ा	17
139.				लैलूंगा	1
140.				सरिया	0
141.				बरमकेला	15
142.				किरोड़ीमलनगर	0
143.				पुसौर	6
144.	जशपुरनगर		जशपुरनगर		0
145.				पत्थलगांव	0
146.				कोतबा	0
147.				बगीचा	21
148.	सरगुजा	अम्बिकापुर			102
149.			सूरजपुर		21
150.				रामानुजगंज	0
151.				विश्रामपुर	0
152.				सीतापुर	0
153.				कुसमी	14
154.				बलरामपुर	0
155.				राजपुर	0
156.				लखनपुर	0
157.				प्रतापपुर	29
158.				वाड़फनगर	0
159.				भटगांव	0
160.				जरही	16
161.				प्रेमनगर	13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
162.	कोरिया	चिरमिरी			6
163.			महेन्द्रगढ़		103
164.			बैकुण्ठपुर		0
165.			शिवपुरचरचा		0
166.				झगराखण्ड	24
167.				खोगापानी	26
168.				नई लेदरी	17
योग	18	10	32	126	3837

परिशिष्ट “ सात ”

[तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क. 715) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “ अ ”

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में राशनकार्डों के सत्यापन उपरांत निरस्त किये गये राशनकार्डों की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिले का नाम	निरस्त किये गये राशनकार्डों की जानकारी		
		शहरी	ग्रामीण	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	धमतरी	1494	4698	6192
2.	बस्तर	7342	22704	30046
3.	कवर्धा	2771	11191	13962
4.	जशपुर	1618	9470	11088
5.	रायगढ़	5387	9882	15269
6.	कांकेर	1551	9768	11319
7.	दंतेवाड़ा	2460	3179	5639
8.	दुर्ग	33416	18651	52067
9.	सरगुजा	5422	27577	32999
10.	रायपुर	47292	39620	86912
11.	कोरबा	5272	10224	15496
12.	जांजगीर—चांपा	7433	13602	21035
13.	कोरिया	3840	3693	7533
14.	नारायणपुर	1113	668	1781
15.	बिलासपुर	12314	24505	36819
16.	बीजापुर	730	2081	2811
17.	महासमुंद	4378	9895	14273
18.	राजनांदगांव	12830	11478	24308

प्रपत्र “ ब ”

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में राशनकार्डों के सत्यापन उपरांत फर्जी एवं मृत व्यक्तियों के राशनकार्डों की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिले का नाम	मृत व्यक्तियों के प्रचलन में पाये गये राशनकार्डों की जानकारी	फर्जी पाये गये राशनकार्डों की जानकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	धमतरी	0	0
2.	बस्तर	10987	0
3.	कवर्धा	951	0
4.	जशपुर	0	0
5.	रायगढ़	0	0
6.	कांकेर	2102	0
7.	दंतेवाड़ा	0	0
8.	दुर्ग	1180	0
9.	सरगुजा	494	0
10.	रायपुर	2144	0
11.	कोरबा	566	0
12.	जांजगीर-चांपा	629	0
13.	कोरिया	814	0
14.	नारायणपुर	0	0
15.	बिलासपुर	887	0
16.	बीजापुर	39	0
17.	महासमुंद	720	0
18.	राजनांदगांव	1031	0

परिशिष्ट “ आठ ”
[तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क. 669) के भाग (ख) की जानकारी]

(मात्रा विं. में)

क्र.	माह	वर्ष 2009		वर्ष 2010		वर्ष 2011	
		आवंटन (3)	भंडारण (4)	आवंटन (5)	भंडारण (6)	आवंटन (7)	भंडारण (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	जनवरी	—	—	20	20	20	20
2.	फरवरी	—	—	20	20	20	20
3.	मार्च	—	—	20	20	20	20
4.	अप्रैल	20	20	20	20	20	20
5.	मई	20	20	20	20	10	10
6.	जून	20	20	20	20	10	10
7.	जुलाई	20	20	20	20	10	10
8.	अगस्त	20	20	20	20	—	—
9.	सितंबर	20	20	20	20	—	—
10.	अक्टूबर	20	20	20	20	—	—
11.	नवम्बर	20	20	20	20	—	—
12.	दिसंबर	20	20	20	20	—	—
योग		180	180	240	240	110	110

परिशिष्ट “ नौ ”

[तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क. 574) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र “ अ ”

क्र.	निकाय का नाम	टॉवरों की संख्या	मोबाईल कंपनी का नाम	अनुमति दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	न. पा. जांजगीर-नैला	18	1. टाटा टेल घासीदास प्लाजा, जी. ई. रोड रायपुर 2. बी. टी. एल. सेलकॉम लिमिटेड (आइडिया सेलूलर) 3. टाटा टेल घासीदास प्लाजा, जी. ई. रोड रायपुर 4. भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड 5. बी. टी. एल. सेलकॉम लिमिटेड (आइडिया सेलूलर) 6. रिलायंस इन्फ्राटेल लिमिटेड रायपुर 7. रिलायंस इन्फ्राटेल लिमिटेड रायपुर 8. वोडाफोन एस्सार टेल लिमिटेड भोपाल 9. वोडाफोन एस्सार टेल लिमिटेड भोपाल 10. भारती इन्फ्राटेल लि. नई दिल्ली 11. वायरलेस टाटा टेलीकाम इन्फो सर्विस लि. भोपाल 12. रिलायंस इन्फ्राटेल लिमिटेड रायपुर 13. भारतीय संचार निगम लिमिटेड 14. एयरटेल 15. एयरटेल 16. एयरटेल 17. एयरटेल 18. जी. टी. एल. लिमिटेड	23-11-2006 26-03-2007 04-03-2008 07-07-2008 11-07-2008 15-10-2008 12-01-2009 19-01-2009 19-01-2009 07-02-2009 17-02-2009 12-01-2009 14-08-2008 24-08-2006 07-10-2005 07-10-2005 07-10-2005 10-12-2010
2.	न. पा. चांपा	19	1. आइडिया 2. टाटा टेली सर्विस 3. रिलायंस इन्फोकाम 4. एयरटेल 5. एयरटेल 6. एयरटेल 7. आइडिया 8. भारत दूरसंचार निगम 9. भारत दूरसंचार निगम 10. भारत दूरसंचार निगम 11. आइडिया 12. वायरलेस टी. टी. इन्फोसर्विस लिमिटेड 13. रिलायंस टेलीकॉम 14. भारती इन्फोटेल 15. वोडाफोन 16. वोडाफोन 17. वायरलेस टी. टी. सर्विस लिमिटेड 18. क्वाइपो टेलीकॉम इन्फ्रस्ट्रक्चर लिमिटेड 19. जी. टी. एल. इन्फ्रस्ट्रक्चर लिमिटेड	05-06-04 28-05-05 03-08-05 27-08-05 27-08-05 27-08-05 04-05-06 14-08-06 14-08-06 11-02-08 16-05-08 27-11-08 15-10-08 23-01-09 18-03-09 18-03-09 07-10-09 30-01-10 10-01-11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	न. पा. सक्ती	11	1. रिलायंस 2. एयरटेल 3. एयरटेल 4. आइडिया 5. टाटा इंडिकाम 6. रिलायंस 7. बी. एस. एन. एल. 8. रिलायंस 9. क्यूपो टेलीकॉम 10. वोडाफोन 11. वोडाफोन	05-07-05 26-09-05 22-11-06 24-11-06 27-12-06 26-07-07 26-10-08 23-10-08 22-01-09 04-01-10 04-01-10
4.	न. पा. अकलतरा	08	1. बी. टी. ए. सेलकाम लि. (आइडिया) 2. भारती सेलूलर (एयरटेल) 3. रिलायंस इन्फोटेक लि. 4. भारती टेलीविंचर्स लि. (एयरटेल) 5. भारत संचार निगम लि. 6. रिलायंस टेलीकाम इन्फ्रस्ट्रक्चर लि. 7. वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लि. 8. टी. टी. इन्फो सर्विसेस लि.	15-03-05 20-10-05 26-08-06 19-07-07 05-12-08 15-02-08 03-07-09 19-11-09
5.	न. पं. नयाबाराद्वार	06	1. रिलायंस टेलीकाम लिमिटेड 2. भारती एयरटेल 3. बी. टी. ए. सेलकाम (आइडिया) 4. वोडाफोन 5. टाटा टेली सर्विसेज 6. बी. एस. एन. एल.	21-09-06 29-01-07 28-04-07 12-01-09 03-11-07 19-09-08
6.	न. पं. बलौदा	04	1. भारती टेल वेन्चर्स लिमिटेड, इंदौर 2. बी. टी. ए. (आइडिया) सेलकाम इंदौर 3. रिलायंस टेलीकाम लिमिटेड भोपाल 4. टाटा डोकोमो क्यूपो टेलीकाम लिमिटेड भोपाल	24-06-06 03-07-06 19-03-07 26-09-10
7.	न. पं. खरौद	02	1. रिलायंस टेलीकाम 2. भारतीय एयरटेल लिमिटेड इंदौर	26-10-07 28-02-07
8.	न. पं. शिवरीनारायण	05	1. बी. टी. ए. सेलकाम लिमिटेड आइडिया 2. रिलायंस टेलीकाम लिमिटेड रायपुर 3. टाटा इंडिकाम दूरसंचार भोपाल 4. बी. एस. एन. एल. बिलासपुर 5. एयरटेल भारतीय लिमिटेड इंदौर	05-11-06 13-09-06 13-06-08 11-12-07 31-01-07
9.	न. पं. अडभार	02	1. एयरटेल 2. आइडिया	2007-08 2007-08

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	न. पं. जैजेपुर	05	1. टाटा इंडिकाम 2. आइडिया 3. एयरटेल 4. बी. एस. एन. एल. 5. रिलायंस	पंचायतकालीन पंचायतकालीन पंचायतकालीन पंचायतकालीन पंचायतकालीन
11.	न. पं. डभरा		निरंक	
12.	न. पं. चन्द्रपुर		निरंक	
13.	न. पं. सारागांव	03	1. बी. एस. एन. एल. 2. एयरटेल 3. रिलायंस	पंचायतकालीन पंचायतकालीन पंचायतकालीन
14.	न. पं. नवागढ़	03	1. बी. एस. एन. एल. 2. एयरटेल 3. रिलायंस	पंचायतकालीन पंचायतकालीन पंचायतकालीन
15.	न. पं. राहौद	01	1. टावर विजन इंडिया प्रायवेट लिमिटेड (विडियोकान)	27-12-10

प्रपत्र "ब"

क्र.	निकाय का नाम	दि. 16-08-11 तक की स्थिति में अवैध मोबाइल टॉवरों की संख्या	मोबाइल कंपनी का नाम	स्थल का नाम	अवैध मोबाइल टॉवरों के विरुद्ध की गई कार्यवाही
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	न. पा. जांजगीर-नैला	02	1. भारत संचार निगम लिमिटेड 2. भारत संचार निगम लिमिटेड	केरा रोड, वार्ड क्र. 19 नेताजी चौक, वार्ड क्र. 16	अवैधानिक मोबाइल टावर को विधिसम्मत कार्यवाही हेतु नोटिस जारी किया है. अवैधानिक मोबाइल टावर को विधिसम्मत कार्यवाही हेतु नोटिस जारी किया है.
2.	न. पा. चांपा			निरंक	
3.	न. पा. सक्ती			निरंक	
4.	न. पा. अकलतरा	02	1. वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लि. 2. भारत संचार निगम लिमिटेड	जय हिन्द नगर में वार्ड क्र. 02 कालेज रोड वार्ड क्र. 12	नोटिस क्र. 320 दि. 08-04-11 एवं 324 दि. 08-04-11 जारी किया गया है. नोटिस क्र. 320 दि. 08-04-11 एवं 324 दि. 08-04-11 जारी किया गया है.
5.	न. पं. नयाबाराद्वार			निरंक	
6.	न. पं. बलौदा			निरंक	
7.	न. पं. खरौद			निरंक	
8.	न. पं. शिवरीनारायण			निरंक	
9.	न. पं. अड़भार	01	1. बी. एस. एन. एल.	वार्ड क्र. 05	निकाय में स्थापित बी. एस. एन. एल. मोबाइल टावर के विरुद्ध दि. 02-07-11 को नोटिस क्रमांक 878 जारी किया गया है. जिसमें आगे कार्यवाही की जा रही है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	न. पं. जैजपुर			निरंक	
11.	न. पं. डभरा	06	1. एयरटेल 2. आइडिया 3. रीम 4. स्मार्ट 5. वोडाफोन 6. बी. एस. एन. एल.	वार्ड क्र.06 वार्ड क्र.06 वार्ड क्र.06 वार्ड क्र.06 वार्ड क्र.06 वार्ड क्र.03	कार्यालय न. पं. डभरा द्वारा अवैध मोबाइल टावरों के विरुद्ध में अनुमति हेतु मोबाइल टावरों के प्रबंधकों को 03 बार सूचना दी जा चुकी है, जो कि क्र. 37 दि. 05-06-09 (एयरटेल/आइडिया/रीम/स्मार्ट), क्र. 117 दि. 07-05-10 (एयरटेल/आइडिया/रीम/स्मार्ट/वोडाफोन), क्र. 432 दि. 29-10-10 (बी. एस. एन. एल.) है तथा प्रेस में विज्ञप्ति नवभारत शनिवार 8 मई 2010 को अंतिम सूचना जारी की गई है तथा साथ ही नगर पंचायत कार्यालय की ओर से सहायक यंत्री को (वितरण) पत्र क्र. 430/टा. स्था./न. पं./2010 दि. 29-10-10 छ. ग. रा. वि. क्र. मर्या. डभरा को उक्त अवैध मोबाइल टावरों की विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने की कार्यवाही का पत्र व्यवहार किया जा चुका है.
12.	न. पं. चन्द्रपुर	06	1. भारतीय टेलीकाम लिमिटेड 2. एस्सार टेलीकाम लिमिटेड 3. रिलायंस टेलीकाम कम्युनिकेशन 4. वोडाफोन टेलीकाम लिमिटेड 5. भारतीय टेलीकाम लिमिटेड 6. भारत संचार निगम लिमिटेड	वार्ड क्र. 12, पठान पारा चंद्रपुर. वार्ड क्र. 12, पठान पारा चंद्रपुर. वार्ड क्र. 14, विडियो हाल के पास, चंद्रपुर. वार्ड क्र. 12, भुसा गली चंद्रपुर. वार्ड क्र. 07, देशी शराब दुकान के पास चंद्रपुर. वार्ड क्र. 05, मेन रोड चंद्रपुर	अवैध टावर के विरुद्ध नियमितीकरण/नवीनीकरण की कार्यवाही हेतु आम सूचना दिनांक 13-04-10 के दैनिक नवभारत बिलासपुर में प्रकाशन कराकर पृ. क्र. 23/न. पं./2010 चन्द्रपुर दि. 13-04-10 को संबंधितों को सूचना भेजी गई है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	न. पं. सारागांव			निरंक	
14.	न. पं. नवागाढ़			निरंक	
15.	न. पं. राहौद	04	<ol style="list-style-type: none"> 1. रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड 2. भारती इन्फ्राटेल लिमिटेड 3. आइडिया 4. भारत संचार लिमिटेड 	<p>वार्ड नं. 05 मेन रोड राहौद</p> <p>वार्ड नं. 06 मेन रोड राहौद</p> <p>वार्ड नं. 06 मेन रोड राहौद</p> <p>वार्ड नं. 06 मेन रोड राहौद</p>	<p>अवैध मोबाइल टावरों को नियमित करने</p> <p>नगर पंचायत के सूचना पत्र दि. 26-11-10</p> <p>एवं स्मरण पत्र दिनांक 10-01-11 को</p> <p>संबंधितों को दी गई है.</p>

परिशिष्ट “ दस ”
[तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क. 762) की जानकारी]

नगर पंचायत नगरी

(वर्ष 2009-10)

क्र. (1)	मद (2)	कार्य विवरण (3)	जारी की गई राशि (4)	दिनांक (5)
1.	अधोसंरचना	कार्यालय भवन	10.00	01-06-09
2.	—, —	वार्डवार मूलभूत विकास कार्य	25.00	17-06-09
3.	12वां वित्त आयोग	12वां वित्त आयोग	10.00	06-08-09
4.	झु. झो. पेयजल व्यवस्था	झु. झो. पेयजल व्यवस्था	5.00	17-08-09
5.	झु. झो. क्षेत्रों में पेयजल, शौचालय व्यवस्था.	झु. झो. क्षेत्रों में पेयजल, शौचालय व्यवस्था.	1.67	15-02-10
6.	अधोसंरचना	कार्यालय भवन	10.00	15-02-10

(वर्ष 2010-11)

क्र. (1)	मदवार (2)	कार्य विवरण (3)	जारी की गई राशि (4)	आदेश क्र./ दिनांक (5)
1.	पार्षद निधि	पार्षद निधि	7.50	01-05-10
2.	झु. झो. क्षेत्रों में पेयजल, शौचालय व्यवस्था.	पेयजल व्यवस्था	5.00	04-05-10
3.	मुक्तिधाम योजना	खसरा 2504 में मु. धा. निर्माण	2.66	3-9-10
4.	सार्वजनिक प्रसाधन योजना	गुढ़ियारी तालाब के पास	2.66	16-11-10
5.	हाट बाजार समृद्धि का आधार	बुधवारी बाजार में हाट बाजार निर्माण	13.33	16-11-10
6.	अधोसंरचना	अधोसंरचना विकास कार्य हेतु	12.50	13-12-10
7.	पु. वाटिका उद्यान योजना	वार्ड 1 पेट्रोल पम्प के पास उद्यान निर्माण.	3.20	24-12-10
8.	सा. भवन योजना	वार्ड 7 हाई स्कूल ग्राउंड के पास सा. भ. नि.	8.33	24-12-10
9.	राज्य वित्त आयोग	कार्यालय भवन की शेष राशि	4.87	10-01-11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	अधोसंरचना	पेयजल व्यवस्था	10.00	22-02-11
11.	अधोसंरचना	अधोसंरचना विकास कार्य हेतु	55.00	23-02-11
12.	---,,---	अधोसंरचना विकास कार्य हेतु	11.06	11-03-11
13.	---,,---	एल्डमेन की राशि (नामांकित पार्षद)	2.00	11-03-11
14.	अधोसंरचना (एकमुश्त अनुदान)	अधोसंरचना विकास कार्य (एकमुश्त अनुदान)	25.00	11-03-11

नगर पंचायत मगरलोड

(वर्ष 2009-10)

क्र. (1)	मदवार (2)	कार्य विवरण (3)	जारी की गई राशि (4)	दिनांक (5)
1.	अधोसंरचना	कार्यालय भवन हेतु	10.00	01-06-09
2.	---,,---	वार्डवार मूलभूत विकास कार्य हेतु	25.00	17-06-09
3.	12वां वित्त आयोग	12वां वित्त आयोग	10.00	06-08-09
4.	अधोसंरचना	कार्यालय भवन हेतु	10.00	15-02-10
5.	अधोसंरचना	पेयजल व्यवस्था	5.00	15-03-10

(वर्ष 2010-11)

क्र. (1)	मद (2)	कार्य विवरण (3)	जारी की गई राशि (4)	आदेश क्र./ दिनांक (5)
1.	अधोसंरचना	पार्षद निधि	7.50	01-05-10
2.	---,,---	अधोसंरचना विकास कार्य हेतु	10.00	13-12-10
3.	---,,---	मरम्मत संधारण हेतु	1.56	17-01-11
4.	---,,---	कार्यालय भवन की शेष राशि	4.87	15-11-10
5.	झु. झो. क्षेत्रों में पेयजल, शौचालय व्यवस्था.	पेयजल व्यवस्था हेतु	7.50	22-02-11
6.	अधोसंरचना	एल्डमेन की राशि (नामांकित पार्षद)	2.00	11-03-11
7.	अधोसंरचना (एकमुश्त अनुदान)	अधोसंरचना विकास कार्य (एकमुश्त अनुदान)	25.00	11-03-11

परिशिष्ट “ ग्यारह ”

[तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क. 586) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

मस्तुरी विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत राशनकार्डों की संख्या एवं निरस्त किये गये राशनकार्डों की संख्या

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत राशनकार्डों की संख्या	निरस्त कार्डों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मस्तुरी	415	86
2.	कोसमडीह	379	8
3.	कोनी	235	43
4.	किरारी	272	40
5.	लावर	210	88
6.	परसदा वेद	228	17
7.	टिकारी	508	59
8.	धुर्वाकारी	381	54
9.	जैतपुर	236	35
10.	बकरकुदा	305	62
11.	सरसेनी	278	113
12.	गतौरा	571	246
13.	रलिया	204	49
14.	लिमतरा	406	37
15.	जयरामनगर	229	66
16.	एरमसाही	377	134
17.	सरगवां	497	13
18.	भिलाई	101	09
19.	ईटवा	204	15
20.	दर्रीघाट	134	05
21.	भनेसर	162	24
22.	पेण्डी	414	102
23.	हिरी	98	15
24.	भदौरा	197	50
25.	डोडकी	340	46
26.	सुकुलकारी	436	12
27.	पचपेड़ी	449	59
28.	केवतरा	376	91
29.	बिनौरी	472	30
30.	धनगवां	314	120

(1)	(2)	(3)	(4)
31.	जुनवानी	144	49
32.	चकरबेढा	251	07
33.	कर्क	141	55
34.	बेलटुकारी	158	07
35.	हरदाडीह	221	137
36.	पाराघाट	209	64
37.	देवगांव	315	51
38.	रिसदा	382	37
39.	परसदा किसान	211	20
40.	बुढीखार	134	69
41.	सीपत	614	132
42.	गुडी	201	29
43.	नरगोडा	205	35
44.	उपकौवाताल	143	23
45.	झलमला	134	14
46.	पोंडी	299	125
47.	मचखण्डा	197	12
48.	धनिया	180	33
49.	खाडा	208	42
50.	बनियाडीह	195	37
51.	कुली	87	8
52.	लुथरा	192	14
53.	सोढ़ी	341	56
54.	जुहली	229	17
55.	बिटकुला	207	61
56.	मडई	216	36
57.	कुकदा	228	12
58.	बसहा	37	4
59.	निरतू	181	35
60.	जेवरा	236	36
61.	खोंधरा	133	20
62.	देवरी	201	16
63.	जांजी	248	30
64.	हिण्डाडीह	250	16
65.	खम्हरिया	156	28
66.	कौड़िया	216	37
67.	रांक	310	27

(1)	(2)	(3)	(4)
68.	ठरकपुर	139	53
69.	नवागांव	107	101
70.	उड़ांगी	178	39
71.	दर्राभाठा	375	74
72.	ऊनी	93	18
73.	पंधी	308	13
74.	मुड़पार	309	40
75.	लोहर्सी	452	152
76.	भरारी	192	17
77.	गोड़ाडीह	399	36
78.	बोहारडीह	330	203
79.	मानिकचौरी	376	50
80.	चिल्हाटी	232	35
81.	कुकुर्दीकेरा	256	26
82.	ओखर	380	191
83.	ठकुरदेवा	255	349
84.	सोन	285	23
85.	सोनसरी	217	3
86.	केवटाडीह भूतहा	152	0
87.	अमलडीहा	143	26
88.	बसंतपुर	146	4
89.	परसोढ़ी	150	14
90.	कुकुर्दीकला	229	30
91.	बहतारा	150	46
92.	हरदी	310	63
93.	जोधरा	314	49
94.	भिलौनी	277	12
95.	सिसदा	198	11
96.	सुलौनी	492	65
97.	कोकड़ी	188	27
98.	पतईडीह	248	10
99.	गिधपुरी	178	13
100.	आमगांव	219	105
101.	भटचौरा	219	13
102.	डंगनिया	480	160
103.	जलसो	170	45
104.	मनवा	281	5
105.	चौहा	250	63
106.	कछार	187	20

(1)	(2)	(3)	(4)
विकासखंड मस्तुरी, नगरपंचायत मल्हार (विधान सभा मस्तुरी)			
1.	नगर पंचायत मल्हार	473	282
विकासखंड बिल्हा (विधान सभा मस्तुरी)			
1.	ढेका	165	8
2.	धुमा	306	0
3.	दोमुहानी	365	124
4.	देवरीखुर्द	600	43
5.	मानिकपुर	168	7
6.	महमंद	335	308

नियम 46 (2) के अन्तर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “बारह”

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 425) के भाग (क) की जानकारी]

विकासखण्डवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की संख्या

क्र. (1)	विकासखण्ड का नाम (2)	बी. पी. एल. परिवारों की संख्या (3)
1.	नवागढ़	16258
2.	अकलतरा	12959
3.	बलौदा	14315
4.	पामगढ़	10640
5.	बम्हनीडीह	15957
6.	सक्ती	17152
7.	मालखरौदा	9212
8.	जैजैपुर	12811
9.	डभरा	20709

परिशिष्ट “तेरह”

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 564) के भाग (ख) की जानकारी]

राष्ट्रीय वायु प्रबोधन कार्यक्रम के तहत रायपुर, बिलासपुर, कोरबा एवं भिलाई में किये गए नियमित परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन अनुसार परिवेशीय वायु गुणवत्ता की जानकारी

क्र.	शहर का नाम	माह/ वर्ष	परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन स्थल							
			न्यू. एच. आई. जी. 9 हीरापुर, टाटीबंध				जय स्तम्भ चौक के पास यातायात थाना			
(1)	(2)	(3)	रेस्पाइरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मीटर (माइक्रोग्राम/ घनमीटर) (मासिक औसत)	सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मीटर (माइक्रोग्राम/ घनमीटर) (मासिक औसत)	सल्फर डाई आक्साइड (माइक्रोग्राम/ घनमीटर) (मासिक औसत)	नाइट्रोजन आक्साइड्स (माइक्रोग्राम/ घनमीटर) (मासिक औसत)	रेस्पाइरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मीटर (माइक्रोग्राम/ घनमीटर) (मासिक औसत)	सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मीटर (माइक्रोग्राम/ घनमीटर) (मासिक औसत)	सल्फर डाई आक्साइड (माइक्रोग्राम/ घनमीटर) (मासिक औसत)	नाइट्रोजन आक्साइड्स (माइक्रोग्राम/ घनमीटर) (मासिक औसत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	रायपुर	अप्रैल-08	197.47	419.95	18.54	49.15	174.42	336.15	16.73	47.05
2.		मई-08	-	459.54	19.25	48.04	221.20	423.12	17.97	45.50
3.		जून-08	-	482.68	21.06	50.58	180.00	320.12	20.80	48.66
4.		जुलाई-08	199.44	395.53	19.92	46.39	172.28	303.57	19.60	46.14
5.		अगस्त-08	150.71	280.07	21.38	46.03	140.83	264.50	21.27	48.45
6.		सितम्बर-08	-	-	-	-	-	-	-	-
7.		अक्टूबर-08	216.88	411.22	22.16	45.77	202.55	369.88	22.16	44.11
8.		नवम्बर-08	236.62	458.79	22.29	45.52	210.42	388.19	21.52	45.21
9.		दिसम्बर-08	-	-	-	-	-	-	-	-
10.		जनवरी-09	282.51	570.11	23.83	47.96	241.03	463.81	22.31	46.72
11.		फरवरी-09	310.50	610.16	24.83	49.33	270.66	502.33	22.50	46.33
12.		मार्च-09	-	-	-	-	-	-	-	-
13.		अप्रैल-09	-	-	-	-	-	-	-	-
14.		मई-09	240.81	442.86	22.42	47.11	228.81	391.36	19.95	45.52
15.		जून-09	257.90	462.10	22.10	46.85	227.60	367.50	19.11	44.55
16.	जुलाई-09		-	400.57	19.76	45.84	239.66	347.88	16.64	42.88
17.		अगस्त-09	-	371.0	15.37	43.00	211.00	336.60	16.44	43.77
18.		सितम्बर-09	-	404.89	14.05	44.65	217.57	334.05	13.51	44.18
19.		अक्टूबर-09	-	378.36	14.38	43.04	242.04	357.08	14.84	44.34
20.		नवम्बर-09	-	458.71	15.85	46.57	285.33	402.50	15.08	45.08
21.		दिसम्बर-09	-	505.55	15.19	45.55	305.85	443.61	15.78	45.38
22.		जनवरी-10	335.40	512.46	15.56	45.46	312.93	451.53	15.83	45.40
23.		फरवरी-10	290.00	437.10	13.58	42.20	289.23	427.88	14.29	41.73
24.		मार्च-10	273.87	413.25	13.27	41.52	249.42	378.38	13.54	40.59

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
25.	रायपुर	अप्रैल-10	267.33	403.33	13.50	42.33	256.33	375.00	14.16	41.16
26.		मई-10	257.44	406.11	13.41	42.35	246.10	382.00	13.95	41.10
27.		जून-10	250.57	386.84	14.05	42.51	236.27	359.72	14.23	42.19
28.		जुलाई-10	-	-	-	-	-	-	-	-
29.		अगस्त-10	-	-	-	-	-	-	-	-
30.		सितम्बर-10	215.84	330.00	11.19	40.26	208.41	319.75	11.20	38.41
31.		अक्टूबर-10	239.65	359.50	12.94	42.69	229.82	339.76	12.58	38.29
32.		नवम्बर-10	260.16	389.16	14.58	43.66	235.85	352.57	13.54	39.92
33.		दिसम्बर-10	296.55	438.66	-	-	260.72	385.50	14.50	41.58
34.		जनवरी-11	279.83	415.50	14.33	44.25	256.16	374.91	15.16	42.50
35.		फरवरी-11	-	-	-	-	-	-	-	-
36.		मार्च-11	260.66	386.16	14.44	43.22	233.33	346.41	13.39	40.93

**परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन स्थल
क्षेत्रीय कार्यालय भवन, छ. ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, व्यापार विहार**

क्र.	शहर का नाम	माह/वर्ष	रेस्पाइरेबल सस्पेंडेड पर्टीकुलेट मीटर (माइक्रोग्राम/घनमीटर) (मासिक औसत)	सस्पेंडेड पर्टीकुलेट मीटर (माइक्रोग्राम/घनमीटर) (मासिक औसत)	सल्फर डाई आक्साइड (माइक्रोग्राम/घनमीटर) (मासिक औसत)	नाइट्रोजन आक्साइड (माइक्रोग्राम/घनमीटर) (मासिक औसत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	बिलासपुर	सितम्बर-10	-	409.80	6.22	15.64
2.		अक्टूबर-10	-	348.77	5.35	13.68
		नवम्बर-10	-	386.75	9.87	23.45
		दिसम्बर-10	-	402.78	7.386	20.486

परिवेशीय वायु गणवत्ता मापन स्थल

क्र.	शहर का नाम	माह/ वर्ष	तहसील कार्यालय के पास रामपुर				आई. टी. आई. रामपुर			
			रेस्पाइरबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मीटर (माइक्रोग्राम/ घनमीटर) (मासिक औसत)	सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मीटर (माइक्रोग्राम/ घनमीटर) (मासिक औसत)	सल्फर डाई आक्साइड (माइक्रोग्राम/ घनमीटर) (मासिक औसत)	नाइट्रोजन आक्साइड्स (माइक्रोग्राम/ घनमीटर) (मासिक औसत)	रेस्पाइरबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मीटर (माइक्रोग्राम/ घनमीटर) (मासिक औसत)	सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मीटर (माइक्रोग्राम/ घनमीटर) (मासिक औसत)	सल्फर डाई आक्साइड (माइक्रोग्राम/ घनमीटर) (मासिक औसत)	नाइट्रोजन आक्साइड्स (माइक्रोग्राम/ घनमीटर) (मासिक औसत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	कोरबा	अप्रैल-08	126.70	267.25	13.70	21.57	125.92	263.29	13.52	21.55
2.		मई-08	134.88	281.34	13.35	21.61	135.26	282.65	13.54	21.70
3.		जून-08	121.63	253.54	12.86	20.84	121.70	248.29	13.21	21.19
4.		जुलाई-08	89.61	188.72	12.69	20.68	96.38	202.38	12.84	20.72
5.		अगस्त-08	83.80	176.90	12.75	20.73	88.03	185.52	13.09	20.83
6.		सितम्बर-08	88.22	185.63	13.00	20.84	91.84	193.00	13.26	21.16
7.		अक्टूबर-08	99.37	208.59	13.32	21.28	107.12	223.91	13.68	21.51
8.		नवम्बर-08	106.00	222.52	13.81	22.17	119.33	248.91	14.19	22.45
9.		दिसम्बर-08	117.59	245.59	14.04	22.59	121.74	253.77	14.37	22.47
10.		जनवरी-09	120.72	252.36	14.22	22.39	122.07	254.84	14.66	22.82
11.		फरवरी-09	128.95	268.34	14.07	22.18	127.09	264.54	14.31	22.59
12.		मार्च-09	129.28	269.48	13.52	21.44	131.00	272.47	13.78	21.94
13.		अप्रैल-09	134.27	278.50	13.19	21.22	134.86	279.50	13.48	21.51
14.		मई-09	132.19	274.14	13.04	21.05	135.44	280.05	13.41	21.29
15.		जून-09	135.33	280.45	13.54	21.52	135.86	281.40	13.72	21.73
16.		जुलाई-09	109.55	228.75	13.25	21.25	118.35	246.05	13.62	21.51
17.		अगस्त-09	101.40	212.33	12.79	20.66	112.57	234.94	13.06	20.99
18.		सितम्बर-09	94.54	204.54	12.97	20.86	102.58	217.50	13.16	21.14
19.		अक्टूबर-09	110.26	234.23	13.30	21.21	118.00	249.28	13.58	21.44
20.		नवम्बर-09	112.12	233.36	13.49	21.53	120.20	251.00	13.71	21.57
21.		दिसम्बर-09	122.45	258.68	13.48	21.45	121.60	257.65	13.38	21.22
22.		जनवरी-10	115.60	243.10	12.95	21.03	118.65	248.70	13.37	20.87
23.		फरवरी-10	120.75	253.55	13.37	21.31	119.05	249.85	13.34	21.61
24.		मार्च-10	-	242.80	13.55	21.30	120.54	249.63	13.79	21.66
25.		अप्रैल-10	-	239.26	13.30	21.45	122.04	255.00	13.76	21.64
26.		मई-10	-	252.34	13.42	21.26	121.90	251.66	13.58	21.77
27.		जून-10	-	254.80	13.46	21.33	135.77	282.18	13.65	21.61
28.		जुलाई-10	-	202.16	12.60	20.08	94.23	96.41	12.98	20.91

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
29.	कोरबा	अगस्त-10	-	223.20	12.73	20.05	98.91	200.41	12.75	20.88
30.		सितम्बर-10	-	174.00	12.81	20.45	90.66	171.93	12.72	14.50
31.		अक्टूबर-10	-	146.47	12.44	20.15	72.15	139.15	12.38	20.10
32.		नवम्बर-10	-	169.31	12.69	20.14	96.39	192.73	12.37	20.63
33.		दिसम्बर-10	-	174.21	12.19	19.93	89.00	182.14	12.50	23.73
34.		जनवरी-11	-	195.70	12.45	20.03	100.31	204.45	12.65	20.58
35.		फरवरी-11	-	203.95	12.77	20.65	108.43	216.65	13.07	20.88
36.		मार्च-11	-	218.09	12.18	20.66	110.66	123.85	13.13	21.01

**परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन स्थल
प्रगति नगर, जमनीपाली**

क्र.	शहर का नाम	माह/वर्ष	रेस्पाइरबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मीटर (माइक्रोग्राम/घनमीटर) (मासिक औसत)	सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मीटर (माइक्रोग्राम/घनमीटर) (मासिक औसत)	सल्फर डाई आक्साइड (माइक्रोग्राम/घनमीटर) (मासिक औसत)	नाइट्रोजन आक्साइड्स (माइक्रोग्राम/घनमीटर) (मासिक औसत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कोरबा	अप्रैल-08	113.96	238.44	13.14	20.86
2.		मई-08	122.59	256.33	13.22	21.14
3.		जून-08	116.50	243.38	12.26	20.40
4.		जुलाई-08	85.72	180.44	12.42	20.20
5.		अगस्त-08	78.84	167.94	12.64	20.64
6.		सितम्बर-08	78.10	165.60	12.68	20.61
7.		अक्टूबर-08	83.92	177.11	12.93	20.88
8.		नवम्बर-08	91.48	192.40	13.36	21.34
9.		दिसम्बर-08	94.99	200.51	13.59	21.56
10.		जनवरी-09	107.84	225.38	13.57	21.68
11.		फरवरी-09	115.81	241.22	13.62	21.72
12.		मार्च-09	120.15	250.36	12.84	20.62
13.		अप्रैल-09	122.50	254.96	12.93	20.94
14.		मई-09	122.16	253.91	12.58	20.49
15.		जून-09	125.23	255.42	13.00	21.18
16.		जुलाई-09	96.66	202.76	12.80	20.59
17.		अगस्त-09	101.95	213.42	12.66	20.50
18.		सितम्बर-09	84.76	182.20	12.56	20.52
19.		अक्टूबर-09	100.56	213.60	12.89	20.77
20.		नवम्बर-09	98.30	206.95	13.03	20.95

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21.	कोरवा	दिसम्बर-09	108.73	230.26	12.75	20.66
22.		जनवरी-10	107.18	225.59	12.89	20.60
23.		फरवरी-10	106.75	224.00	12.99	20.71
24.		मार्च-10	98.95	208.52	12.95	20.57
25.		अप्रैल-10	102.20	216.55	12.66	20.50
26.		मई-10	92.18	195.77	12.66	20.48
27.		जून-10	94.18	196.09	12.66	20.53
28.		जुलाई-10	68.94	145.26	12.21	18.64
29.		अगस्त-10	79.15	164.38	12.31	19.39
30.		सितम्बर-10	75.40	147.00	12.72	20.25
31.		अक्टूबर-10	70.86	139.95	12.29	20.00
32.		नवम्बर-10	80.68	165.78	12.07	19.95
33.		दिसम्बर-10	85.84	175.21	12.14	19.85
34.		जनवरी-11	91.29	185.58	11.99	19.74
35.		फरवरी-11	99.25	201.00	12.44	20.22
36.		मार्च-11	104.68	211.77	12.44	20.20

परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन स्थल

क्र.	शहर का नाम	माह/ वर्ष	क्षेत्रीय कार्यालय, 5/32 बंगला				बोकरो हास्टल सेक्टर-4			
			रेस्पाइरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मीटर (माइक्रोग्राम/ घनमीटर) (मासिक औसत)	सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मीटर (माइक्रोग्राम/ घनमीटर) (मासिक औसत)	सल्फर डाई आक्साइड (माइक्रोग्राम/ घनमीटर) (मासिक औसत)	नाइट्रोजन आक्साइड्स (माइक्रोग्राम/ घनमीटर) (मासिक औसत)	रेस्पाइरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मीटर (माइक्रोग्राम/ घनमीटर) (मासिक औसत)	सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मीटर (माइक्रोग्राम/ घनमीटर) (मासिक औसत)	सल्फर डाई आक्साइड (माइक्रोग्राम/ घनमीटर) (मासिक औसत)	नाइट्रोजन आक्साइड्स (माइक्रोग्राम/ घनमीटर) (मासिक औसत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	भिलाई	अप्रैल-08	77.93	161.01	4.52	16.00	100.12	186.86	21.94	26.58
2.		मई-08	80.24	163.49	3.81	14.67	94.33	184.18	20.60	25.21
3.		जून-08	75.32	154.14	3.20	14.86	87.36	171.06	20.98	25.30
4.		जुलाई-08	-	-	-	-	-	-	-	-
5.		अगस्त-08	71.46	147.10	5.66	14.42	85.65	166.90	20.68	24.68
6.		सितम्बर-08	74.80	148.57	6.08	15.42	87.33	170.65	20.50	24.88
7.		अक्टूबर-08	86.74	156.62	6.96	16.46	94.40	173.96	22.53	27.40
8.		नवम्बर-08	84.93	184.01	6.52	17.60	91.67	191.87	22.19	26.86
9.		दिसम्बर-08	83.63	178.69	6.68	17.45	94.60	189.47	22.56	27.31
10.		जनवरी-09	83.40	175.27	7.0	17.10	93.35	190.98	22.34	27.28
11.		फरवरी-09	81.38	173.18	6.67	16.5	93.0	186.23	22.0	26.85
12.		मार्च-09	80.00	172.65	6.91	16.69	93.15	184.25	21.85	26.60
13.		अप्रैल-09	76.34	167.20	5.54	16.19	89.87	177.41	21.75	26.53
14.		मई-09	77.28	164.40	6.0	15.77	88.97	175.60	21.65	26.72
15.		जून-09	74.34	157.53	5.59	15.94	85.83	173.66	21.48	26.60
16.		जुलाई-09	73.94	149.08	4.36	14.56	84.96	173.02	20.63	24.85
17.		अगस्त-09	73.46	148.78	4.32	14.97	84.27	171.51	20.15	24.18
18.		सितम्बर-09	88.22	159.54	4.50	18.64	101.62	186.33	9.56	24.20
19.		अक्टूबर-09	97.08	177.64	4.81	18.36	114.04	200.87	11.45	26.42
20.		नवम्बर-09	92.27	172.85	4.75	16.04	120.15	202.51	10.93	24.40
21.		दिसम्बर-09	92.00	167.68	5.35	17.13	111.09	195.19	11.40	25.05
22.		जनवरी-10	92.88	172.95	5.50	16.92	110.18	194.64	11.63	25.27
23.		फरवरी-10	90.94	173.90	5.50	16.41	110.08	193.08	11.19	23.81
24.		मार्च-10	90.15	175.35	5.5	16.13	111.27	191.92	10.81	23.94
25.		अप्रैल-10	89.12	174.43	5.35	15.43	108.85	189.13	10.46	23.33
26.		मई-10	83.03	161.01	4.81	13.68	101.13	187.17	10.02	22.73
27.		जून-10	76.11	148.72	4.49	14.03	89.03	174.58	10.16	22.61
28.		जुलाई-10	71.63	139.79	3.45	12.31	82.08	164.04	9.28	20.35

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
29.	अगस्त-10		73.14	151.15	3.88	13.75	82.48	170.23	9.65	20.10
30.	सितम्बर-10		74.15	152.11	3.63	14.10	83.10	168.60	8.81	18.84
31.	अक्टूबर-10		77.83	163.01	4.13	14.28	85.24	174.89	9.38	20.05
32.	नवम्बर-10		75.57	165.77	4.83	15.43	89.42	182.27	9.55	20.66
33.	दिसम्बर-10		81.40	178.36	5.85	15.48	91.00	191.69	11.11	22.83
34.	जनवरी-11		83.29	175.12	6.31	16.85	97.25	198.04	11.50	21.60
35.	फरवरी-11		81.24	169.36	5.33	15.33	95.37	194.83	11.83	22.65
36.	मार्च-11		78.24	173.11	5.04	14.91	92.75	191.74	10.44	21.90

परिशिष्ट “चौदह”

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 670) की जानकारी]

नगरपालिका परिषद् भाटापारा

(वर्ष 2009-10)

क्र. (1)	मद (2)	कार्य विवरण (3)	जारी की गई राशि (4)
1.	अधोसंरचना	पार्षद निधि	31.00
2.	आपदा प्रबंधन	आपदा प्रबंधन अन्तर्गत 1 नग 3डी लोडर मशीन, 1 नग जे. सी. बी. 17.30.	19.20
3.	12वें वित्त आयोग	12वें वित्त आयोग	30.00
4.	अधोसंरचना	मूलभूत सुविधा	25.00
5.	अधोसंरचना	पेयजल व्यवस्था	10.00
6.	सरोवर धरोहर योजना	रामसागर तालाब सौंदर्यीकरण (2007-08)	7.28
7.	मुक्तिधाम योजना	सुरखी रोड शमशानघाट निर्माण	5.00
8.	सार्वजनिक प्रसाधन योजना	4 स्थानों में सार्वजनिक प्रसाधन योजना	18.00
9.	पुष्पवाटिका उद्यान योजना	पटपर में पुष्पवाटिका उद्यान निर्माण	10.96
10.	हाट बाजार समृद्धि का आधार योजना.	हाट बाजार निर्माण	35.00

(वर्ष 2010-11)

क्र. (1)	मद (2)	कार्य विवरण (3)	जारी की गई राशि (4)
1.	पार्षद निधि	पार्षद निधि	27.00
2.	अधोसंरचना	अधोसंरचना विकास कार्य	100.00
3.	--” --	मरम्मत संधारण हेतु	15.03
4.	विस्थापन एवं पर्यावरण	पेयजल व्यवस्था हेतु	25.00
5.	अधोसंरचना	एल्डर मेन की राशि (नामांकित पार्षद)	4.00
6.	सार्वजनिक प्रसाधन योजना	4 स्थानों में सार्वजनिक प्रसाधन निर्माण	18.00

नगर पंचायत सिमगा

(वर्ष 2009-10)

क्र. (1)	मद (2)	कार्य विवरण (3)	जारी की गई राशि (4)
1.	12वें वित्त आयोग	12वें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार नगरीय निकायों को अनुदान.	10.00
2.	पार्षद निधि	पार्षद निधि	9.50
3.	अधोसंरचना	वार्डवार मूलभूत विकास कार्य हेतु	25.00
4.	पेयजल शौचालय	झु. झो. पेयजल व्यवस्था	9.00
5.	हाट बाजार समृद्धि का आधार योजना.	हाट बाजार निर्माण	17.40

(वर्ष 2010-11)

क्र. (1)	मद (2)	कार्य विवरण (3)	जारी की गई राशि (4)
1.	पार्षद निधि	पार्षद निधि	7.50
2.	अधोसंरचना	अधोसंरचनान्तर्गत विकास कार्य	25.00
3.	--" --	मरम्मत संधारण हेतु	3.94
4.	--" --	पेयजल व्यवस्था हेतु	10.00
5.	--" --	एल्डर मेन की राशि (नामांकित पार्षद)	2.00
6.	सार्वजनिक प्रसाधन योजना	किशनबंद तालाब के पास सा. प्र. नि.	4.00

परिशिष्ट “पंद्रह”

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 716) के भाग (क) की जानकारी]

स. क्र. (1)	संचालक का नाम (2)	वाहन संख्या (3)
1.	श्री सैय्यद अनवर अली, रायपुर	17
2.	श्री सैय्यद असगर अली, रायपुर	08
3.	मे. जीवन बस सिर्विस, रायपुर	26
4.	मे. न्यू जीवन बस सर्विस, रायपुर	19
5.	श्री सैय्यद शब्बीर अली, रायपुर	05
6.	मे. मनीष ट्रेवल्स, दुर्ग	46
7.	मे. पायल ट्रेवल्स, दुर्ग	36
8.	न्यू जीवन महेन्द्रा बस सर्विस, रायपुर	19
9.	श्रीमती कमलजीत कौर, रायपुर	23
10.	श्री कमलजीत सिंह, रायपुर	03
11.	श्री दिलबाग सिंह	01
12.	श्री वासन सिंह, रायपुर	06
13.	श्री कुलराज सिंह, रायपुर	07
14.	श्री सुरजीत सिंह, रायपुर	04
15.	श्री हरनेक सिंह, रायपुर	02
16.	श्री अवतार सिंह, रायपुर	05
17.	श्री अमरजीत सिंह, रायपुर	02
18.	श्री मंथनलाल, रायपुर	03
19.	श्री जगमीर सिंह, रायपुर	01
20.	श्री अजय सिंह, रायपुर	04
		237

परिशिष्ट “सोलह”

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 743) के भाग (ख) की जानकारी]

भुगतान की गई राशि का विवरण

सिम्पलेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.		जियो मिलर एण्ड कंपनी	
दिनांक (1)	राशि (रु.) (2)	दिनांक (3)	राशि (रु.) (4)
25-10-2008	111496000	21-10-2008	28490000
10-11-2008	111496000	02-12-2008	10000000
15-10-2009	22242017	10-12-2009	6515616
02-01-2010	31393983	30-01-2010	12906000
30-01-2010	25873346	16-03-2010	28141500
16-03-2010	30212854	29-05-2010	62079554
19-04-2010	33253066	05-07-2010	19055000
01-06-2010	34329360	12-08-2010	36055500
05-07-2010	27332024	24-09-2010	32611500
12-08-2010	34177606	27-11-2010	40284100
23-09-2006	28790884	11-03-2011	32529250
23-10-2010	22503447	17-03-2011	29491250
27-11-2010	29841210	23-06-2011	20497500
27-01-2011	12625713	28-07-2011	30919900
11-03-2011	24708252		
11-03-2011	26121169		
09-05-2011	31764487		
09-06-2011	23864758		
05-07-2011	23513719		
08-08-2011	38576260		
08-08-2011	54106298		
योग	778222453	योग	389576670

परिशिष्ट “सत्रह”

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 759) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

नया रायपुर निवेश क्षेत्र में शामिल गांवों की जानकारी :-

तहसील-रायपुर		तहसील-आंरग		तहसील-अभनपुर	
क्र.	गांव	क्र.	गांव	क्र.	गांव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सेरीखेड़ी	1.	मंदिरहसौद	1.	तूता
2.	नकटी	2.	छतौना	2.	निमोरा
3.	धरमपुरा	3.	नवागांव 75	3.	बेन्द्री
4.	टेमरी	4.	उमरिया	4.	परसट्ठी
5.	बनरसी	5.	परसदा	5.	उपरवारा
6.	माना	6.	पलौद	6.	तेंदुवा
		7.	सेंध	7.	पौंता
		8.	रीको	8.	चेरिया
		9.	रमचण्डी	9.	बंजारी
		10.	बरौदा	10.	केन्द्री
		11.	चीचा	11.	झांकी
		12.	कयाबांधा	12.	मुडपार उर्फ भेलवाडीह
		13.	कोटराभाठा	13.	खण्डवा
		14.	कोटनी	14.	पचेड़ा
		15.	तांदुल	15.	कुरू
		16.	कुहेरा		
		17.	राखी		
		18.	झांझ		
		19.	खपरी		
		20.	नवागांव 71		

प्रपत्र "ब"

क्रमांक (1)	आवंटिती का नाम (2)	आवंटित भूमि का रकबा (3)	सैद्धांतिक सहमति का दिनांक (4)	आवंटित भूमि में शामिल गोचर भूमि का रकबा (5)
1.	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल (सेक्टर-27).	62.25 हेक्टेयर	03-03-2008	21.79 हेक्टेयर
2.	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल (सेक्टर-29).	59.07 हेक्टेयर	30-03-2011	18.65 हेक्टेयर

परिशिष्ट “अड्डारह”

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 768) के भाग (क) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

रायपुर निवेश क्षेत्र के अंतर्गत लंबित विकास अनुज्ञा प्रकरणों की जानकारी-वर्ष 2001

क्र. (1)	प्रकरण प्राप्ति दिनांक (2)	आवेदक का नाम (3)
1.	4-1-01	अनुप शर्मा
2.	4-1-01	सुरेश रूपरेला
3.	22-2-01	सफीक अहमद खान
4.	3-3-01	श्रीमती सबीहा खान
5.	3-3-01	श्रीमती सुधा श्रीवास्तव
6.	16-04-01	साहनी इन्टर प्राइजेस
7.	18-4-01	अमितेश शुक्ला
8.	4-6-01	रमाकांत चंद्राकर
9.	4-06-01	राजेन्द्र चंद्राकर
10.	7-06-01	ओम प्रकाश मालवीय
11.	8-6-01	बसंत कुमार
12.	6-10-01	सेवक राम पांडे
13.	17-10-01	जी. ट्रेडर्स
14.	17-10-01	आर. के. ट्रेडर्स
15.	31-10-01	दीपक कुमार सिंहानी
16.	22-11-01	खुशवंत कौर

वर्ष 2002

क्र. (1)	प्रकरण प्राप्ति दिनांक (2)	आवेदक का नाम (3)
1.	1-5-02	सुनीता देवी
2.	23-7-02	रमेश बेले
3.	30-7-02	पूजा आहुजा
4.	23-5-02	प्रिंस उपवेजा
5.	18-10-02	कुशल गृह निर्माण सहकारी समिति
6.	21-11-02	विमल देवी
7.	23-12-02	बी. आर. चोपड़ा
8.	20-12-02	रिचा अग्रवाल
9.	31-12-02	सरोज जैन

वर्ष 2003

क्रमांक (1)	प्रकरण प्राप्ति दिनांक (2)	आवेदक का नाम (3)
1.	27-3-03	शैलेन्द्र कुमार शर्मा
2.	14-1-03	संतोष कुमार जैन
3.	9-12-03	अध्यक्ष, राष्ट्रीय खनिज निर्माण विभाग, कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति.
4.	10-12-03	नितिश कुमार
5.	22-12-03	अतुल कुमार जैन
6.	30-12-03	कुसुम शर्मा
7.	30-12-03	अर्चना शर्मा
8.	30-12-03	पुरूषोत्तम शर्मा
9.	30-12-03	हाकिम सिंह
10.	30-12-03	राजेश जैन

वर्ष 2004

क्रमांक (1)	प्रकरण प्राप्ति दिनांक (2)	आवेदक का नाम (3)
1.	22-1-04	रakesh अग्रवाल
2.	28-5-04	शशिकांत जायसवाल
3.	23-7-04	गौरव प्रमोटर्स एण्ड बिल्डर्स
4.	21-09-04	आवास गृह निर्माण सह. समिति
5.	21-09-04	आवास गृह निर्माण सह. समिति
6.	-	रवि कोहली
7.	7-12-04	शिव कुमार चंद्राकर

वर्ष 2005

क्रमांक (1)	प्रकरण प्राप्ति दिनांक (2)	आवेदक का नाम (3)
1.	17-2-05	भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी समिति

वर्ष 2006

क्रमांक (1)	प्रकरण प्राप्ति दिनांक (2)	आवेदक का नाम (3)
1.	6-2-06	शिल्पा सिंघानिया
2.	1-7-06	ठाकुर रामचंद्र स्वामी ट्रस्ट
3.	24-8-06	कबीर सिब्बल

वर्ष 2007

क्रमांक (1)	प्रकरण प्राप्ति दिनांक (2)	आवेदक का नाम (3)
1.	5-5-07	सिमरन कन्स्ट्रक्शन

वर्ष 2008

क्रमांक (1)	प्रकरण प्राप्ति दिनांक (2)	आवेदक का नाम (3)
1.	28-1-08	अनुपचंद सेठिया

वर्ष 2009

क्रमांक (1)	प्रकरण प्राप्ति दिनांक (2)	आवेदक का नाम (3)
1.	29-8-09	राजेश गोलछा
2.	7-11-09	राजीव अग्रवाल
3.	16-11-09	एम. आहुजा
4.	19-11-09	जसवंत सिंह सलूजा
5.	10-11-09	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम

वर्ष 2010

क्रमांक (1)	प्रकरण प्राप्ति दिनांक (2)	भूमि स्वामी का नाम/पता (3)
1.	4-1-10	रावतपुरा सरकार श्री बजरंग अग्रवाल
2.	17-2-10	वेकेश्वरा रियालटीज, अवंति विहार रायपुर
3.	12-3-10	श्री त्रिलोचन सिंह चावला, रायपुर

(1)	(2)	(3)
4.	16-3-10	उत्तम नगर, द्वारा श्री गुरमैल सिंह सैनी
5.	18-3-10	गुलशन वाटिका, श्री वासुदेव बजाज
6.	29-3-10	श्री अभय पारख, रायपुर
7.	7-4-10	श्री हीरामन सेन, रायपुर
8.	12-4-10	श्री ओम प्रकाश विश्वकर्मा रायपुर
9.	12-4-10	आसन स्टील्स प्रा. लि. रायपुर
10.	13-5-10	तेजप्रकाश अग्रवाल
11.	22-5-10	राजविन्दर सिंग गिल
12.	7-6-10	मे. दिल्ली आसमा रोडवेज
13.	22-6-10	रियल इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड
14.	7-7-10	अरूणकुमार शुक्ला
15.	9-7-10	अविनाश बिल्डर्स रायपुर
16.	19-7-10	श्री सुरेश जैन एवं अन्य रायपुर
17.	6-8-10	मे. फारच्यून रिसोर्सेज प्रा. लि.
18.	17-8-10	श्री विवेक अग्रवाल
19.	2-9-10	साई कृपा ट्रेडिंग प्रा. लि.
20.	2-9-10	अशोक कुमार जैन
21.	14-9-10	मे. लाला पार्टनर्स प्रा. लि.
22.	21-09-10	श्रीमती रेणु अग्रवाल
23.	5-10-10	मे. सूर्या लैण्ड डेव्हलपर्स
24.	5-10-10	श्री प्रदीप अग्रवाल
25.	11-10-10	श्री महावीर आयरन एण्ड आयरन
26.	13-10-10	मे. बी. डी. आर. कन्स्ट्रक्शन
27.	13-10-10	मे. शारदा श्री एग्रीकल्चरस्
28.	27-11-10	श्री तरूण प्रसाद चटर्ची
29.	7-12-10	आर. आर. रियल इस्टेट प्रा. लि. रायपुर
30.	7-12-10	मे. आर. पी. रियल स्टेट
31.	7-12-10	वालफोट प्रापर्टीज श्री पंकज लाहोटी,
32.	8-12-10	श्री दयाराम अग्रवाल, देवेन्द्र नगर, रायपुर
33.	10-12-10	देवी आयरन एण्ड पावर प्रा. लि.
34.	20-12-10	मे. आशुतोष इण्डस्ट्रीज
35.	23-12-10	श्री परमेश्वर मिश्रा, खम्हारडीह, रायपुर
36.	28-12-10	जैन हाउसिंग एजेन्सी
37.	28-12-10	नवल किशोर अग्रवाल
38.	31-12-10	मे. बी. आर. एफ. बिल्डर्स
39.	31-12-10	मे. ख्याति स्टील रोलिंग मिल
40.	31-12-10	मे. ख्याति स्ट्रक्चर्स, रायपुर
41.	31-12-10	मे. मंगलम एलाएज, रायपुर

वर्ष 2011

क्रमांक (1)	प्रकरण प्राप्ति दिनांक (2)	भूमि स्वामी का नाम (3)
1.	3-1-11	मे. यश बिल्डर्स पार्टनर श्री मुकेश सिघानिया, आनंद सिघानिया
2.	12-1-11	कर्नल बलवंत सिंह
3.	24-1-11	हेमन्त कुमार सिघानिया
4.	28-1-11	श्री मंजित सिंह, कबीर नगर
5.	29-1-11	ए. एस. इन्टरप्राइजेस, जयराम काम्पलेक्स
6.	7-2-11	एन. आर. बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स सलाम मोहम्मद
7.	8-2-11	अशोक फारूका, महोबाजार
8.	11-2-11	श्रीमति उषा अग्रवाल, टाटीबंध
9.	23-2-11	सत्यनारायण अग्रवाल सूरज कुंज गुढ़ियारी
10.	27-3-11	बाफना बिल्डकॉन प्रा. लि. रायपुर
11.	4-4-11	सन एण्ड सन, श्री संदीप शर्मा
12.	6-4-11	पी. एस. साहनी, रायपुर
13.	13-4-11	श्रीमति गुलशन जग्गी, रायपुर
14.	23-4-11	श्री विमल शर्मा, रायपुर
15.	26-4-11	मे. आदित्य बिल्डर्स, रतन गोयल
16.	26-4-11	सण्ड एंड सन बिल्डर्स, रायपुर
17.	26-4-11	एचिवमेनट बिल्डर्स, रायपुर
18.	26-4-11	रत्ना प्रिया डेव्हलपर्स, रायपुर
19.	26-4-11	श्री अमित गोयल, रायपुर
20.	29-4-11	श्री अशोक माखीजा, रायपुर
21.	5-5-11	श्रीमति पदमिनी शुक्ला, रायपुर
22.	11-5-11	श्री सुशील शर्मा रायपुर
23.	12-5-11	श्री नारायण दास, रायपुर
24.	23-5-11	श्री रघुबीर सिंह ओबेराय, रायपुर
25.	30-5-11	आनंद सिघानिया
26.	30-5-11	ईश्वर अग्रवाल
27.	1-6-11	प्रमोद कुमार बाफना
28.	2-6-11	महावीर चंद बुरड़
29.	4-6-11	ए. एम. कन्स्ट्रक्शन
30.	4-6-11	राम अवतार तिवारी
31.	4-6-11	पवनपुत्र उद्योग
32.	13-6-11	मोना अग्रवाल
33.	13-6-11	श्रीमती आशा लोढ़ा
34.	13-6-11	मदनलाल लोढ़ा
35.	16-6-11	महामाया माईन्स प्रा. लि.

(1)	(2)	(3)
36.	23-6-11	प्रेमजी भाई पटेल
37.	23-6-11	श्रीमती रेखा देवी जायसवाल
38.	23-6-11	दी छ. ग. आटो केयर
39.	28-6-11	संतोष भंडारी
40.	30-6-11	जयेश ठक्कर
41.	30-6-11	कलावती देवी
42.	1-7-11	रवि वासवानी
43.	5-7-11	मे. सिमरन कन्स्ट्रक्शन
44.	15-7-11	ए. ढेबर बिल्डकान
45.	20-7-11	संदीप गुप्ता
46.	20-7-11	मे. आकृति बिजनेस
47.	23-7-11	मे. विकास बिल्डर्स
48.	27-7-11	रतन कुमार अग्रवाल
49.	29-7-11	आर्या बिजनेस
50.	1-8-11	पूर्वा बिल्डकॉन
51.	4-8-11	हरमीत सिंग चावला
52.	4-8-11	वैभव मिश्रा
53.	8-8-11	बेबी लान कंटीनेन्टल
54.	9-8-11	सुरेश जैन
55.	9-8-11	दिलीप जैन
56.	9-8-11	मे. हाई क्लास ट्रेडिंग
57.	9-8-11	कमलकांत टंडन
58.	9-8-11	विपुल मैनेजमेन्ट
59.	9-8-11	शिखा इन्टर प्राइजेस
60.	11-8-11	श्रीमती रूचि अग्रवाल
61.	6-1-11	महामाया इन्फ्रा रियल्टीज प्रा. लि. श्री मनोज कुमार
62.	4-1-11	हेमलता द्विवेदी आर. एस. स्टील इंडस्ट्रीज उरला रायपुर
63.	7-1-11	बल्देव एलायज प्रा. लि. जितेन्द्र सोमानी 24 कालेज चौबे कालोनी
64.	10-1-11	दीवान लाल हबलानी टैगोर नगर रायपुर
65.	28-1-11	पवन कुमार शेचलानी प्रियदर्शनी नगर रायपुर
66.	18-1-11	विजय ट्रासमीशन प्रा. लि. केशवचंद फलीवाला
67.	20-1-11	किशनलाल जैन, चौबे कालोनी रायपुर
68.	24-1-11	नरेश कुमार बंसल पार्क स्ट्रीट 3 म. नं. 7 चौबे कालोनी रायपुर
69.	25-1-11	अठ्ठलमल लाखेनगर रायपुर
70.	29-1-11	रूपचंद दीवान उरला इंडस्ट्रीयल एरिया, बीरगांव रायपुर
71.	5-2-11	मेसर्स वृन्दावन डेव्हलपर्स विजय नत्थानी, अवंति विहार कालोनी
72.	7-2-11	श्रीमति अलका पाण्डे सुनील कुमार पाण्डे, रायपुर

(1)	(2)	(3)
73.	7-2-11	निखिल गोयल के. पी. इस्पात पावर प्रा. लि. ऐश्वर्या रेसीडेन्सी
74.	8-2-11	श्री, देव इण्डस्ट्रीज गोपीनाथ चौबे कालोनी रायपुर
75.	23-2-11	जयेश भाटिया, भाटिया भवन जवाहर नगर रायपुर
76.	5-3-11	मेसर्स, एस. सी. वाप. सॉल्यूसन्स एण्ड फलनीर द्वारा श्री सुनील चंद्र
77.	14-3-11	श्री आशीष दुबे, रायपुर
78.	15-3-11	मे. कृष्णा पेनलस, रायपुर
79.	15-3-11	मे. मनजीत उद्योग, रायपुर
80.	15-3-11	श्री चनबीर सिंह जूनेजा, रायपुर
81.	6-4-11	अरिहंत डेव्हलपर्स, श्रीमती संध्या पारख, रायपुर
82.	6-4-11	श्री नंदलाल यादव, रायपुर
83.	7-4-11	श्रीमती गुरजीत कौर, रायपुर
84.	19-4-11	श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता, रायपुर
85.	20-4-11	श्री मोहन स्टोन गिरधर पटेल
86.	23-4-11	श्री हरीश शोभवानी, रायपुर
87.	15-2-11	श्री बालमुकुंद पालीपेक
88.	29-4-11	मे. वेयर सेन्टल वेयर हाउसिंग
89.	29-4-11	मे. रंजना तनवानी, रायपुर
90.	31-5-11	सुशील लाहोटी
91.	2-6-11	मे. सिम्फनी प्रा. लि.
92.	6-6-11	पुरूषोत्तम वल्यानी
93.	16-6-11	सुरेश सिंह चंदेल
94.	21-6-11	शिवकुमार सारस्वत
95.	30-6-11	मंगलम बिल्डर्स एण्ड डे. श्री रणबीर सिंग सलुजा
96.	25-6-11	युरेका यू. पी. व्ही. सी. पार्स श्री विजय शाह
97.	11-7-11	आशीष दुबे
98.	12-7-11	जयश्री अग्रवाल
99.	26-7-11	माहेश्वरी समा
100.	30-7-11	चुन्नीलाल इसरानी
101.	3-8-11	मेसर्स स्पर्श आटो मोबाइल्स श्री सुरेश आहुजा

प्रपत्र "ब"

नया रायपुर डेव्हलपमेन्ट अथारिटी क्षेत्र के अंतर्गत लंबित विकास अनुज्ञा प्रकरणों की जानकारी-वर्ष 2011

क्र. (1)	प्रकरण प्राप्ति दिनांक (2)	आवेदक का नाम (3)
1.	24-3-11	श्री गौरव दीक्षित पिता के.सी. दीक्षित
2.	15-5-11	उप महाप्रबंधक (नियोजन) नया रायपुर डे. अथा. रायपुर
3.	26-5-11	कार्यपालन अभियंता, छ. ग. गृह निर्माण मंडल
4.	26-7-11	उप महाप्रबंधक (नियोजन) नया रायपुर डे. अथा. रायपुर

प्रपत्र “स”

रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय के पुरा क्षेत्र एवं अन्य नगरों के विकास अनुज्ञा दिनांक 15-08-11 तक लंबित प्रकरणों

क्र. (1)	प्रकरण प्राप्ति दिनांक (2)	नगर का नाम (3)	आवेदक का नाम (4)
1.	8-10-02	बागबाहरा	राजेन्द्र सिंह
2.	26-3-10	अभनपुर	जी. के. कालोनाइजर
3.	28-5-11	नवापारा	श्री मनमोहन अग्रवाल पिता स्व. फूलचंद अग्रवाल
4.	28-5-11	पूरा	श्री वैभव जैन पिता विमल जैन हिन्दुस्तान गृह निर्माण सह. समिति
5.	5-6-10	पूरा	यशदीप सिंह सैनी पिता गुरुमेल सिंह सैनी
6.	11-8-10	नवापारा	श्री मनमोहन अग्रवाल पिता स्व. फूलचंद अग्रवाल
7.	11-8-10	नवापारा	भगवान दास सुंदरानी पिता स्व. सदोरामल सुंदरानी
8.	20-8-10	भाटापारा	श्री राधा बिल्डर्स भागीदार संस्था, 1. नरेन्द्र भोजवानी 2. श्री नवल भूषाणिया
9.	14-9-10	भाटापारा	राहुल शर्मा पिता राजेन्द्र कुमार
10.	14-9-10	भाटापारा	विकास शर्मा पिता हरदपाल शर्मा
11.	21-9-10	नवापारा	श्रीमती रजनी अग्रवाल पति श्री मुकेश अग्रवाल
12.	30-3-11	अभनपुर	नेस्ट जैन डेव्हलपर्स एण्ड बिल्डर्स प्रो. जे. पी. पाण्डेय, (अनुविभागीय अधि. (राजस्व) से प्राप्त).
13.	29-9-10	महासमुंद	मेम्सीम इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन श्री गणेशराम मेमोरियल फाउण्डेशन
14.	19-10-10	नवापारा	मो. एहतेशाम रजा पिता अत्तर अली
15.	19-10-10	भाटापारा	मो. अमिनस पिता मो. याकुब
16.	22-10-10	नवापारा	मो. रजा चांगल पिता स्व. हाजी मो. मुसुफ
17.	22-11-10	पुरा	कुमार सिंह वर्मा पिता अनुज राम वर्मा
18.	14-1-11	पुरा	हाजी मो. फारूख पिता बली मोहम्मद
19.	31-1-11	नवापारा	श्रीमती राखी सुंदरानी पति श्री सूरेश कुमार सुंदरानी
20.	16-3-11	भाटापारा	गोविंद लाल मुंदड़ा पिता श्री प्रेम रतन मुंदड़ा
21.	27-4-11	भाटापारा	छ. ग. स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
22.	19-5-11	पुरा	सौरभ चंद्राकर मे. एस.पी. फलाई ऐश ब्रिक्स
23.	6-6-11	भाटापारा	भाटिया वाटिया इन्दरपालि सिंह भाटिया, पिता हरबंस सिंह भाटिया
24.	22-7-11	तिल्दा-नेवरा	रायपुर रेफ्राथर्म प्रा. लि. मैनेजिंग डाय. श्री तुलसीदास जैन
25.	1-8-11	तिल्दा-नेवरा	बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमि. द्वारा नरेन्द्र गोयल
26.	4-8-11	नेवरा	विनोद लालवानी पिता बलीराम लालवानी

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “उन्नीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 02 (क्र. 100) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

(मात्रा टन में)

क्र.	जिला	मार्कफेड का धान संग्रहण केन्द्र	दिनांक 31-07-2011 की स्थिति में शेष धान की मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रायपुर	धरसीवा	7153
		तिल्दा	0
		बलौदाबाजार	9418
		कसडोल	4079
		भटगांव	13853
		लखौली (ए)	4563
		लखौली (बी)	0
		अभनपुर	19
		जौदा (राजिम)	885
		भाटापारा	16092
		खरोरा	71
2.	महासमुंद	महासमुंद	504
		बागबाहरा	9293
		पिथौरा	5114
		बसना	1012
		सरायपाली	1749
3.	धमतरी	चितौद	0
		नगरी सिहावा	0
		भाठागांव	53
		भखारा	0
		भोयना	0
4.	दुर्ग	बीजाभाटा ए+बी	1679
		जेवरा-सिरसा	4579
		सेलूद फड़	20089
		जगतरा फड़	5054
		कोड़िया	9976
		फुण्डाभाठा	2371
		करंजा भिलाई	5979

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	राजनांदगांव	सिंधोला तिलई मदुराकुही ठेलकाडीह नागरकोहरा बांधाबाजार	7 1802 771 11318 7206 10790
6.	कवर्धा	डबराभाट	0
7.	बिलासपुर	भरनीभाठा सेमरताल बिल्हा लोरमी पेन्द्रोड	0 0 0 0 0
8.	कोरबा	डोंगरीभाठा	1921
9.	जांजगीर	मिल प्राण जांजगीर मनोहरभाठा जांजगीर शा. भूमि अकलतरा मंडी प्राण सक्ती शा. भूमि डभरा	16928 48616 22035 13342 1777
10.	रायगढ़	मेडिकल का. ग्रा. लोहरसिंग टी. सी. पी. सी. सारंगढ़ बरमकेला खरसिया	12157 2310 266 0
11.	जशपुर	पत्थलगांव	1763
12.	अम्बिकापुर	अम्बिकापुर सूरजपुर सीतापुर	7572 2019 477
13.	कांकेर	कांकेर लखनपुरी भानुप्रतापपुर (गोदाम)	0 0 0
14.	दंतेवाड़ा	गीदम	125

प्रपत्र “ब”

वर्तमान में निम्नानुसार कस्टम मिलर्स के द्वारा मिलिंग कार्य किया जा रहा है

क्र. (1)	मिल का नाम (2)	स्थान (3)
1.	सूरज राईस इण्डस्ट्रीज	घरघोड़ा
2.	मयाराम एग्रो इण्डस्ट्रीज	लैलूंगा
3.	श्री अग्रसेन राईस मिल	सारंगढ़
4.	श्री सूर्या राईस मिल प्रा. लिमि.	रायगढ़
5.	श्री तिरूपति राईस मिल	रायगढ़
6.	हरिओम फुड्स	रायगढ़
7.	धन लक्ष्मी ट्रेनिंग कम्पनी	रायगढ़
8.	कबीर राईस मिल	खरसिया
9.	हरिओम राईस इण्डस्ट्रीज	रायगढ़
10.	श्री बैधनाथ पैडी प्रोसेसिंग सेन्टर	रायगढ़
11.	दुर्गा राईस मिल	रायगढ़
12.	विनायक राईस मिल	रायगढ़
13.	जी. आर. परबायलिंग यूनिट	रायगढ़
14.	श्री बालाजी राईस मिल	रायगढ़
15.	जय भवानी राईस मिल	बोन्दा
16.	शिव ट्रेडिंग कम्पनी	रायगढ़
17.	जय बालाजी ट्रेडर्स	रायगढ़
18.	प्रमोद मिनी राईस मिल	रायगढ़
19.	बंजारी मां राईस मिल	रायगढ़
20.	मां समलेश्वरी राईस मिल	सारंगढ़
21.	गायत्री परबायलिंग यूनिट	सरिया
22.	जोहार राईस मिल	घरघोड़ा
23.	जगदीश राईस मिल	रायगढ़
24.	सुमित्रा राईस मिल	खरसिया
25.	एम. आर. राईस मिल	खरसिया
26.	मां भगवती पैडी प्रोसेसिंग इण्ड.	धर्मजयगढ़
27.	श्री गौरी शंकर राईस मिल	रायगढ़
28.	रायगढ़ फुड्स एण्ड होटल बिजनेस	रायगढ़
29.	गायत्री राईस मिल	सरिया
30.	पुरुषोत्तम राईस इण्डस्ट्रीज	सारंगढ़
31.	गणपती राईस मिल	रायगढ़
32.	एम. एम. राईस मिल	खरसिया
33.	अनुराग ट्रेडर्स	रायगढ़

(1)	(2)	(3)
34.	हनुमान एगो	लैलुंगा
35.	शोभा राईस मिल प्रा. लिमि.	खरसिया
36.	आकांक्षा राईस मिल	सरिया
37.	हनुमान राईस मिल	लैलुंगा
38.	गोपाल राईस मिल	बरमकेला
39.	सिद्धी विनायक राईस मिल	रायगढ़

परिशिष्ट “बीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 144) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

वर्ष 2009-10 से 31 जून 2011 तक विधान सभा क्षेत्र सारंगढ़ के उचित मूल्य दुकानों को प्रदाय खाद्यान्न एवं
केरोसीन का आवंटन

वस्तु	चावल	गेहूं	शक्कर	(मात्रा क्विंटल/किलोलीटर में)	
				नमक	केरोसिन (के.एल. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वर्ष 2009-10	304,488.48	25,626.12	13,487.98	20,487.40	2,789.70
वर्ष 2010-11	256,784.00	61,310.24	8,873.53	13,490.02	2,865.50
वर्ष 2011-12 (31 जून 2011 तक)	69,159.23	17,170.10	1,981.03	3,047.64	709.20

प्रपत्र "ब"

वर्ष 2009-10 से 31 जून 2011 तक विधान सभा क्षेत्र सारंगढ़ के हितग्राहियों को वितरित खाद्यान्न एवं केरोसीन की जानकारी

वस्तु	चावल	गेहूं	शक्कर	(मात्रा क्विंटल/किलोलीटर में)	
				नमक	केरोसिन (के.एल. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वर्ष 2009-10	302,335.74	25,245.58	12,911.75	19,682.54	2,762.50
वर्ष 2010-11	179,267.30	42,920.84	8,409.58	12,769.65	2,854.65
वर्ष 2011-12 (31 जून 2011 तक)	44,392.91	10,689.31	1,980.93	3,047.52	708.00

परिशिष्ट “इक्कीस”
[अतारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 383) की जानकारी]

नगरपालिक निगम दुर्ग

वर्ष 2007-08

क्र. (1)	मद (2)	कार्य का नाम (3)	(राशि लाख में) प्रदाय की गई राशि (4)
1.	पार्षद निधि	पार्षद निधि	93.00
2.	अधोसंरचना मद	कबीर सत्संग भवन आमापारा	1.50
3.	—,,—	सामुदायिक भवन निर्माण पचरीपारा	2.50
4.	—,,—	सामुदायिक भवन निर्माण आर्य नगर	3.00
5.	—,,—	श्री श्याम सामुदायिक भवन निर्माण कादम्बरी नगर	2.50
6.	—,,—	सामुदायिक भवन निर्माण सती चौक	1.50
7.	—,,—	सामुदायिक भवन निर्माण कर्मा विहार	2.50
8.	—,,—	सांस्कृतिक भवन निर्माण केलाबाड़ी	2.00
9.	—,,—	स्वामी विवेकानंद सभागृह निर्माण	86.96
10.	—,,—	नगर निगम क्षेत्रांतर्गत विकास कार्य	150.00
11.	—,,—	मूलभूत सुविधा हेतु	75.00
12.	—,,—	सड़क डामरीकरण कार्य हेतु	100.00
13.	—,,—	ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट निवारणार्थ पेयजल परिवहन हेतु	25.00
14.	—,,—	ओजान जनरेटर हेतु	6.95
15.	—,,—	शंकरनाला सुदृढीकरण	203.00
16.	—,,—	फ्लड लाईट हेतु	15.00
17.	—,,—	सेन्ट्रल लाइब्रेरी भवन	100.00
18.	—,,—	अधोसंरचना विकास	54.68
19.	—,,—	सीवर सक्शन मशीन	20.37
20.	—,,—	राजेन्द्र पार्क के जीर्णोद्धार के सौन्दर्यीकरण	100.00
21.	—,,—	अधोसंरचना मद अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्य	120.00
22.	—,,—	सड़क डामरीकरण	100.00
23.	—,,—	हाइड्रोलिक ट्राली/सामान्य ट्राली	7.00
24.	—,,—	व्हीकल माउटेड फागिंग मशीन	15.00
25.	—,,—	02 नग वाहन क्रय	8.00
26.	—,,—	सामुदायिक भवन निर्माण कसारीडीह	5.00
27.	—,,—	मानस भवन, डिपरापारा	2.00
28.	—,,—	हॉल निर्माण लुचकी तालाब	2.00
29.	—,,—	सामुदायिक भवन निर्माण बघेरा	2.00
30.	—,,—	अधिवक्ता कक्ष निर्माण कोर्ट परिसर	5.00
31.	—,,—	अहाता निर्माण प्रा. शाला सिकोला	2.00
32.	—,,—	मान. श्री ताम्रध्वज साहू, विधायक धमधा के अनुशंसानुसार वार्ड 52 सांस्कृतिक भवन.	4.00
33.	—,,—	अधोसंरचना विकास	196.00
34.	अधोसंरचना मद	अधोसंरचना विकास	300.00
35.	—,,—	अधोसंरचना विकास	200.00
36.	—,,—	गौरव पथ निर्माण	461.15
37.	12वां वित्त आयोग	12वां वित्त आयोग 01 स्वीपिंग मशीन	70.00

(1)	(2)	(3)	(4)
38.	ज्ञानस्थली योजना	वार्ड क्र. 43 कसारडीह स्कूल में कमरा निर्माण वार्ड क्र. 3 पोटिया बस्ती स्कूल मरम्मत कार्य वार्ड क्र. 52 पोटिया झुग्गीपारा स्कूल मर. ज्ञानस्थली रायपुर नाका स्कूल मरम्मत वार्ड क्र. 55 प्रा./पू.मा. स्कूल में कमरा नि. वार्ड क्र. 16 करहीडीह स्कूल निर्माण वार्ड क्र. 56 उरला स्कूल निर्माण मरेरा क्र. प्रा. शा. जीर्णोद्धार सरदार पटेल प्रा.शा. जीर्णोद्धार	1.50 0.91 0.38 0.10 2.50 1.43 1.26 1.50 1.50
39.	पुष्पवाटिका उद्यान	राजेन्द्र पार्क का विस्तार एवं आधुनिकरण	4.24
40.	सार्वजनिक प्रसाधन योजना-प्रथम चरण		35.00

परिशिष्ट "बाईस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 409) के भाग (ख) की जानकारी]

मार्कफेड संग्रहण केन्द्र—आरंग से प्रदाय बारदानों की जानकारी

कं.	धान खरीदी समितियों का नाम	दिनांक	बारदाना की मात्रा (नग में)
1	2	3	4
1	आरंग	22.10.10	5000
		12.11.10	14000
		15.11.10	10000
		24.11.10	10000
		27.11.10	14000
		04.12.10	8000
		14.12.10	10000
		17.12.10	10000
		23.12.10	10000
		24.12.10	10000
		28.12.10	10000
		04.01.11	10000
		06.01.11	13500
		07.01.11	10000
		10.01.11	2000
		17.01.11	1000
		17.01.11	10000
		20.01.11	11000
		22.01.11	11000
		31.01.11	13500
2	मोखला	21.10.10	5000
		14.11.10	10000
		14.11.10	14000
		24.11.10	10000
		31.12.10	10000
		21.12.10	10000
		28.12.10	10000
		31.12.10	11000
		04.01.11	5000
		04.01.11	5000
		11.01.11	10000
		20.01.11	11000
		22.01.11	12000
		31.01.11	8500
3	भिलाई	21.10.10	5000
		13.11.10	10000
		25.11.10	10000

1	2	3	4
		04.12.10	10000
		28.12.10	10000
		05.01.11	10000
		17.01.11	11000
		22.01.11	6000
		31.01.11	5000
4	रीवा	21.10.10	5000
		09.11.10	12000
		15.11.10	14000
		24.11.10	10000
		24.11.10	10000
		25.11.10	10000
		25.11.10	10000
		27.11.10	14000
		29.11.10	10000
		02.12.10	10000
		11.12.10	10000
		13.12.10	2000
		14.12.10	10000
		14.12.10	10000
		17.12.10	10000
		20.12.10	10000
		23.12.10	10000
		23.12.10	10000
		24.12.10	10000
		27.12.10	10000
		28.12.10	2000
		29.12.10	10000
		30.12.10	10000
		01.01.11	13500
		05.01.11	13500
		06.01.11	10000
		06.01.11	10000
		09.01.11	13500
		11.01.11	13500
		17.01.11	2000
		17.01.11	14000
		19.01.11	11000
		21.01.11	11000
		22.01.11	14000
		22.01.11	13500

1	2	3	4
5	गोविंदा	21.10.10	5000
		13.11.10	10000
		25.11.10	10000
		28.11.10	10000
		04.12.10	10000
		21.12.10	10000
		30.12.10	10000
		05.01.11	13500
		08.01.11	13500
		17.01.11	2000
		17.01.11	11000
		21.01.11	11000
		28.01.11	6000
6	लखौली	21.10.10	5000
		09.11.10	10000
		14.11.10	14000
		24.11.10	10000
		27.11.10	10000
		03.12.10	10000
		27.12.10	10000
		31.12.10	13500
		08.01.11	10000
		13.01.11	10000
		21.01.11	11000
7	गौरभाट	21.10.10	5000
		12.11.10	10000
		15.11.10	14000
		24.11.10	10000
		28.11.10	10000
		03.12.10	10000
		15.12.10	10000
		20.12.10	10000
		24.12.10	10000
		29.12.10	10000
		31.12.10	13500
		05.01.11	13500
		07.01.11	13500
		17.01.11	11000
		19.01.11	11000
		22.01.11	7500
		28.01.11	7500

1	2	3	4
8	बाना	20.10.10	5000
		11.11.10	15000
		22.11.10	14000
		26.11.10	10000
		29.11.10	10000
		02.12.10	14000
		06.12.10	10000
		15.12.10	10000
		20.12.10	10000
		22.12.10	10000
		28.12.10	10000
		31.12.10	13500
		03.01.11	13500
		05.01.11	10000
		08.01.11	13500
		13.01.11	13500
		18.01.11	11000
		22.01.11	13500
		22.01.11	13500
9	गुल्लू	20.10.10	5000
		11.11.10	14000
		22.11.10	14000
		26.11.10	10000
		29.11.10	10000
		02.12.10	10000
		06.12.10	10000
		15.12.10	10000
		22.12.10	10000
		28.12.10	10000
		30.12.10	13500
		05.01.11	13500
		05.01.11	13500
		09.01.11	13500
		11.01.11	13500
		18.01.11	11000
		20.01.11	14000
		22.01.11	14000
		28.01.11	13500
		31.01.11	11000
10	चपरीद	20.10.10	5000
		12.11.10	10000

1	2	3	4
		22.11.10	10000
		27.11.10	10000
		06.12.10	10000
		17.12.10	10000
		20.12.10	10000
		14.12.10	10000
		30.12.10	12500
		03.01.11	13500
		10.01.11	13500
		21.01.11	10000
11	भानसोज	22.10.10	5000
		31.10.10	14000
		23.11.10	10000
		26.11.10	10000
		27.11.10	14000
		02.12.10	10000
		11.12.10	10000
		23.12.10	10000
		27.12.10	10000
		30.12.10	5000
		01.01.11	13500
		05.01.11	13500
		07.01.11	13500
		10.01.11	10000
		20.01.11	14000
		22.01.11	13500
12	फरफौद	22.10.10	5000
		31.10.10	14000
		28.11.10	10000
		26.11.10	10000
		27.11.10	10000
		02.12.10	14000
		11.12.10	10000
		27.12.10	10000
		30.12.10	5000
		03.01.11	11000
		06.01.11	13500
		10.01.11	13500
		19.01.11	11000
		22.01.11	13500

मार्कफेड संग्रहण केन्द्र—मंदिर हसौद से प्रदाय बारदानों की जानकारी

क्रं.	धान खरीदी समितियों का नाम	दिनांक	बारदाना की मात्रा (नग में)
1	2	3	4
1	मंदिरहसौद	20.10.10	5000
		15.11.10	20000
		15.11.10	26000
		01.01.11	15000
		12.01.11	15000
2	गोढ़ी	20.10.10	5000
		27.10.10	15000
		12.11.10	15000
		12.11.10	15000
		16.11.10	20000
		29.11.10	15000
		11.12.10	8000
		20.12.10	15000
		28.12.10	15000
		01.01.11	15000
		04.01.11	5000
		04.01.11	5000
		06.01.11	7000
		14.01.11	15000
		16.01.11	15000
		31.01.11	10000
3	टेकारी	20.10.10	5000
		27.10.10	12500
		12.11.10	15000
		15.11.10	26000
		04.01.11	10000
		14.01.11	15000
4	बरीदा	20.10.10	5000
		11.12.10	5000
		22.12.10	10000
		07.01.11	5000
5	पलौद	20.10.10	5000
		27.10.10	15000
		27.11.10	15000
		11.12.10	14000

1	2	3	4
		22.12.10	10000
		24.12.10	15000
		29.12.10	15000
		06.01.11	10000
		12.01.11	15000
		18.01.11	15000
6	गनौद	20.10.10	5000
		27.10.10	12000
		28.11.10	15000
		14.12.10	15000
		24.12.10	15000
		28.12.10	15000
		06.01.11	10000
		07.01.11	10000
		14.01.11	15000
7	नगपुरा	21.10.10	5000
		27.10.10	20000
		28.10.10	20000
		30.10.10	15000
		30.10.10	15000
		09.11.10	22500
		14.12.10	15000
		20.12.10	15000
		24.12.10	15000
		29.12.10	15000
		01.01.11	20000
		06.01.11	15000
		12.01.11	15000
		18.01.11	15000
8	नरदहा	21.10.10	5000
		27.10.10	13000
		15.11.10	25000
		01.01.11	15000
		18.01.11	8000
9	नारा	20.10.10	5000
		26.10.10	26000
		23.11.10	15000
		29.11.10	15000
		11.12.10	7000
		22.12.10	12500
		29.12.10	15000

1	2	3	4
		04.01.11	10000
		08.01.11	8000
		14.01.11	15000
10	खौली	21.10.10	5000
		30.10.10	15000
		23.11.10	15000
		27.11.10	15000
		23.12.10	15000
		07.01.11	15000
11	पचेड़ा	21.10.10	5000
		27.10.10	13000
		23.11.10	15000
		27.11.11	15000
		23.12.10	15000
		01.01.11	15000
		12.01.11	15000
		18.01.11	7000

मार्कफेड संग्रहण केन्द्र—खरोरा से प्रदाय बारदानों की जानकारी

क्र.	धान खरीदी समितियों का नाम	दिनांक	बारदाना की मात्रा (नग में)
1	2	3	4
1	भैंसा	21.10.10	5000
		12.11.10	10000
		16.11.10	15000
		05.12.10	10000
		17.12.10	25000
		19.12.10	20000
		05.01.11	21000
		05.01.11	4000
		15.01.11	10000
		24.01.11	10000
2	कोसरंगी	20.10.10	5000
		12.11.10	10000
		15.11.10	15000
		06.12.10	5000
		09.12.10	20000
		30.12.10	10000
		08.01.11	16500
		15.01.11	10000
3	देवरतिल्दा	21.10.10	5000
		12.11.10	15000
		15.11.10	15000
		07.12.10	10000
		08.01.11	22500
4	संकरी	21.10.10	5000
		13.11.10	15000
		18.11.10	10000
		19.12.10	22500
		19.12.10	24000
		08.01.11	6000
		08.01.11	22500
		08.01.11	22500
		24.01.11	12500
5	कोरासी	21.10.10	5000
		13.11.10	12000
		18.11.10	10000
		19.12.10	22500
		19.12.10	24000

मार्कफेड संग्रहण केन्द्र—तिल्दा से प्रदाय बारदानों की जानकारी

कं.	धान खरीदी समितियों का नाम	दिनांक	बारदाना की मात्रा (नग में)
1	2	3	4
1	भैंसा	02.12.10	7500
		04.12.10	7500
2	कोसरंगी	04.12.10	10000
3	संकरी	04.12.10	10000
4	कोरासी	04.12.10	7500

परिशिष्ट "तेईस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 568) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में राशनकार्डों के सत्यापन उपरांत निरस्त किये गये राशनकार्डों की जिलेवार जानकारी

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	निरस्त किये गये राशनकार्डों की जानकारी (3)
1.	धमतरी	6192
2.	बस्तर	30046
3.	कवर्धा	13962
4.	जशपुर	11088
5.	रायगढ़	15269
6.	कांकेर	11319
7.	दंतेवाड़ा	5639
8.	दुर्ग	52067
9.	सरगुजा	32999
10.	रायपुर	86912
11.	कोरबा	15496
12.	जांजगीर-चांपा	21035
13.	कोरिया	7533
14.	नारायणपुर	1781
15.	बिलासपुर	36819
16.	बीजापुर	2811
17.	महासमुंद	14273
18.	राजनांदगांव	24308

प्रपत्र “ब”

नगरीय क्षेत्रों के राशनकार्डों के नवीनीकरण हेतु मानदण्ड

1. नवीनीकरण हेतु राशन कार्डों का विवरण :—

- (1.1) प्रथम चरण में प्रदेश के समस्त नगर निगम, समस्त नगर पालिकाओं एवं 10000 तक की आबादी की नगर पंचायतों में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, बी.पी.एल. योजना, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना के वर्तमान में प्रचलित राशन कार्डों का परीक्षण उपरांत नवीनीकरण किया जाये.
- (1.2) इस अभियान का उद्देश्य पात्र हितग्राहियों के राशन कार्डों का नवीनीकरण किया जाना है. डुप्लीकेट, अवितरित, त्रुटिपूर्ण एवं राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अंतर्गत अब पात्रता न रखने वाले लोगों को जारी राशन कार्ड को निरस्त किया जावेगा.
- (1.3) इस अभियान में प्रचलित राशन कार्डों का परीक्षण उपरांत नवीनीकरण किया जावेगा. नये राशन कार्ड जारी नहीं करना है. नवीनीकृत राशन कार्डों में फोटो भी लगाई जायेगी ताकि हितग्राहियों की पहचान आसानी से हो सके.
- (1.4) पेंशनधारियों, निःशक्तजनों को छोड़कर सभी योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1991, वर्ष 1997, वर्ष 2002 एवं वर्ष 2007-08 के बी.पी.एल. सर्वे में शामिल परिवारों को राशन कार्ड जारी किया गया है. वर्तमान में प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1991 की बी.पी.एल. सर्वे सूची सभी स्थानों पर उपलब्ध नहीं है. अतः शहरी क्षेत्रों में वर्ष 1997 एवं वर्ष 2007-08 की सर्वे सूची एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1997 एवं वर्ष 2002 की बी.पी.एल. सर्वे सूची के आधार पर राशन कार्डों का सत्यापन कराया जाना उचित होगा. जो राशनकार्डधारी 1991 की बीपीएल सर्वे सूची के अथवा अन्त्योदय अन्न योजना के हैं उनका कार्ड इस परिपत्र में दर्शाई पात्रतानुसार सत्यापित किया जाये.
- (1.5) मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत गरीबों को दिया जाने वाले कार्डों के नवीनीकरण में पात्रता के निर्धारण के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :—
- (i) शासकीय सेवा से संबंधित परिवारों के लिए रुपये 3367/- प्रति माह को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशन कार्ड हेतु गरीब परिवार की आय का कट ऑफ आधार माना जावे. इससे अधिक मानदेय/वेतन प्राप्त करने वाले अस्थायी शासकीय कर्मचारियों को बी.पी.एल. राशनकार्ड के लिए अपात्र घोषित किया जावे.
- (ii) नगर निगम क्षेत्रों में 1000 वर्गफीट से अधिक, नगर पालिका क्षेत्र में 1250 वर्गफीट से अधिक और नगर पंचायत क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक के क्षेत्रफल में निर्मित स्वयं के पक्के मकान के मानदण्ड को अपात्रता का आधार बनाया जाये.
- (iii) नगर निगम क्षेत्रों में 1500 वर्गफीट से अधिक, नगर-पालिका क्षेत्र में 2000 वर्गफीट से अधिक और नगर पंचायत क्षेत्र में 2500 वर्गफीट से अधिक आवासीय भूमि के मानदण्ड को अपात्रता का आधार बनाया जावे.
- (iv) हितग्राही के स्वयं के खाते में बैंक/डाकघर में एक लाख रुपये से अधिक राशि जमा पाये जाने पर उसे अपात्र माना जावे.
- (v) मोटर चलित चार पहिया वाहन, जैसे-ट्रेक्टर, ट्रक, बस, कार स्वयं के नाम पर होने पर हितग्राही को अपात्र माना जावे. हितग्राही के परिवार में एक से अधिक मोटर चलित दुपहिया वाहन जैसे-मोटर साईकिल, स्कूटर आदि होने पर हितग्राही को अपात्र माना जावे.
- (vi) वर्तमान में कूलर, पंखे, मोबाईल, टी.वी., फ्रिज आदि दैनिक आवश्यक वस्तुएं हो गई है. अतः हितग्राही के मकान में इन वस्तुओं की उपलब्धता मात्र से उन्हें अपात्र घोषित नहीं किया जावे.

2. वर्तमान में परिवार के मुखिया के मृत्यु के उपरांत उसकी पत्नी के नाम पर राशनकार्ड जारी किया जाए. किन्तु मुखिया की पत्नी की भी मृत्यु हो जाने पर राशनकार्ड परिवार के आश्रित सदस्य को जारी किया जावे.

प्रपत्र “स”

ग्रामीण क्षेत्रों तथा 10,000 से कम आबादी वाले नगरीय क्षेत्रों के राशनकार्डों के नवीनीकरण हेतु मानदण्ड

1. नवीनीकरण हेतु राशन कार्डों का विवरण :—

- (1.1) इस अभियान के द्वितीय चरण में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों तथा 10,000 से कम आबादी वाले नगरीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, बी.पी.एल. योजना, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना के वर्तमान में प्रचलित राशन कार्डों का परीक्षण उपरांत नवीनीकरण किया जाये.
- (1.2) इस अभियान का उद्देश्य पात्र हितग्राहियों के राशन कार्डों का नवीनीकरण किया जाना है. डुप्लीकेट, अवितरित, त्रुटिपूर्ण एवं राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अंतर्गत अब पात्रता न रखने वाले लोगों को जारी राशन कार्ड को निरस्त किया जावेगा.
- (1.3) इस अभियान में प्रचलित राशन कार्डों का परीक्षण उपरांत नवीनीकरण किया जावेगा. नये राशन कार्ड जारी नहीं करना है. नवीनीकृत राशन कार्डों में फोटो भी लगाई जायेगी ताकि हितग्राहियों की पहचान आसानी से सके.
- (1.4) ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशनधारियों, निःशक्तजनों को छोड़कर सभी योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1991, वर्ष 1997 एवं वर्ष 2002 के बी.पी.एल. सर्वे में शामिल परिवारों को राशन कार्ड जारी किया गया है. इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में पेंशनधारियों, निःशक्तजनों को छोड़कर सभी योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1991, वर्ष 1997 एवं वर्ष 2007 के बी.पी.एल. सर्वे में शामिल परिवारों को राशन कार्ड जारी किया गया है. वर्तमान में प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1991 की बी.पी.एल. सर्वे सूची सभी स्थानों पर उपलब्ध नहीं है. अतः शहरी क्षेत्रों में वर्ष 1997 एवं वर्ष 2007-08 की सर्वे सूची एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1997 एवं वर्ष 2002 की बी.पी.एल. सर्वे सूची के आधार पर राशन कार्डों का सत्यापन कराया जाना उचित होगा. जो राशनकार्डधारी 1991 की बीपीएल सर्वे सूची के अथवा अंत्योदय अन्न योजना के हैं उनका कार्ड इस परिपत्र में दर्शाई पात्रतानुसार सत्यापित किया जाये.
- (1.5) मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत गरीबों को दिया जाने वाले कार्डों के नवीनीकरण में पात्रता के निर्धारण के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :—
- (i) शासकीय सेवा से संबंधित परिवारों के लिए रुपये 4212/- प्रति माह को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशन कार्ड हेतु गरीब परिवार की आय का कट ऑफ आधार माना जावे. यह आधार शासन द्वारा कुशल श्रमिक के लिए निर्धारित मानदेय के आधार पर रखा गया है. इससे अधिक मानदेय/वेतन प्राप्त करने वाले अस्थायी शासकीय कर्मचारियों को बी.पी.एल. राशनकार्ड के लिए अपात्र घोषित किया जावे. यह मानदंड उन सभी राशनकार्डधारी जो कि शासकीय कर्मचारी नहीं हैं, के लिए लागू नहीं होगा तथा इनकी पात्रता का निर्धारण नीचे दिये गये बिन्दु क्रमांक (ii) से लेकर (vi) में उल्लेखित मानदंडों के आधार पर किया जावे.
- (ii) 10,000 की जनसंख्या से कम जनसंख्या वाली नगर पंचायत क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में 2,500 वर्गफीट से अधिक के क्षेत्रफल में निर्मित स्वयं के पक्के मकान के मानदण्ड को अपात्रता का आधार बनाया जावे.
- (iii) 10,000 की जनसंख्या से कम जनसंख्या वाली नगर पंचायत क्षेत्र में 2500 वर्गफीट से अधिक आवासीय भूमि को अपात्रता का आधार बनाया जावे. ग्रामीण क्षेत्रों (अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर) में 5 एकड़ से अधिक के क्षेत्रफल की कृषि भूमि को अपात्रता का आधार बनाया जावे. अनुसूचित क्षेत्रों में कृषि भूमि के स्वामित्व का मानदण्ड अपात्रता का आधार नहीं होगा.
- (iv) निर्धारित सीमा से अधिक आवासीय भूमि अथवा पक्के मकान हितग्राही के स्वयं अथवा परिवार (पत्नि एवं बच्चों) के नाम पर होने पर उसे अपात्र माना जाये.
- (v) हितग्राही के स्वयं के खाते में बैंक/डाकघर में एक लाख रुपये से अधिक राशि जमा पाये जाने पर उसे अपात्र माना जावे.

- (vi) मोटर चलित चार पहिया एवं तिपहिया वाहन, जैसे-ट्रेक्टर, ट्रक, बस, कार, ऑटो स्वयं अथवा परिवार के अन्य सदस्यों (पत्नि एवं बच्चों) के नाम पर होने पर हितग्राही को अपात्र माना जावे. हितग्राही के परिवार में एक से अधिक मोटर चलित दुपहिया वाहन जैसे-मोटर साईकिल, स्कूटर आदि होने पर हितग्राही को अपात्र माना जावे.
- (vii) वर्तमान में कूलर, पंखे, मोबाईल, टी.वी., फ्रिज आदि दैनिक आवश्यक वस्तुएं हो गई हैं. अतः हितग्राही के मकान में इन वस्तुओं की उपलब्धता मात्र से उन्हें अपात्र घोषित नहीं किया जावे.
2. वर्तमान में परिवार के मुखिया के मृत्यु के उपरांत उसकी पत्नी के नाम पर राशनकार्ड जारी किया जाए. किन्तु मुखिया की पत्नी की भी मृत्यु हो जाने पर राशनकार्ड परिवार के आश्रित सदस्य को जारी किया जावे.

परिशिष्ट “चौबीस”

[अतारंकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 635) के भाग (ग) की जानकारी]

क्र.	निकाय का नाम	मोबाईल कंपनियों की संख्या	टॉवरों की संख्या	अनुमति	बिना अनुमति	बिना अनुमति के स्थापित टावरों के विरुद्ध की गई कार्यवाही
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	न. पा. महासमुंद	08	19	16	03	बी. एस. एन. एल. कंपनी एवं वोडाफोन कंपनी के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया है तथा रिलायंस कंपनी के विरुद्ध प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है.
2.	न. पं. बागबाहरा	08	08	08	निरंक	निरंक
3.	न. पं. पिथौरा	05	06	06	निरंक	निरंक
4.	न. पं. सराईपाली जारी	06	13	10	03	बिना अनुमति स्थापित टावर कंपनियों को नोटिस कर डिमांड बिल भेजी गई है.
5.	न. पं. बसना	05	05	04	01	नोटिस भेजकर बिना अनुमति टावर स्थापना पर कार्यवाही की जा रही है.
6.	न. पं. तुमगांव	05	05	02	03	बिना अनुमति प्राप्त टावरों के कंपनियों के विरुद्ध अनुमति लेने अन्यथा हटाने हेतु नोटिस दी जा रही है तथा सील करने की कार्यवाही भी की गई है.
योग		37	56	46	10	

परिशिष्ट “पन्चीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 648) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध उपयोग करते पाये जाने पर निर्मित प्रकरणों की जानकारी

क्रमांक (1)	व्यवसायी/ व्यक्ति का नाम (2)	जप्त गैस सिलेण्डर की मात्रा (3)	दिनांक (4)	की गई कार्यवाही (5)
1.	दिनेश्वर जायसवाल, संचालक महामाया डेली नीड्स, सरकंडा.	2 नग खाली सिलेण्डर.	07-08-2008	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
2.	वासुदेव मांझी, संचालक विकास इलेक्ट्रिकल, तोरवा बिलासपुर.	09 नग खाली गैस सिलेण्डर.	07-10-2008	शासन पक्ष में राजसात
3.	देव बिहारी कश्यप, सीपत चौक सरकंडा.	01 नग खाली गैस सिलेण्डर.	07-10-2008	शासन पक्ष में राजसात
4.	सोनू वर्मा, संचालक अनुराग गैस चूल्हा रिपेयरिंग सरकंडा.	10 नग खाली गैस सिलेण्डर.	07-10-2008	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
5.	बिहारीराम, ग्राम लिम्हा, तहसील मुंगेली.	01 नग मारूति वैन में.	21-08-2008	रुपये 5000/- राजसात कर मुक्त किया गया.
6.	राम कुमार गुप्ता, तिफरा	05 नग	19-09-2008	रुपये 2000/- राजसात कर मुक्त किया गया.
7.	विनोद कुमार गुप्ता, तिफरा	07 नग	19-09-2008	रुपये 3000/- राजसात कर मुक्त किया गया.
8.	अब्दुल अजीज, संचालक मद्रासी रेस्टोरेन्ट, बिलासपुर.	05 नग	24-10-2008	रुपये 4000/- राजसात कर मुक्त किया गया.
9.	सुनील कुमार आसवनी, मां भवानी जलपान गृह, अग्रसेन चौक बिलासपुर.	02 नग	24-10-2008	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
10.	रितेश चौकसे, संचालक महेश स्वीट्स, तारबाहर बिलासपुर.	05 नग	24-10-2008	जप्तशुदा सिलेण्डर की कीमत में से 4000/- राजसात.
11.	बाबूलाल चौधरी, संचालक सुरुचि रेस्टोरेन्ट बिलासपुर.	07 नग सिलेण्डर.	03-05-2009	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
12.	किविन वारिंग, प्रबंधक जे. बी. इन रेस्टोरेन्ट, बस स्टेण्ड बिलासपुर.	05 नग	03-05-2009	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
13.	राजेश बोरकर, तिफरा	01 नग	03-05-2009	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.	विजय शर्मा, सरगांव	05 नग	03-07-2009	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
15.	अहमद खान, संचालक बजरंग होटल बस स्टेण्ड, बिलासपुर.	01 नग	03-05-2009	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
16.	निर्मल तिवारी, प्रबंधक, छाया रेस्टोरेन्ट, बिलासपुर.	07 नग	03-05-2009	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
17.	राहुल साहू, हेमनगर बिलासपुर	01 नग	03-05-2009	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
वर्ष 2009-10				
18.	कमल किशोर छाबड़ा, संचालक बालाजी फास्ट फूड, बुधवारी बिलासपुर.	01 नग	30-05-2009	आदेश दिनांक 20-09-2010 द्वारा मुक्त.
19.	मनोज कुमार प्रधान, गैस वेल्डिंग दुकान बुधवारी बिलासपुर.	01 नग	30-05-2009	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
20.	एम. के. इंटरप्राइजेस, लिंक रोड बिलासपुर	01 नग	30-05-2009	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
21.	दिनेश्वर जायसवाल, संचालक ममता जनरल स्टोर, सरकंडा.	38 नग	07-09-2009	जप्तशुदा सिलेण्डर राजसात
22.	विवेन्द्र साहू, शुभम विहार, बिलासपुर	01 नग मय ऑटो.	08-11-2009	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
23.	राकेश कुमार प्रजापति, संचालक देहली फास्ट फूड, लिंक रोड बिलासपुर.	04 नग	25-02-2010	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
24.	गंगा प्रसाद साहू, संचालक भाई जी स्वीट्स करबला, बिलासपुर.	04 नग	25-02-2010	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
25.	विनोद बनसोडे, देविका विहार बिलासपुर	10 नग	20-07-2010	जप्तशुदा सिलेण्डर राजसात
26.	साहू जलपान गृह, मंगला चौक बिलासपुर	02 नग	09-10-2010	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
27.	संदीप अरोरा, संचालक महामाया डेयरी एंड डेली नीड्स, मुंगेली नाका, बिलासपुर.	03 नग	09-10-2010	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
28.	कमल गुप्ता संचालक कृष्णा डेयरी सदर बाजार बिलासपुर.	01 नग	13-09-2010	जप्तशुदा सिलेण्डर एवं 5000/- अर्थदण्ड की राशि राजसात.
29.	सुनील गुप्ता संचालक गुप्ता डेयरी सीपत रोड सरकंडा.	01 नग	13-09-2010	जप्तशुदा सिलेण्डर की राशि 1452/- राजसात.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30.	रायपुर बिरयानी सेंटर, बिलासपुर	02 नग	14-10-2010	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
31.	सत्यपाल बलेचा, संचालक शिवशंकर स्वीट्स, महाराणा प्रताप चौक बिलासपुर.	02 नग	13-01-2011	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
32.	नरेश कुमार बर्मन अमरकंटक	पिकअप वाहन 17 नग भरे सिलेण्डर.	02-02-2011	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
33.	मां काली भोजनालय, गौरैला	01 नग	15-03-2011	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
34.	सुरभि लॉज, गौरैला	01 नग	15-03-2011	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
35.	जायसवाल होटल, गौरैला	01 नग	15-03-2011	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
36.	मिलेनियम होटल, गौरैला	01 नग	15-03-2011	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
37.	पेण्ड्रावाला रेस्टोरेन्ट, गौरैला	01 नग	15-03-2011	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन

परिशिष्ट "छब्बीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 683) के भाग (क) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

राजनांदगांव जिला-वर्ष 2010-11 में छापामार प्रकरणों की विकासखंड एवं स्थलवार जानकारी

क्रं.	विकासखण्ड	फर्म का नाम/व्यक्ति का नाम	स्थल का नाम	जप्त सामग्री
1	2	3	4	5
1	खैरागढ़	श्री घेवर चंद जैन	खैरागढ़	ट्रेक्टर
2	खैरागढ़	श्री आशीष मिश्रा	खैरागढ़	मिनी बस
3	खैरागढ़	ढालचंद महोबिया	ठेलकाडीह	2 सिलेंडर
4	खैरागढ़	हेमन्त ठाकुर	खैरागढ़	केरोसिन का दुरुपयोग, मेटाडोर जब्त
5	खैरागढ़	श्री जुगल	खैरागढ़	केरोसिन का दुरुपयोग, मेटाडोर जब्त
6	खैरागढ़	लोमन साहु	अमलीडीह	केरोसिन का दुरुपयोग, ट्रेक्टर जब्त
7	मोहला	रजा हमीद खान	बाधापारा मोहला	14 नग सिलेंडर
8	राजनांदगाँव	श्रीमति शीतल कौर एवं अन्य	राजनांदगाँव	ट्रक एवं 350 लीटर केरोसिन
9	राजनांदगाँव	गुरमित सिंह एवं अन्य	राजनांदगाँव	ट्रक एवं 250 लीटर केरोसिन
10	राजनांदगाँव	गुरमित सिंह एवं अन्य	राजनांदगाँव	ट्रक एवं 250 लीटर केरोसिन
11	राजनांदगाँव	गुरप्रित सिंह	राजनांदगाँव	ट्रक
12	राजनांदगाँव	अज्ञात	राजनांदगाँव	ट्रक एवं मिटटी तेल 200 लिटर
13	राजनांदगाँव	श्री तजीन्दर सिंह	ठाकुरटोला	2335 लिटर मिटटी तेल एक टूल्सू पम्प 25 इंच
14	राजनांदगाँव	अमरजीत सिंग	राजनांदगाँव	ट्रक एवं 390 लीटर मिटटी तेल
15	राजनांदगाँव	गंगा टंडन	राजनांदगाँव	रिक्शा हॉकर रिक्शा एवं 100 लीटर मिटटी तेल
16	राजनांदगाँव	मनहरण रजक	राजनांदगाँव	रिक्शा हॉकर रिक्शा एवं 100 लीटर मिटटी तेल
17	राजनांदगाँव	प्रितम साहु	राजनांदगाँव	100 लीटर मिटटी तेल
18	राजनांदगाँव	लतखोर रजक	राजनांदगाँव	100 लीटर मिटटी तेल
19	राजनांदगाँव	मुकेश देशमुख	राजनांदगाँव	2 सिलेंडर
20	राजनांदगाँव	सी. आई.टी कॉलेज	राजनांदगाँव	4 सिलेंडर
21	राजनांदगाँव	जोधपुर मारवाडी भोजनालय	राजनांदगाँव	5 नग सिलेंडर
22	राजनांदगाँव	श्री काशी अग्रवाल	राजनांदगाँव	1 नग सिलेंडर
23	राजनांदगाँव	बबलू सिंग ठाकुर	राजनांदगाँव	2 नग सिलेंडर
24	राजनांदगाँव	नवीन कुमार पांडे	राजनांदगाँव	3 नग सिलेंडर
25	राजनांदगाँव	अजय खण्डेलवाल	राजनांदगाँव	9 सिलेंडर एक रिफिलिंग मशीन
26	राजनांदगाँव	राकेश जैन	राजनांदगाँव	6 नग सिलेंडर
27	राजनांदगाँव	अतूल राईस मिल	भोथीपार	1238 क्विंटल चावल एवं 129 क्विंटल कनकी
28	राजनांदगाँव	ए. टी. सी राईस मिल	मोहारा रोड	1361 क्विंटल धान एवं चावल 1371 कनकी 295

क्रं.	विकासखण्ड	फर्म का नाम/व्यक्ति का नाम	स्थल का नाम	जप्त सामग्री
1	2	3	4	5
29	राजनांदगाँव	सुनिल जौहरानी	रायपुर नाका, राजनांदगाँव	6 नग सिलेडर 4 रेग्येलेटर और 4 भट्टिया
30	राजनांदगाँव	राजमेश चंद्र साहू	राजनांदगाँव	50 लिटर नीला मिट्टी तेल एवं कन्टेनर
31	राजनांदगाँव	महेश अग्रवाल	राजनांदगाँव	80 लिटर मिट्टी तेल एक जरीकेन
32	राजनांदगाँव	लक्ष्मी चंद्र बदीनारायण	राजनांदगाँव	कोई अनियमितता नहीं
33	राजनांदगाँव	रामबाबु यादव	राजनांदगाँव	मारुती वेन एवं 2 सिलेडर
34	राजनांदगाँव	मुरलीधर शर्मा	राजनांदगाँव	मारुती वेन एवं 1 सिलेडर 2 रिफ्लिंग मशीन जब्त
35	राजनांदगाँव	संतोष कुमार शर्मा	राजनांदगाँव	मारुती कार एवं गैस सिलेडर
36	राजनांदगाँव	प्रकाश दास मानिकपुरी	राजनांदगाँव	केरोसिन का दुरुपयोग ट्रक जब्त
37	राजनांदगाँव	नेपाल सिंह	सोमनी	अवैद्य धान खरीदी 204 कटटा धान जब्त
38	डोंगरगढ़	मतीन अहमद	डोंगरगढ़	2 नग सिलेडर
39	डोंगरगढ़	श्री तूलसी डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	ट्रेक्टर
40	डोंगरगढ़	गोर्वधन	डोंगरगढ़	ट्रेक्टर
41	डोंगरगढ़	हेमन्त सिंह चौहान	डोंगरगढ़	बस
42	डोंगरगढ़	सुनिल हरिभाउ	डोंगरगाँव	ट्रक
43	डोंगरगढ़	श्री राजेश	डोंगरगढ़	ट्रेक्टर
44	डोंगरगढ़	अब्दूल असद	डोंगरगढ़	ट्रेक्टर
45	डोंगरगढ़	राजकुमार महोबिया	डोंगरगढ़	ट्रेक्टर
46	डोंगरगढ़	राजेन्द्र सहारे	डोंगरगढ़	1 नग सिलेडर
47	डोंगरगढ़	महेन्द्र चौधरी	डोंगरगढ़	3 नग सिलेडर
48	डोंगरगढ़	पार्वती बाई	डोंगरगढ़	1 नग सिलेडर
49	डोंगरगढ़	कौशल सिन्हा	डोंगरगढ़	2 नग सिलेडर
50	डोंगरगढ़	सजीव वामन राव	डोंगरगढ़	3 नग सिलेडर
51	डोंगरगढ़	आशोक यादव	डोंगरगढ़	2 नग सिलेडर
52	डोंगरगढ़	मदनलाल	डोंगरगढ़	3 नग सिलेडर
53	डोंगरगढ़	राजेश	डोंगरगढ़	2 नग सिलेडर
54	डोंगरगढ़	कवलजीत सिंह भाटिया	पाटेकोहरा, छुरिया	ट्रक एवं 239 क्विंटल धान
55	डोंगरगढ़	खिलेन्द्र यादव	लाल बहादुर नगर	1000 नग खाली बारदाना
56	डोंगरगढ़	महेश आत्मज कमल	डोंगरगढ़	मेटाडोर एवं 56 क्विं. धान जब्त
57	डोंगरगढ़	देव कुमार राजेश नरेन्द्र	ठाकुरटोला	3 मेटाडोर जब्त एवं 348 कटटा धान जब्त

क्र.	विकासखण्ड	फर्म का नाम/व्यक्ति का नाम	स्थल का नाम	जप्त सामग्री
1	2	3	4	5
58	डोंगरगढ़	राजेन्द्र कुमार	डोंगरगढ़	केरोसिन का दुरुपयोग मेटाडोर जब्त
59	डोंगरगढ़	राजेश नन्देश्वर	डोंगरगढ़	केरोसिन का दुरुपयोग ट्रेक्टर जब्त
60	डोंगरगढ़	राजेश नन्देश्वर	डोंगरगढ़	केरोसिन का दुरुपयोग ट्रेक्टर जब्त
61	डोंगरगांव	भवानी शंकर	डोंगरगांव	2 नग सिलेडर
62	डोंगरगांव	संजय कुमार जैन	तुमडीबोड़	3 नग सिलेडर
63	डोंगरगांव	जिनदत्त चावल उद्योग	डोंगरगांव	955 क्विंटल चावल एवं 309 क्विंटल कनकी
64	डोंगरगांव	राजेश कुमार	डोंगरगांव	केरोसिन का दुरुपयोग मेटाडोर जब्त
65	डोंगरगांव	हलीम आत्मज युशुफ	मटेवा डोंगरगांव	केरोसिन का दुरुपयोग मेटाडोर जब्त
66	डोंगरगांव	छन्नू लाल साहु	डोंगरगांव	केरोसिन का दुरुपयोग ट्रेक्टर जब्त
67	छुईखदान	दीपक चौरे	छुईखदान	सवारी आटो
68	छुईखदान	उपेन्द्र यादव	गंडई	1 नग सिलेडर
69	छुईखदान	मुकेश वर्मा	गंडई	1 नग सिलेडर 1 रेग्युलेटर
70	छुईखदान	मोहम्मद सफी	गंडई	2 नग सिलेडर 1 रेग्युलेटर
71	छुईखदान	अनिल सिन्हा	गंडई	1 गैस सिलेडर 1 रेग्युलेटर 1 चुल्हा
72	छुईखदान	अविनाश श्रीवास्तव	गंडई	1 सिलेडर
73	छुईखदान	राकेश ठाकुर	गंडई	केरोसिन का उलघन ट्रक जब्त
74	छुईखदान	भुषण मनी	गंडई	केरोसिन का दुरुपयोग मेटाडोर जब्त
75	छुईखदान	जगन दास मानिकपुरी	छुईखदान	केरोसिन का दुरुपयोग मेटाडोर जब्त
76	छुईखदान	जगन दास मानिकपुरी	सालहेवारा	केरोसिन का दुरुपयोग मेटाडोर जब्त
77	छुईखदान	अनिल कुमार देवांगन	छुईखदान	केरोसिन का दुरुपयोग मिनी बस जब्त
78	छुईखदान	विष्णु पटेल सालहेवारा	सालहेवारा	केरोसिन का दुरुपयोग मेटाडोर जब्त
79	छुईखदान	नीला राम यादव	छुईखदान	अवैध धान विक्रय 142 कट्टा धान जब्त एवं मेटाडोर जब्त
80	छुईखदान	अशोक कुमार साहु	छुईखदान	वाहन एवं 35 बोरा धान जब्त
81	छुईखदान	तुलाराम	छुईखदान	मेटाडोर वाहन एवं 85 क्विं. धान जब्त
82	छुरिया	योगिता उपाध्याय	छुरिया	टैंकर और 9000 लीटर मिटटी तेल
83	छुरिया	आनंद यादव	छुरिया	केरोसिन का दुरुपयोग 3 व्हीलर जब्त
84	छुरिया	रमेश कश्यप	छुरिया	केरोसिन का दुरुपयोग मेटाडोर जब्त
85	छुरिया	सिद्धिकि कुरेशी	छुरिया	केरोसिन का दुरुपयोग मेटाडोर जब्त
86	छुरिया	रेखराम साहु	सडक चिरचारी	अवैध धान विक्रय 40 कट्टा धान जब्त
87	छुरिया	उत्तम कुमार	सडक चिरचारी	अवैध धान विक्रय 70 कट्टा धान जब्त
88	चौकी	अनीष ठक्कर	बांधाबाजार	मेटाडोर
89	चौकी	शरद खण्डेलवाल	आतरगांव	12 क्विं. धान जब्त
90	चौकी	तुलसी राम	चौकी	130 क्विंटल धान जब्त

क्रं.	विकासखण्ड	फर्म का नाम/व्यक्ति का नाम	स्थल का नाम	जप्त सामाग्री
1	2	3	4	5
91	चौकी	गिरीश कुमार साहु	टाटेकसा	80 बोरा धान एवं मेटाडोर
92	चौकी	पंकज खण्डेलवाल	चौकी	केरोसिन का दुरुपयोग मेटाडोर जप्त
93	चौकी	गजेन्द्र नामदेव	चौकी	अवैध धान विक्रय 80 कटटा धान जप्त
94	चौकी	श्री जलज कुमार	चौकी	अवैध धान विक्रय 180 कटटा धान जप्त
95	चौकी	कामता प्रसाद	छछानपाहरी	अवैध धान विक्रय 90 कटटा धान जप्त
96	चौकी	रामजी लाल	चौकी	अवैध धान विक्रय 112 कटटा धान जप्त
97	चौकी	धान खरीदी केन्द्र छदानपहरी	छछानपाहरी	72 बोरा धान जप्त
98	चौकी	श्री अहमद	चौकी	मिटटी तेल का अवैध व्यवसाय 80 लीटर तेल जप्त
99	चौकी	किशोर जूरसिया	चौकी	अवैध धान विक्रय 210 कटटा धान जप्त

प्रपत्र "ब"

राजनादगांव जिला-वर्ष 2011-12 में छापामार प्रकरणों की विकासखंड एवं स्थलवार जानकारी

क्रं.	विकासखण्ड	फर्म का नाम/व्यक्ति का नाम	स्थल का नाम	जप्त सामग्री
1	2	3	4	5
1	खैरागढ़	दिलीप साहु	खैरागढ़	घरेलू गैस का दुरुपयोग 1 सिलेडर जब्त
2	खैरागढ़	कुजू सिंग	खैरागढ़	घरेलू गैस का दुरुपयोग 1 सिलेडर 1 चुल्हा 1 रेग्युलेटर जब्त
3	खैरागढ़	राजेन्द्र अग्रवाल	खैरागढ़	घरेलू गैस का दुरुपयोग 1 सिलेडर 1 चुल्हा 1 जब्त
4	राजनादगाँव	नेहरु सतनामी	राजनादगाँव	केरोसिन का दुरुपयोग मेटाडोर जब्त एवं 25 लीटर केरोसीन जब्त
5	राजनादगाँव	अनुराग एजेंसी रायपुर	राजनादगाँव	320 कटटा शक्कर एवं दो ट्रक जब्त
6	राजनादगाँव	कैलाश शर्मा श्रोती	राजनादगाँव	मारुती वेन 2, 4 सिलेडर एवं 2 रिफिलिंग मशीन जब्त
7	डोंगरगढ़	विनित यादव	खैरागढ़	घरेलू गैस का दुरुपयोग 1 सिलेडर जब्त
8	डोंगरगाँव	लिखन राम साहु तुमडीबोड	तुमडीबोड	360 नग सिलेडर जब्त
9	डोंगरगढ़	प्यारे लाल साहु	डोंगरगढ़	घरेलू गैस का दुरुपयोग 1 सिलेडर जब्त
10	डोंगरगढ़	शेरे पंजाब होटल	डोंगरगढ़	घरेलू गैस का दुरुपयोग 1 सिलेडर जब्त
11	डोंगरगढ़	एज खान रेस्टोरेंट	डोंगरगढ़	घरेलू गैस का दुरुपयोग 2 सिलेडर जब्त
12	डोंगरगढ़	राकेश अग्रवाल	डोंगरगढ़	घरेलू गैस का दुरुपयोग 1 सिलेडर जब्त
13	डोंगरगढ़	हरमिन्दर सिंह	डोंगरगढ़	घरेलू गैस का दुरुपयोग 1 सिलेडर जब्त
14	डोंगरगढ़	विजय कमल रेस्टोरेंट	डोंगरगढ़	घरेलू गैस का दुरुपयोग 1 सिलेडर जब्त
15	डोंगरगढ़	होटल स्वागतम	डोंगरगढ़	घरेलू गैस का दुरुपयोग 1 सिलेडर जब्त
16	डोंगरगढ़	मुकेश सहारे	डोंगरगढ़	घरेलू गैस का दुरुपयोग 1 सिलेडर जब्त
17	डोंगरगढ़	राजेश अग्रवाल	डोंगरगढ़	घरेलू गैस का दुरुपयोग 1 सिलेडर जब्त
18	डोंगरगढ़	अब्दुल कलीम	डोंगरगढ़	घरेलू गैस का दुरुपयोग 1 सिलेडर जब्त
19	डोंगरगाँव	ईश्वर लाल साहु	तुमडीबोड	घरेलू गैस का दुरुपयोग 05 किलो का 1 सिलेडर जब्त
20	छुईखदान	हबीब	गंडई	घरेलू गैस का दुरुपयोग 2 सिलेडर जब्त
21	छुईखदान	उपेन्द्र	गंडई	घरेलू गैस का दुरुपयोग 1 सिलेडर जब्त

परिशिष्ट "सत्ताईस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 723) के भाग (ख) की जानकारी]

कार्यालय संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर छ.ग.

क्रमांक/ /नग्रानि/पीएल-244/2009

रायपुर, दिनांक -

प्रति

मेसर्स लाल गंगा बिल्डर्स प्रा.लि.
 डायरेक्टर श्री अशोक कुमार जैन
 जी.ई.रोड, रायपुर छ.ग.

विषय- विकास अनुज्ञा बाबत.

संदर्भ- आपका आवेदन पत्र दिनांक 20-08-09

उपरोक्त संदर्भित आवेदन पत्र में यथावर्णित भूमि खसरा क्रमांक 611/1, 611/2, 612/1, 611/3, 611/4, 611/5, 612/5, 612/6, 612/7, 612/2, 614/1, 615/5, 612/9, 612/4, 612/8, 615/20, 615/18, 615/19, रकबा 1.607 हे. ग्राम तेलीबांधा प.ह.नं. 113, रा.नि.मं. रायपुर, तहसील व जिला रायपुर पर संलग्न अभिन्यास में दर्शाए अनुसार रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में मिश्रित उपयोग के अंतर्गत वाणिज्यिक एवं होटल उपयोग हेतु छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा 30 एवं छ.ग. भूमि विकास नियम-1984 के नियम 27 के प्रावधानों के तहत निम्न शर्तों के अधीन रहते हुए विकास अनुज्ञा दी जाती है :-

1. अनुमति इस आधार पर दी जाती है कि आवेदित भूमि आवेदक के पूर्ण स्वामित्व एवं आधिपत्य में है स्वामित्व संबंधी विवाद के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा. सारभूत तथ्य के संबंध में कोई असत्य पाये जाने पर यह अनुज्ञा प्रतिसंहत की जा सकेगी.
2. भूमि का व्यपवर्तन राजस्व विभाग से कराना आवश्यक है.
3. किसी भी स्थिति में विकास अनुज्ञा के विरुद्ध कोई विकास/निर्माण न किया जावे.
4. सर्वप्रथम भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग से कराना होगा तत्पश्चात् स्थल पर अभिन्यास अनुसार सीमांकन कराया जाकर सीमांकित अभिन्यास का सत्यापन इस कार्यालय से कराया जाना आवश्यक है.
5. छ.ग. भूमि विकास नियम-1984 के नियम 64 के प्रावधानों के अनुसार प्रति 100 वर्गमीटर में एक वृक्ष की दर से वृक्षारोपण कराना होगा.
6. छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 संशोधित अधिनियम 1996 में विहित प्रावधानों के अनुसार यह अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष तक प्रभावशील रहेगी. निर्धारित कालावधि में विकास/निर्माण कार्य पूर्ण न होने पर इस अनुज्ञा को वर्षानुवर्ष विधिमान्य कराना होगा. जिसकी कुल अवधि प्रथम स्वीकृति के दिनांक से अधिकतम पांच वर्षों तक हो सकेंगी.
7. परिसर में आवश्यक सुविधाओं जैसे जल आपूर्ति, मल निकास, सोकपिट, सेप्टिक टैंक, खुले स्थानों का विकास एवं विद्युतीकरण आदि का विकास आवेदक को स्वयं के व्यय पर करना होगा.
8. छ.ग. भूमि विकास नियम-1984 के नियम 78 के प्रावधान के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना होगा.
9. नालियों का बेड लेबल प्राकृतिक जल प्रवाह की दिशा में रखा जावे एवं उसकी चौड़ाई कम से कम 0.5 मीटर रखी जावे एवं भूखण्ड के सम्मुख नाली का निर्माण आवेदक को स्वयं के व्यय पर करना होगा.

10. जी.ई. मार्ग के मध्य से 33.5 मीटर एवं एयरपोर्ट मार्ग के मध्य से 30 मीटर छोड़ने के पश्चात् भूखण्ड रेखी मानी जावेगी. तत्पश्चात् उपांतीय खुला क्षेत्र मानचित्रानुसार छोड़ा जावे.
11. भूतल कवरेज 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा.
12. फर्शी क्षेत्र अनुपात 2.5 से अधिक नहीं होगा.
13. दो बेसमेन्ट पार्किंग उपयोग हेतु विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में दिये गये बेसमेन्ट के मापदण्डों के अंतर्गत एवं लोवर भूतल पार्किंग अपर भूतल से चतुर्थ तल तक की स्वीकृति दी जाती है.
14. भवन की ऊंचाई 18 मीटर से अधिक नहीं होगी.
15. भवन निर्माण की अनुमति नगर पालिक निगम, रायपुर से प्राप्त करना आवश्यक होगा.
16. इस अनुमति का यह आशय नहीं है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय या अर्ध-शासकीय विभागों से प्राप्त की जाने वाली अनुमतियों से मुक्त है. अर्थात् यदि किसी प्रकार की अनुमति आदि प्राप्त करना हो तो ऐसी अनिवार्यता इस अनापत्ति से प्रभावित नहीं होगी.
17. निजी भूमि स्वामित्व के बाहर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न किया जावे.
18. विकास अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन होने अथवा किसी असत्य जानकारी अथवा विवाद की स्थिति में इस भूमि पर प्रदत्त विकास अनुज्ञा छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत रिवोक की जा सकेगी.

हस्ता/-

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्या. रायपुर-छ.ग.

पृ. क्रमांक/6303/नग्रानि/पीएल-244/2009

रायपुर, दिनांक 15-10-0

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु.
2. आयुक्त आयकर विभाग, रायपुर को सूचनार्थ.
3. नगर निवेशक, नगर पालिक निगम, रायपुर की ओर सूचनार्थ.

सही/-

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्या. रायपुर-छ.ग.

परिशिष्ट "अर्द्धाईस"

[अतारक्षित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 724) के भाग (ख) की जानकारी]

जे. एन. एन. यू. आर. एम. के तहत वर्षवार केन्द्र सरकार से प्राप्त आवंटन, नगरीय निकाय को पुनर्आवंटित एवं व्यय की जानकारी

राशि लाख में

क्र.	परियोजना का नाम	वर्ष 2006-07		वर्ष 2007-08		वर्ष 2008-09		वर्ष 2009-10		वर्ष 2010-11		वर्ष 2011-12		केन्द्र से कुल प्राप्त राशि	निकाय को कुल आवंटित राशि	कुल व्यय राशि
		केन्द्र से प्राप्त राशि	निकाय को आवंटित राशि	केन्द्र से प्राप्त राशि	निकाय को आवंटित राशि	केन्द्र से प्राप्त राशि	निकाय को आवंटित राशि	केन्द्र से प्राप्त राशि	निकाय को आवंटित राशि	केन्द्र से प्राप्त राशि	निकाय को आवंटित राशि	केन्द्र से प्राप्त राशि	निकाय को आवंटित राशि			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
यू.आई.जी.																
1	रायपुर जल आवर्धन योजना	4800.00	0.00	1272.75	5829.84	0.00	0.00	12145.60	12145.60	0.00	0.00	3643.68	3886.59	21862.03	21862.03	25028.00
2	रायपुर सिटी बस योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	0.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	594.00	0.00
बी.एस.यू.पी.																
3	बी.एस.यू.पी. रायपुर फेस - 1	0.00	0.00	7804.00	7725.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7804.60	1000.00	0.00	5300.00	15608.60	14025.96	11929.00
4	बी.एस.यू.पी. रायपुर फेस - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.34	0.00	0.00	0.00	744.34	0.00	0.00
5	बी.एस.यू.पी. नया रायपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.75	552.72	0.00	0.00	575.75	552.72	91.00
यू.आई.डी.एस.एस.एम.डी																
6	बिलासपुर जल आवर्धन योजना	1657.04	1640.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1657.04	16.57	0.00	0.00	3314.08	1657.04	1657.04
7	बिलासपुर भूमिगत सीवरज योजना	0.00	0.00	4289.00	4117.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.56	0.00	0.00	4289.00	4289.00	4289.00
8	रायगढ़ जल आवर्धन योजना	609.80	603.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.80	5.90	0.00	0.00	1219.60	609.80	609.80
9	कोडागांव जल आवर्धन योजना	180.62	179.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.62	1.43	0.00	0.00	361.24	180.62	180.62
आई.एच.एस.डी.पी.																
10	बिलासपुर आई.एच.एस.डी.पी.	0.00	0.00	439.58	435.18	0.00	0.00	439.59	422.01	0.00	0.00	0.00	0.00	879.17	857.19	1152.11
11	जामुल आई.एच.एस.डी.पी.	0.00	0.00	108.96	107.86	0.00	0.00	108.95	104.59	0.00	0.00	0.00	0.00	217.91	212.45	262.40
12	कुम्हारी आई.एच.एस.डी.पी.	0.00	0.00	123.20	121.97	0.00	0.00	123.20	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00	246.40	240.24	332.73
13	बिलासपुर फेस -1 आई.एच.एस.डी.पी.	0.00	0.00	606.46	582.21	0.00	0.00	0.00	0.00	303.24	0.00	0.00	303.24	909.70	885.45	1116.13
14	बिलासपुर फेस -2 आई.एच.एस.डी.पी.	0.00	0.00	2653.90	2547.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2653.90	2547.74	3090.93
15	जगदलपुर आई.एच.एस.डी.पी.	0.00	0.00	325.42	312.41	0.00	0.00	325.42	312.10	0.00	0.00	0.00	0.00	650.84	624.51	895.92
16	रायगढ़ आई.एच.एस.डी.पी.	0.00	0.00	532.38	511.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.38	511.09	0.00
17	दुर्ग आई.एच.एस.डी.पी.	0.00	0.00	660.12	633.72	0.00	0.00	660.12	633.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1320.24	1267.43	1571.06
18	डोंगरगढ़ आई.एच.एस.डी.पी.	0.00	0.00	95.31	91.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.31	91.49	153.15

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत वर्षवार केन्द्र सरकार से प्राप्त आबंटन, नगरीय निकाय को पुर्नआबंटित एवं व्यय की जानकारी

राशि लाख में

क्र.	परियोजना का नाम	वर्ष 2006-07		वर्ष 2007-08		वर्ष 2008-09		वर्ष 2009-10		वर्ष 2010-11		वर्ष 2011-12		केन्द्र से कुल प्राप्त राशि	निकाय को कुल आबंटित राशि	कुल व्यय राशि
		केन्द्र से प्राप्त राशि	निकाय को आबंटित राशि	केन्द्र से प्राप्त राशि	निकाय को आबंटित राशि	केन्द्र से प्राप्त राशि	निकाय को आबंटित राशि	केन्द्र से प्राप्त राशि	निकाय को आबंटित राशि	केन्द्र से प्राप्त राशि	निकाय को आबंटित राशि	केन्द्र से प्राप्त राशि	निकाय को आबंटित राशि			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	बालोद आई.एच.एस.डी.पी.	0.00	0.00	93.31	91.49	0.00	0.00	95.30	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00	188.61	182.97	258.27
20	भाटोपारा आई.एच.एस.डी.पी.	0.00	0.00	181.20	173.95	0.00	0.00	181.20	173.95	0.00	0.00	0.00	0.00	362.40	347.90	439.78
21	बेमेतरा आई.एच.एस.डी.पी.	0.00	0.00	95.32	91.50	0.00	0.00	95.32	91.51	0.00	0.00	0.00	0.00	190.64	183.01	248.84
22	कुरुद आई.एच.एस.डी.पी.	0.00	0.00	87.20	83.71	0.00	0.00	87.21	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00	174.41	167.44	145.61
23	अमनपुर आई.एच.एस.डी.पी.	0.00	0.00	95.87	92.04	0.00	0.00	95.87	92.04	0.00	0.00	0.00	0.00	191.74	184.08	173.00
24	डोंगरगाव आई.एच.एस.डी.पी.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.28	288.27	0.00	0.00	0.00	0.00	300.28	288.27	120.00
25	वखर्वा आई.एच.एस.डी.पी.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.04	560.68	0.00	0.00	0.00	0.00	584.04	560.68	4.68
26	खैरामड आई.एच.एस.डी.पी.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.94	269.70	0.00	0.00	0.00	0.00	280.94	269.70	73.26
27	राजनानंदगांव आई.एच.एस.डी.पी.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.86	648.83	0.00	0.00	0.00	0.00	675.86	648.83	0.00
		7247.46	2423.56	19463.98	23549.60	594.00	0.00	16198.90	16630.47	11875.39	1748.18	3643.68	9489.83	59023.41	53841.64	53822.33

परिशिष्ट “ उन्तीस ”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क. 727) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “ अ ”

तालाबों में जन भागीदारी

क्र. (1)	संस्थाओं का नाम (2)	तालाब का विवरण (3)
1.	हीरा फेरो एलायस इंडस्ट्रीज उरला जिला रायपुर एवं छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन एसोसिएशन, रायपुर.	खारून नदी, महादेव घाट, रायपुरा
2.	जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, मंदिर हसौद, जिला-रायपुर.	नरैया तालाब, टिकरापारा
3.	सेन्चुरी टेक्सटाईल्स इंडस्ट्री, बैकुण्ठ, तहसील तिल्दा, जिला-रायपुर.	बड़ा तालाब, गोंदवारा
4.	जी. एम. आर. पावर प्रोजेक्ट अशोका रत्ना विधानसभा रोड, रायपुर.	गंगा नगर, गोंदवारा
5.	मे. ईमामी सीमेंट लिमिटेड, देवेन्द्र नगर, मंडी रोड, रायपुर	शिव नगर, पैडू तालाब खम्हारडीह
6.	अंबुजा सीमेंट इस्टर्न लिमिटेड रवान, तहसील बलौदा बाजार	शीतला तालाब, अवंति विहार
7.	अध्यक्ष, मिनी प्लांट एसोसिएशन एवं फेरोएलाईज एसोसिएशन, रायपुर.	बन्धुआ तालाब, दलदल सिवनी
8.	मे. सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड जी. एम. जी. हाऊस, पंचशील नगर, रायपुर.	अमलीडीह तालाब, रेल्वे लाईन, अमलीडीह.
9.	रुंगटा सीमेंट लिमिटेड, रायपुर	फुण्डहर तालाब, फुण्डहर
10.	मे. एस. के. एस. इस्पात लिमिटेड, ग्राम-सिलतरा	जोरा तालाब, रायपुरा
11.	प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम-गोगांव, विकासखंड धरसीवा	कल्याण सागर, रायपुरा
12.	मे. अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, हिरमी, तहसील सिमगा	अगरिया तालाब, रायपुरा
13.	मे. ईमामी सीमेंट लिमिटेड, देवेन्द्र नगर, मंडी रोड, रायपुर.	रोहिणीपुरम तालाब, सुन्दरनगर
14.	श्री सीमेंट एवं आधुनिक सीमेंट, रायपुर	नया तालाब, कोटा
15.	मेसर्स कार्पोरेट इस्पात एलाइज लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, रायपुर.	तिरिया तालाब, गोगांव
16.	मे. गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड, सिलतरा	शीतला तालाब, खमतराई

प्रपत्र “ ब ”

अपूर्ण तालाबों की सूची

क्र. (1)	तालाब का विवरण (2)
1.	नरैया तालाब, टिकरापारा
2.	बड़ा तालाब, गोंदवारा
3.	गंगा नगर, गोंदवारा
4.	शिवनगर, पैडू तालाब खम्हारडीह
5.	शीतला तालाब, अंवति विहार
6.	अमलीडीह तालाब, रेल्वे लाईन, अमलीडीह
7.	जोरा तालाब, रायपुरा
8.	कल्याण सागर, रायपुरा
9.	अगरिया तालाब, रायपुरा
10.	रोहिणीपुरम तालाब, सुन्दर नगर
11.	नया तालाब, कोटा
12.	तिरिया तालाब, गोगांव

परिशिष्ट “ तीस ”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 30 (क. 747) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “ अ ”

बीपीएल राशन कार्डधारियों में से अपात्र पाये गये राशन कार्डधारियों की वर्षवार, जिलेवार जानकारी

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	वर्ष 2009-10 (3)	वर्ष 2010-11 (4)	वर्ष 2011-12 (5)
1.	धमतरी	2541	6602	129
2.	बस्तर	9481	17933	12113
3.	कवर्धा	0	13962	0
4.	जशपुर	2012	4523	6686
5.	रायगढ़	1060	9280	3523
6.	कांकेर	5020	11080	0
7.	दंतेवाड़ा	0	2460	3179
8.	दुर्ग	0	3678	9938
9.	सरगुजा	2012	4523	6680
10.	रायपुर	15487	16544	968
11.	कोरबा	0	5272	10224
12.	जांजगीर-चांपा	7975	15289	5746
13.	कोरिया	0	7523	0
14.	नारायणपुर	603	1781	0
15.	बिलासपुर	9351	33024	7386
16.	बीजापुर	0	2811	0
17.	महासमुंद	0	14275	0
18.	राजनांदगांव	0	24308	0

टीप :- वर्ष 2009-10 में जांजगीर-चांपा जिले में 270 एपीएल राशनकार्ड अपात्र पाये गये, शेष जिलों में अपात्र पाये गये एपीएल राशनकार्डों की संख्या निरंक है.

प्रपत्र “ ब ”

बीपीएल राशन कार्डधारियों द्वारा प्रशासन को वापस किये गये राशनकार्डों की वर्षवार, जिलेवार जानकारी

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	वर्ष 2009-10 (3)	वर्ष 2010-11 (4)	वर्ष 2011-12 (5)
1.	धमतरी	0	0	0
2.	बस्तर	0	274	2
3.	कवर्धा	0	7292	0
4.	जशपुर	0	0	0
5.	रायगढ़	0	0	0
6.	कांकेर	0	2020	0
7.	दंतेवाड़ा	0	0	0
8.	दुर्ग	0	0	0
9.	सरगुजा	0	8534	0
10.	रायपुर	8	0	230
11.	कोरबा	0	466	2719
12.	जांजगीर-चांपा	0	0	0
13.	कोरिया	0	352	0
14.	नारायणपुर	603	1781	0
15.	बिलासपुर	0	4976	0
16.	बीजापुर	0	0	0
17.	महासमुंद	0	0	0
18.	राजनांदगांव	0	1909	0

टीप :- उपरोक्त वर्षों में एपीएल कार्डधारियों द्वारा राशनकार्ड वापस नहीं किया गया है.

परिशिष्ट “इकतीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 760) के भाग (ख) की जानकारी]

वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 एवं वर्ष 2011-12, में अगस्त 2011 तक की स्थिति में एजेंसियों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों में की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	गैस एजेंसी का नाम जिनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है.	प्रकरण में की गई कार्यवाही की जानकारी
(1)	(2)	(3)
1.	विनय गैस एजेंसी, नवापारा	कलेक्टर न्यायालय, रायपुर द्वारा 8 हजार रुपये शासन के पक्ष में राजसात कर जप्तशुदा सामग्री मुक्त की गई.
2.	मेसर्स गायत्री गैस एजेंसी, भाटापारा	प्रकरण में एफआईआर भाटापारा थाने में दर्ज करवाने हेतु खाद्य निरीक्षक, भाटापारा को निर्देशित किया गया है तथा कलेक्टर न्यायालय द्वारा जप्तशुदा सामग्री के निराकरण हेतु 25 हजार रुपये शासन के पक्ष में राजसात कर जप्तशुदा सामग्री मुक्त की गई.
3.	मेसर्स बम्लेश्वरी गैस एजेंसी, बलौदाबाजार	कलेक्टर न्यायालय, रायपुर में प्रकरण विचाराधीन है.
4.	मेसर्स गायत्री गैस एजेंसी भाटापारा एवं 02 अन्य.	कार्यालयीन पत्र क्रमांक 693 दिनांक 05-03-2011 के तहत क्षेत्रीय प्रबंधक एचपीसीएल रायपुर को संचालक के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने लेख कर प्रकरण समाप्त किया गया.
5.	मेसर्स गिरजा गैस एजेंसी आई ओ सी गैस डीलर आरंग एवं 01 अन्य.	कलेक्टर न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 17-02-2011 के तहत जप्तशुदा 37 नग सिलेण्डर एवं वाहन के बाजार मूल्य में से राशि 30000/- शासन के पक्ष में राजसात किया गया है.
6.	मेसर्स लक्ष्मी गैस एजेंसी, बैरन बाजार, रायपुर.	कलेक्टर न्यायालय, रायपुर में प्रकरण विचाराधीन है.
7.	मेसर्स दीपांशु गैस एजेंसी राजिम वि.ख. फिंगेश्वर जिला रायपुर.	न्यायालय कलेक्टर रायपुर के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन है.
8.	मेसर्स लक्ष्मी गैस एजेंसी बैरन बाजार	न्यायालय कलेक्टर रायपुर के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन है.

परिशिष्ट "बत्तीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 769) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जिलेवार एपीएल, बीपीएल अन्त्योदय, अन्नपूर्णा तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशनकार्डों की जानकारी

क.	जिला	ए.पी.एल.	बी.पी.एल.	अन्त्योदय	अन्नपूर्णा	मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना
1	कवर्धा	32510	45266	25209	280	41065
2	कांकेर	97210	37415	20323	340	37957
3	कोरबा	93755	53136	26853	597	64656
4	कोरिया	71022	27459	20026	761	35344
5	जशपुर	76682	32494	25930	429	34731
6	जांजगीर	204145	78751	37606	844	92561
7	दंतेवाड़ा	11793	28361	23945	578	36817
8	दुर्ग	271401	118033	79720	2018	186463
9	धमतरी	59687	34023	17637	591	41636
10	नरायाणपुर	6491	4498	13091	420	5602
11	बस्तर	98249	70847	52373	947	81133
12	बिलासपुर	214602	127393	75203	1650	158652
13	बीजापुर	7047	13754	11629	1016	19252
14	महासमुन्द	71886	65211	31462	947	60811
15	राजनांदगांव	136455	68135	33833	1081	70332
16	रायगढ़	128945	70386	49982	1161	82279
17	रायपुर	361557	169203	73179	2254	198084
18	सरगुजा	127978	111964	81400	2489	142316

प्रपत्र "ब"

खाद्यान्न की पात्रता एवं दर

क.	योजना का नाम	योजनान्तर्गत खाद्यान्न की पात्रता एवं दर			
		खाद्यान्न	शक्कर	अमृत नमक	मिट्टीतेल
1	बी.पी.एल.	35 किलो प्रतिमाह 2 रुपए प्रति किलो की दर से	प्रति राशन कार्ड 1.300	02 किलो अमृत नमक निःशुल्क	03 लीटर प्रतिमाह न्यूनतम 14.50 रुपए एवं अधिकतम 16.00 रुपए प्रति लीटर की दर से
2	अन्त्योदय अन्न योजना	35 किलो प्रतिमाह 1 रुपए प्रति किलो की दर से	किलोग्राम 13.50 रुपए प्रति किलो की दर से		
3	अन्नपूर्णा योजना	10 किलो प्रति माह निःशुल्क			
4	ए.पी.एल.	35 किलो प्रतिमाह चावल 11.50 रुपए तथा गेहूं 8.50 रुपए प्रति किलो की दर से	निरंक	निरंक	

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना

क.	राशनकार्ड	योजनान्तर्गत खाद्यान्न की पात्रता एवं दर			
		खाद्यान्न	शक्कर	अमृत नमक	मिट्टीतेल
1	स्लेटी राशनकार्ड	35 किलो प्रतिमाह 2 रुपए प्रति किलो की दर से	प्रति राशन कार्ड 1.300 किलोग्राम 13.50 रुपए प्रति किलो की दर से	02 किलो अमृत नमक निःशुल्क	03 लीटर प्रतिमाह न्यूनतम 14.50 रुपए एवं अधिकतम 16.00 रुपए प्रति लीटर की दर से
2	केसरिया	35 किलो प्रतिमाह 2 रुपए प्रति किलो की दर से			
3	10 किलो केसरिया	10 किलो प्रतिमाह 2 रुपए प्रति किलो की दर से			
4	हरा	10 किलो प्रतिमाह 2 रुपए प्रति किलो की दर से			

टीप— बस्तर संभाग में बीपीएल, अन्त्योदय, अन्नपूर्णा एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशनकार्डधारियों को 1 किलो चना दिया जा रहा है ।

भारत सरकार से माहवार योजनावार प्राप्त सामग्री के आवंटन एवं उठाव की जानकारी

(मात्रा मेटन में/किलोलीटर में)

क.	माह	योजनाओं का नाम															
		एपीएल चावल		एपीएल गेहूँ		बीपीएल चावल		बीपीएल गेहूँ		अन्त्योदय		अन्नपूर्णा		शक्कर		केरोसिन	
		आवंटन	उठाव	आवंटन	उठाव	आवंटन	उठाव	आवंटन	उठाव	आवंटन	उठाव	आवंटन	उठाव	आवंटन	उठाव	आवंटन	उठाव
1	जनवरी 11	10360	10360	15000	15000	37864	37864	2610	2610	25162	24130	267	195	4437	4430	15888	15564
2	फरवरी 11	10360	4335	15000	15000	37864	37864	2610	2610	25162	23690	267	197	4412	4185	15888	15548
3	मार्च 11	10360	2770	15000	15000	37864	37858	2610	2610	25162	22826	267	181	4297	5424	15576	15480
6	अप्रैल 11	10360	5726	15000	15000	37864	37864	2610	2610	25162	23313	267	157	4369	4192	15576	15564
9	मई 11	10360	5526	15000	15000	37864	37864	2610	2610	25162	23400	267	156	4437	4358	15588	15564
10	जून 11	10360	10345	15000	15000	37864	37864	2610	2610	25162	24475	267	265	4399	3978	16440	16272
11	जुलाई 11	10360	8552	15000	15000	37864	19244	2610	2610	25162	23210	267	163	4106	4076	14676	14652

टीप- भारत सरकार से एपीएल चावल 8.30 रूपए प्रति किलो, एपीएल गेहूँ 6.10 रूपए प्रति किलो, बीपीएल चावल 5.65 रूपए प्रति किलो, बीपीएल गेहूँ 4.15 रूपए प्रति किलो, अन्त्योदय चावल 3 रूपए प्रति किलो, अन्नपूर्णा चावल निःशुल्क तथा केरोसिन आयल कंपनी द्वारा निर्धारित दर अनुसार।

(मात्रा में टन में)

योजनाओं का नाम

क.	जिले का नाम	एपीएल चावल		एपीएल गेहूँ		बीपीएल चावल		बीपीएल गेहूँ		अन्त्योदय		अन्नपूर्णा		शक्कर	
		आवंटन	उठाव	आवंटन	उठाव	आवंटन	उठाव	आवंटन	उठाव	आवंटन	उठाव	आवंटन	उठाव	आवंटन	उठाव
1	जनवरी 11	10360.00	10360.00	15000.00	15000.00	37864.00	37863.60	2610.00	2610.00	25162.00	24130.49	266.67	195.26	4436.63	4429.92
2	फरवरी 11	10360.00	4335.42	15000.00	15000.00	37864.00	37863.92	2610.00	2610.00	25162.00	23690.02	266.67	197.49	4412.25	4184.70
3	मार्च 11	10360.00	2770.21	15000.00	15000.00	37864.00	37857.87	2610.00	2610.00	25162.00	22826.44	266.67	181.22	4296.53	5424.34
8	अप्रैल 11	10360.00	5725.78	15000.00	15000.00	37864.00	37864.00	2610.00	2610.00	25162.00	23313.56	266.67	156.95	4369.19	4192.22
9	मई 11	10360.00	5525.85	15000.00	15000.00	37864.00	37864.00	2610.00	2610.00	25162.00	23400.46	266.67	155.90	4436.61	4357.94
10	जून 11	10360.00	10345.21	15000.00	15000.00	37864.00	37864.01	2610.00	2610.00	25162.00	24475.46	266.67	265.07	4398.92	3978.21
11	जुलाई 11	10360.00	8552.34	15000.00	15000.00	37864.00	19243.64	2610.00	2610.00	25162.00	23210.71	266.67	163.71	4106.10	4076.22
12	अगस्त 11	10360.00	2095.99	15000.00	15000.00	37864.00	20117.53	2610.00	2610.00	25162.00	23355.61	266.67	166.48	4108.96	4081.26
	योग-	82880.00	49710.80	120000.00	120000.00	302912.00	266538.57	20880.00	20880.00	201296.00	188402.75	2133.36	1482.08	34564.29	34724.81

योजना	एकस गोदाम दर	योजना	एकस गोदाम दर
एपीएल चावल	831.66	अन्त्योदय चावल	360.00
एपीएल गेहूँ	623.42	अन्नपूर्णा	0.00
बीपीएल चावल	566.13	शक्कर	1344.77
बीपीएल गेहूँ	424.13		

परिशिष्ट “ तैंतीस ”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 37 (क. 802) के भाग (क) की जानकारी]

क्रमांक	विधान सभा का नाम	नवीन उपार्जन केन्द्र का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	जशपुर	1
2.	कुनकरी	1
3.	पत्थलगांव	2
4.	धमतरी	2
5.	कुरुद	5
6.	सिहावा	3
7.	भानुप्रतापपुर	3
8.	कांकरे	3
9.	पंडरिया	1
10.	बैकुण्ठपुर	1
11.	भरतपुर सोनहत	1
12.	रामपुर	3
13.	बालोद	10
14.	डौंडीलोहारा	6
15.	गुण्डरदेही	15
16.	पाटन	3
17.	दुर्ग ग्रामीण	5
18.	अहिवारा	3
19.	साजा	8
20.	बेमेतरा	8
21.	नवागढ़	6
26.	आरंग	5
27.	अभनपुर	4
28.	राजिम	6
29.	बलौदाबाजार	2
30.	कसडोल	5
31.	बिलाईगढ़	1
32.	धरसीवा	2
33.	भाटापारा	1
34.	महासमुंद	4
35.	खल्लारी	3
36.	बसना	5
37.	सरायपाली	8

(1)	(2)	(3)
38.	डोंगरगढ़	1
39.	राजनांदगांव	1
40.	खैरागढ़	2
41.	मोहला मानपुर	2
42.	खुज्जी	2
43.	डोंगरगांव	2
45.	रायगढ़	5
46.	सारंगढ़	13
47.	खरसिया	15
49.	कोटा	1
50.	लोरमी	1
51.	मुंगेली	7
52.	तखतपुर	3
53.	बिल्हा	17
55.	बेलतरा	3
56.	मस्तुरी	6
57.	अकलतरा	5
58.	जांजगीर	4
59.	सक्ती	7
60.	चन्द्रपुर	12
61.	जैजैपुर	9
62.	पामगढ़	6
योग		260